नगर नई दिल्ली सोमवार 20 जनवरी, 2020, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

INDIAN EXPRESS GROUP

TVS

Presents

RAMNATH GOENKA EXCELLENCE IN JOURNALISM AWARDS

RAMNATH GOENKA MEMORIAL FOUNDATION

Acknowledging accuracy, courage, credibility & fairness.

Chief Guest

Shri Ram Nath Kovind

Hon'ble President of India

20th January, 2020 | New Delhi

Entry by invitation only

Associate Partners

NABARD | एनटीपीसी NTPC | GatewayRail | Hiranandani creating better communities | Joy e-bike Solution to Pollution | Indian Cooperative Credit Society Limited REGD. NO. MSCS/CR/77/98

Government of Uttar Pradesh | Signature Global Making India Affordable An ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 Certified Company | राजस्थान सरकार | हिमाचल प्रदेश सरकार | Oriental Insurance | Sonalika Heavy Duty. Jaise Aap.

State Partners — Powered by — Event Partner — Banking Partner — Writing Instruments Partner

छत्तीसगढ़ शासन | मध्यप्रदेश शासन | Maharashtra Industrial Development Corporation ॥ उद्यमात सकल समृद्धिः ॥ MIDC | LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA | यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India | PARKER EST. 1888

Live streaming on

indianexpress.com | financialexpress.com | jansatta.com | loksatta.com

rngfoundation.com/awards | Follow #RNGAwards

www.readwhere.com

कार्यालय वसूली अधिकारी–I
ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली
पीथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली – 110 001

आर. सी. सं. 447/2018 **बिक्री उद्घोषणा नोटिस** **दिनांकित : 21.12.2019**

बिक्री की उद्घोषणा आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत को बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 की ऋण वसूली के साथ पढ़ा जाये।

बैंक ऑफ बडौदा बनाम मैसर्स एसके ट्रेडिंग कं.

सीडी नं. 1. मैसर्स एस.के ट्रेडिंग कं, इसके प्रोप्राइटर – रीना वर्मा, 2608, प्रथम तल, ब्लॉक – एम, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005, और: 2542/7, प्रथम तल, बीडन पुरा, करोल बाग, दिल्ली – 110005
सीडी नं. 2. सुश्री रीना वर्मा, 2608, प्रथम तल, ब्लॉक–एम, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, नई दिल्ली–110005, और: 2542/7, प्रथम तल, बीडन पुरा, करोल बाग, दिल्ली – 110005
सीडी नं. 3. मैसर्स एसपीएन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2608, प्रथम तल, ब्लॉक – एम, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005
सीडी नं. 4. विकास वर्मा, 2608, प्रथम तल, ब्लॉक – एम, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005, और : 5909/3, ब्लॉक – 4, देव नगर, करोल बाग, दिल्ली – 110005
सीडी नं. 5. श्री मनोज सोनी, और : 5909/3, ब्लॉक – 4, देव नगर, करोल बाग, दिल्ली – 110005

चूंकि आप पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली अधिकरण–III, दिल्ली ओ.ए सं 755/11/डीआरटी–III दिल्ली में आपके द्वारा देय रु. 5,33,03,822/– (रु. पाँच करोड़ तैंतीस लाख तीन हजार नौ सौ बाईस मात्र) दिनांक 19.11.2015 से प्रभावी 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज एवं ओ ए फाईलिंग की तिथि से लागतों का प्रमाण–पत्र के अनुसार भुगतान करने में असफल रहे।**

और जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र की संतुष्टी हेतु निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्थगन के किसी आदेश के अभाव में उक्त सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलामी द्वारा **26.02.2020 को अपरा. 03.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे के बीच (स्वतः विस्तार खण्ड के साथ यदि बंद होने से पहले अंतिम 5 मिनट में बोली अपेक्षित होती है)** ई–नीलामी तथा बोली प्रक्रिया होगी जो ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के द्वारा वेबसाइट **https://www.bankeauctions.com** मेसर्स सी1 इण्डिया प्रा. लि. **गल्फ पैट्रोलियम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, उद्योग विहार फेज–2, गुडगाँव (हरियाणा)–122015, हेल्पलाईन नं. +91-124-4302020/21/22/23/24** के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेची जाएगी। किसी पूछताछ के लिए **श्री विनोद कुमार, जिसका मोबाइल नंबर 09813887931, ई–मेल : ganesh.patil@c1india.com; support@bankeauctions.com, वेब: www.bankeauctions.com से सम्पर्क करें।**

अन्य विवरण हेतु **पी एच बैंक के ऑफिसर, श्री यशपाल चावला, मो. 9584317482, 8126195717 से सम्पर्क करें।**

उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री उपरोक्तानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावों का जैसा अभी तक निर्धारित किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में निर्दिष्ट है।

बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अथवा प्रयास नहीं करेगा। आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरूप ही बिक्री की जाएगी।

बिक्री उद्घोषणा की अनुसूची में उल्लेखित विवरण जो अधोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है, परन्तु अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटि, गलत बयान बाजी अथवा लेखांकन में चूक होने पर जिम्मेदारी नहीं होगी।

1. सम्पत्ति का विवरण, आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि निम्नानुसार है।

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (ईएमडी)
1.	प्रथम तल पर दुकान प्रा. नं. 7, (बिना छत / टेरेस के) सुपर क्षेत्रफल 535.85 वर्ग फीट, फ्री होल्ड सम्पत्ति नं. 2608 to 2613 & 2637 का हिस्सा, वार्ड नं. XVI प्लॉट/खसरा नं. 25 और 263 पर निर्मित, ब्लॉक – एम, गुरूद्वारा रोड, नाईवाला ईस्टेट, बिडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 में स्थित	रु. 1,28,70,000/- (रु. एक करोड़ अट्ठाईस लाख सत्तर हजार मात्र) धरोहर राशि : 12,87,000/- (रु. बारह लाख सत्तासी हजार मात्र)

सम्पत्ति धरोहर राशि से कम पर नहीं बेची जाएगी।

2. बोली **कम से कम रु. 1,00,000/– (रु. एक लाख मात्र) बढ़ाई जा सकेगी।** बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लॉट की नीलामी दोबारा की जाएगी। यदि उपलब्ध कोई भी बोलीदाता अपनी बोली नहीं बढ़ाता है, तो सर्वप्रथम प्राप्त ईएमडी अधोहस्ताक्षरी द्वारा आगे विचार हेतु रोक कर रखी जा सकती है।

3. किसी लॉट के उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा। यदि पेश की गई ऑफर उसको स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है।

4. इच्छुक बोलीदाताओं को धरोहर राशि **पे आर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो कि "Recovery Officer-I, DRT-III, Delhi के पक्ष में सीलबंद लिफाफे में दिल्ली** में देययोग्य हो, **को दिनांक 24.02.2020 तक देनी होगी।** धरोहर राशि इसके पश्चात नीलामी के लिए स्वीकार नहीं की जायेगी।

5. पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई–मेल आई डी, मोबाइल नम्बर और इस आशय की उद्घोषणा कि वे स्वयं की ओर से या अपने स्वामी की ओर से बोली लगा रहे हैं, जमा करनी होगी। स्वामी की ओर से बोली लगाने वाले सामग्री में बोली लगाने वाले को अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा वरना बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड संकल्प द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी प्रति या कम्पनी के सदस्यों/प्रतिनिधित्व को पुष्ट करने वाले अन्य कोई आवश्यक तथा ऐसी जमा राशि/काउन्टर फाईल कथित तिथि तक ई–मेल या अन्यथा द्वारा कथित संपर्क प्रदाता या सी एम बैंक तक पहुंच जानी चाहिए और इसकी छाई कॉपी (स्कैनप्रति) **वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–III, दिल्ली** के कार्यालय में जमा कराना होगा।

6. सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली का 25 प्रतिशत राशि ईएमडी समायोजन के बाद अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अपरा 03.00 बजे तक ऊपर में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी।

7. क्रेता को अंतिम बोली की **75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अवकाश है, तब 15वें दिन** के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त **क्रेता को रु. 1,000/– तक बिक्री मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर तथा रु. 1,000/– से अधिक पर बिक्री मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर पाउण्डेज फीस रजिस्ट्रार, डीआरटी–III, दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा वसूली अधिकारी–I, डीआरटी–III, दिल्ली के पास जमा करना होगा।**

8. इच्छुक बोलीदाताओं हेतु **सम्पत्ति का निरीक्षण दिनांक 20.02.2020 को पूर्वा. 11.00 बजे से अपरा. 04.00 बजे के बीच किया जा सकता है।**

9. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। ऐसी बिक्री के पहले उसकी नई उद्घोषणा जारी की जाएगी। क्रेताओं द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, विविधी के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता के सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनरबिक्री से प्राप्त इनसे शेष राशि के किसी अंश के संबंध में सभी दावे खत्म हो जाएंगे।

10. सम्पत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है तथा जो है जैसा है आधार"** पर की जा रही है।

11. अधोहस्ताक्षरी के पास, किसी भी या सभी गलतियों को, अनुपयुक्त पाए जाने पर, स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय बिना कोई कारण बताए, नीलामी प्रस्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

12. सम्पत्ति के किसी भी भाग पर राजस्व / कर या विलंब आगे कोई है जो कि सम्पत्ति के समक्ष में है, इस स्तर पर अधोहस्ताक्षरी के ज्ञान में नहीं है। हालांकि, भावी बोलीदाताओं को राजस्व दी जाती है कि ईएमडी जमा करने से पहले, अपने स्वयं के हित में बिजली / पानी / डाउरा टैक्स या किसी अन्य भार इत्यादि हेतु बकाया राशि की स्वयं जांच कर लें।

13. असफल बोलीदाता/ओं को अपने ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुनवाई की अनुसूची तिथि पर या उससे पहले डीआरटी–III की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाण के साथ एक आवेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसे तदनुसार आर.सी. अनुसूची / सुनवाई की तारीख के बाद वापस किया जाएगा।

14. बीएच बैंक को वर्णित सम्पत्ति को प्रमाणित और उसकी सच्चाई के बारे में सत्यापित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

(अनिल कुमार यादव)
वसूली अधिकारी–I, ऋणवसूली अधिकरण–III, दिल्ली

मेरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2019 को दिया गया।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

ANTONY WASTE HANDLING CELL LIMITED

Our Company was originally incorporated as 'Antony Waste Handling Cell Private Limited', under the provisions of the Companies Act, 1956, pursuant to certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai ("**RoC**") on January 17, 2001. Thereafter, our Company was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed by Shareholders of our Company at the Extraordinary General Meeting held on December 12, 2018. The name of our Company was changed to its present name 'Antony Waste Handling Cell Limited', pursuant to a fresh certificate of incorporation issued by the RoC on December 17, 2018. For details pertaining to the changes in our name and the address of our Registered Office, see "*History and Certain Corporate Matters*" beginning on page 126 of the draft red herring prospectus dated December 24, 2018 ("**DRHP**").

Registered Office: 1403, 14th Floor, Dev Corpora Building, Opp. Cadbury Company, Eastern Express Highway, Thane - 400 601, Maharashtra, India. **Corporate Office:** 1402 and 1404, 14th Floor, Dev Corpora Building, Opp. Cadbury Company, Eastern Express Highway, Thane - 400 601, Maharashtra, India **Contact Person:** Harshada Rane, Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone:** +91 (22) 4100 9295, **Email:** investor.relations@antonyasia.com; **Website:** www.antony-waste.com; **Corporate Identity Number:** U90001MH2001PLC130485

PROMOTERS OF OUR COMPANY: JOSE JACOB KALLARAKAL, SHIJU JACOB KALLARAKAL AND SHIJU ANTONY KALLARAKKAL

PUBLIC ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH (THE "EQUITY SHARES") OF ANTONY WASTE HANDLING CELL LIMITED (OUR "COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SECURITIES PREMIUM OF ₹[•] PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION (THE "ISSUE") CONSISTING OF A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 435 MILLION BY OUR COMPANY ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 9,442,164 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION COMPRISING UP TO 1,390,322 EQUITY SHARES BY LEEDS (MAURITIUS) LIMITED AGGREGATING UP TO ₹[•] MILLION, UP TO 2,085,502 EQUITY SHARES BY TONBRIDGE (MAURITIUS) LIMITED AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, UP TO 2,065,300 EQUITY SHARES BY CAMBRIDGE (MAURITIUS) LIMITED AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION AND UP TO 3,901,040 EQUITY SHARES BY GUILDFORD (MAURITIUS) LIMITED AGGREGATING UP TO [•] MILLION (THE "SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH EQUITY SHARES OFFERED BY THE SELLING SHAREHOLDERS, THE "OFFERED SHARES") ("OFFER FOR SALE"). THE ISSUE WILL CONSTITUTE [•]% OF THE FULLY DILUTED POST ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹ 5 EACH. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY AND THE SELLING SHAREHOLDERS IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF THE ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•], ALL EDITIONS OF THE HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER [•] AND [•] EDITION OF THE MARATHI DAILY NEWSPAPER [•] (MARATHI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF MAHARASHTRA, WHERE THE REGISTERED OFFICE OF OUR COMPANY IS LOCATED), EACH WITH WIDE CIRCULATION, AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/ISSUE OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO BSE LIMITED ("BSE") AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES.

ADDENDUM CUM CORRIGENDUM: NOTICE TO THE INVESTORS (THE "NOTICE")

This is with reference to the DRHP filed with the Securities and Exchange Board of India on December 24, 2018 in relation to the Issue. Attention of the investors is drawn to the following:

Our Promoter and Promoter Group: In the section entitled "Our Promoter and Promoter Group" para II - Promoter Group on pages 155 and 156 of the Draft Red Herring Prospectus, the names of entities forming part of the Promoter Group ("**Promoter Group Entities**") have been disclosed. The Company has decided to include certain individuals and entities who are part of Antony group under the ambit of the Promoter Group in accordance with Regulation 2 (1) (pp) (v) of the SEBI ICDR Regulations. The list of entities to be included in the Promoter Group along with their current shareholding in the Company is given below:

Sr. No.	Related Entities	Shareholding as on the date of the DRHP*	% of Shareholding as on the date of the DRHP*
1.	Antony Motors Pvt. Ltd.	20,00,000	13.98%
2.	Tito Varghese Kallarakkal	14,45,300	10.11%
3.	Thomas Ouseph Kallarakkal	91,510	0.64%
4.	John Ouseph Kallarakkal	78,910	0.55%
5.	Poulose Ouseph Kallarakkal	76,660	0.54%
6.	Edison Thomas Kallarakkal	39,020	0.27%
7.	Jimmy John Kallarakkal	22,210	0.16%
8.	Justin John Kallarakkal	22,210	0.16%
	Total	**37,75,820**	**26.40%**

**On an undiluted basis*

The total Promoter and Promoter Group shareholding disclosed on page no. 58 of the DHRP stands at 92,99,960 Equity Shares representing 65.02% of the paid-up share capital of the Company on an undiluted basis. Consequent to this addition to the Promoter Group, the total Promoter and Promoter Group shareholding will stand at 1,30,75,780 Equity Shares representing 91.42% of the paid-up share capital of the Company on an undiluted basis and all the relevant disclosures made with regards to Promoter Group will be updated in the RHP to be filed with RoC.

Further, Antony Auto Coach Builders Private Limited ("Antony Auto"), a member of our Promoter Group, was inadvertently omitted from the list of entities forming part of the Promoter Group on page 155-156 of the DRHP. References in the DRHP to members of the Promoter Group should be deemed to include Antony Auto.

This Notice is required to be read in conjunction with the DRHP and the DRHP shall stand amended to the extent stated hereinabove. All capitalized terms used in this Notice shall, unless the context otherwise requires, have the meanings ascribed to such terms in the DRHP.

For **ANTONY WASTE HANDLING CELL LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Managing Director

Place : Mumbai
Date : January 18, 2020

Antony Waste Handling Cell Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI on December 24, 2018. The DRHP shall be available on the websites of SEBI, BSE and NSE at www.sebi.gov.in, www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and is available on the website of the BRLM, i.e., www.equirus.com. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "*Risk Factors*" beginning on page 21 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision.

The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**U.S. Securities Act**"), or the securities laws of any state of the United States and may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where those offers and sales are made.

Adfactors 417 R

सार्वजनिक उद्घोषणा

[दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 (3) के साथ पठित विनियमन 31 (2) के अनुपालन में]

मास प्रॉजेक्ट इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

मास प्रॉजेक्ट इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के सभी स्टेकधारकों को सूचित किया जाता है कि
क) स्टेकधारकों की सूची माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण पीठ–III, नई दिल्ली में 16.1.2020 को दाखिल कर दी गई है। स्टेकधारों के निरीक्षण के लिए वह श्री अशोक कुमार जुनेजा, मास प्रॉजेक्ट इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के कार्यालय 1203, विजया बिल्डिंग, 17, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 में सभी कार्य दिवसों को 10 बजे पूर्वा. से 6 बजे अप. तक उपलब्ध है। वह माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण पीठ III, नई दिल्ली में भी उपलब्ध है।
ख) इस प्रकाशन की प्रति, यदि कोई हो, उसके विनिर्दिष्ट वेबसाईट पर अपलोडिंग के लिए आईबीबीआई के पास भी जमा की जाएगी।
यह मास प्रॉजेक्ट इंजीनियर्स प्रा. लि. के स्टेकधारकों की जानकारी के लिए है।

हस्ता./–
अशोक कुमार जुनेजा
(एलएलबी, एफसीएस, एसीएमए, डीबीएफ, एनसीएफएम, एडीआईसीए, एम. कॉम)
मास प्रॉजेक्स इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के परिसमापक
तिथि: 20.1.2020 IBBI पंजी. सं. IBBI/ IPA-002/IP-N00117/2017-18/10286
स्थान: नई दिल्ली ईमेल आईडी: masproject.liquidator@gmail.com

विक्रय सूचना
श्री बालाजी प्रिन्टोपैक प्राइवेट लिमिटेड
(परिसमापनाधीन)
पंजीकृत कार्यालय : 191, नांगली सकरावती, पीपी नं.–एनजेएफ बी–379, नजफगढ़, नई दिल्ली–110043, भारत
खाता पुस्तकों तथा कागजातों के अनुरक्षण का स्थान : ए–33/21, विश्वकर्मा कम्पाउण्ड, साइट–4, साहिबाबाद इण्डस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद–201010, उत्तर प्रदेश, भारत
परिसमापक : मोहम्मद नाजिम खान
परिसमापक का पता : जी–41, भूतल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008
ई–मेल : nazim@mnkassociates.com
सम्पर्क नं. : 9818156340
ई–नीलामी
ऋण शोधन अक्षमता तथा दिवालिया संहिता, 2016 के तहत आस्तियों की बिक्री
ई–नीलामी की तिथि एवं समय :
20 फरवरी, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप.
(प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित)

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ III के आदेश दिनांक 03.04.2019 द्वारा नियुक्त परिसमापक के कब्जे में परिसमापन सम्पदा का भाग निर्मित करने वाले श्री बालाजी प्रिन्टोपैक प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापनाधीन) के स्वामित्व वाली आस्तियों तथा सम्पत्तियों का विक्रय। विक्रय अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई–नीलामी प्लेटफॉर्म https://ncltauction.auctiontiger.net के माध्यम से किया जायेगा।

आस्ति	मद	आरक्षित मूल्य (रु. में)	ज.ध.राशि (रु. में)
आवासीय फ्लैट माप सुपर बिल्ट एरिया 99.87 वर्ग मीटर तथा फ्लैट का बिल्ट अप एरिया 79.90 वर्ग मी पार्किंग रहित प्लॉट का क्षेत्रफल 26,815.94 वर्ग मी स्थिति : फ्लैट सं. 616, छठी मंजिल, ब्लॉक–IV, प्लॉट नं. 6, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	1	40,00,000	400,000

ई–नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं
1. ई–नीलामी "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" आधार पर अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के माध्यम से संचालित की जायेगी।
2. आस्तियों के विवरण, ऑनलाइन ई–नीलामी संविदा प्रपत्र, घोषणा एवं शपथ प्रपत्र, ऑनलाइन ई–नीलामी विक्रय के सामान्य नियम एवं शर्तों सहित सम्पूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध है। सम्पर्क व्यक्ति : श्री तिलक मराठा एवं श्री पुष्पित मारू, +91-6351896834/079–61200680/554/598 ई–मेल : Tilak@auctiontiger.net/Pushpit@auctiontiger.net/Support@auctiontiger.net

ह./–
मोहम्मद नाजिम खान
परिसमापक
तिथि : 18.01.2020
स्थान : नई दिल्ली
IBBI/IPA-002/IP-N00076/2017-18/10207

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI
विकास मार्ग शाखा, ए–45/45, लक्ष्मी नगर, गुरु नानक पुरा, निकट मधुबन चौक, विकास मार्ग, नई दिल्ली–110092

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1) देखें]
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (अधिनियम), 2002 (2002 का 54) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में बैंक ऑफ इण्डिया का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदारों श्रीमती शशि यादव तथा श्री हरबीर यादव, दोनों निवासी : 63–सी, ब्लॉक बी–2, सेक्टर–71, नोएडा (उ.प्र.)–201301, साथ ही : फ्लैट नं. 32–डी, तीसरी मंजिल, ब्लॉक एम.एस., सेक्टर–61, मानसरोवर अपार्टमेंट्स, नोएडा (उ.प्र.)–201301, साथ ही : डब्ल्यू–1201, सेक्टर–121, नोएडा (उ.प्र.)–201301 तथा जमानती–श्री शम्भू नाथ मुखर्जी, 90–बी, ब्लॉक–बी, सेक्टर–71, नोएडा (उ.प्र.)–201301 से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर 18.09.2019 तक सूचना में उल्लिखित राशि रु. 52,99,266.80 (रु. बावन लाख निन्यानवे हजार दो सौ छियासठ मात्र) सहित भावी ब्याज, लागतों, व्ययों एवं उस पर अन्य आकस्मिक प्रभारों का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए निम्नलिखित तिथि को माँग सूचना निर्गत की थी।

कर्जदारों/जमानती के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 17 जनवरी, 2020 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार/जमानती को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार 18.09.2019 तक सूचना में उल्लिखित राशि रु. 52,99,266.80 (रु. बावन लाख निन्यानबे हजार दो सौ छियासठ मात्र) सहित भावी ब्याज, लागतों, व्ययों एवं उस पर अन्य आकस्मिक प्रभारों के लिए बैंक ऑफ इण्डिया, विकास मार्ग शाखा, ए–45/45, लक्ष्मी नगर, गुरु नानक पुरा, निकट मधुबन चौक, विकास मार्ग, नई दिल्ली–110092 के प्रभार का विषय होगा।

[प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमन्त्रित किया जाता है।]

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती शशि यादव (कर्जदार) के नाम पर फ्लैट सं. 32–डी, तीसरी मंजिल, मानसरोवर अपार्टमेंट्स ब्लॉक एम.एस., सेक्टर–61, नोएडा (उ.प्र.) पर स्थित इक्विटेबल मॉर्टगेज सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग, सुपर एरिया 147.79 वर्ग मीटर

सीमाएँ : उत्तर : खुला स्थान दक्षिण : खुला स्थान
पूर्व : प्रवेश पश्चिम : फ्लैट सं. 31डी

तिथि : 17.01.2020 अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : दिल्ली बैंक ऑफ इण्डिया

दुर्गेश मर्चेन्ट्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: डी–220, बेस्मेन्ट, डिफैन्स कॉलोनी–110024
CIN:L65923DL1984PLC248322, ईमेल आईडी: durgeshmerchants@gmail.com
टेली.नं.: 011–68888824, वेबसाईट: www.durgeshmerchantsltd.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दुर्गेश मर्चेन्ट्स लिमिटेड ("कम्पनी") की अ–साधारण आम सभा ("ईजीएम–01/2019–20") गुरुवार, 13 फरवरी, 2020 को 5.00 बजे अप. में डी–251, भूतल, कान्फ्रैंस हॉल, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली–110024 में आयोजित की जायेगी जिसमें ईजीएम की सूचना में वर्णित विशेष व्यवसाय को निष्पादित किया जायेगा। व्याख्यात्मक विवरण के साथ ईजीएम की सूचना कूरियर द्वारा उनके पंजीकृत पते पर सभी सदस्यों को भेज दी गई है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों के रजिस्ट्रार तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें बुधवार, 5 फरवरी, 2020 से गुरुवार, 13 फरवरी, 2020 (दोनों दिवस सहित) तक ईजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

समय–समय पर यथा–संशोधित कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार यह कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर अपना मतदान करने की सुविधा अपने सदस्यों को सहर्ष उपलब्ध करा रही है। स्काई लाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिट की सेवाऐं शेयरधारकों को ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कम्पनी ने प्राप्त की है।

1. कम्पनी ईजीएम की सूचना में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मदान करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिये नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है।
2. 9 फरवरी, 2020 को 9.00 बजे पूर्वा. में ई–वोटिंग अवधि शुरु होगी तथा 12 फरवरी, 2020 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। एनएसडीएल द्वारा उसके बाद ई–वोटिंग पद्धत्ति निष्क्रिय कर दी जायेगी। इस अवधि में कट–ऑफ तिथि अर्थात् 7 फरवरी, 2020 को भौतिक या डी–मैट पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले कम्पनी के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना मतदान कर सकते हैं।
3. उपरोक्त कट–ऑफ तिथि को जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभ–भोगी स्वामियों के रजिस्टर में शामिल होगा, वे ही रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ मत पत्र द्वारा असाधारण आम–सभा में मतदान की सुविधा प्राप्त करने हेतु अधिकृत होंगे।
4. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सूचना के प्रेषण के बाद किन्तु कट–ऑफ तिथि से पूर्व शेयर अर्जित किये हों तथा कम्पनी का सदस्य बने हों, वे evoting@nsdl.co.in पर एनएसडीएल अथवा पर कम्पनी को अथवा durgeshmarchants@gmail.com पर कम्पनी को अथवा स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड (रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेन्ट को admin@skylinerta.com पर) प्रार्थना भेजकर ई–वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिये लॉगिन–आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
5. उक्त तिथि एवं समय के बाद ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।
6. कोई भी सदस्य रिमोर्ट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर देने के बावजूद असाधारण आम सभा में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें ईजीएम में फिर से मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.durgeshmerchantsltd.com पर भी उपलब्ध है।
8. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से द्वारा मतदान से संबंधित किसी प्रश्न या समस्याओं के लिये http://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQ's)

महानगर नई दिल्ली सोमवार 20 जनवरी, 2020, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार आज प्रदान करेंगे राष्ट्रपति कोविंद

नई दिल्ली, 19 जनवरी (जनसत्ता)।

राज्य बनाम माओवादियों के द्वंद्व में अक्सर खो जाने वाली बस्तर के गहरे जंगलों की दास्तान से लेकर नाबालिगों पर यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर नजर रखने के ब्योरे तक; साल के कुछ बड़े खुलासों से लेकर उन पड़तालों तक, जिनमें दावों और आंकड़ों में अंतर पर प्रकाश डाला गया।

ये 2018 के कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार के जरिए मान्यता दी जाएगी। नई दिल्ली में सोमवार को एक समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।

गहरे मंथन के दौर में जहां समाचार-स्थानों का भी ध्रुवीकरण हो चुका है, और जहां फर्जी सूचनाओं की भरमार में से तथ्यों को छांटना मुश्किल है, रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार उस पत्रकारिता का उत्सव है, जो निष्पक्षता और सटीकता से परिभाषित की जाती है और जिसे सच बताने से डर नहीं लगता।

2006 में स्थापित ये पुरस्कार, प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया बाकी पेज 8 पर

TVS Presents Ramnath Goenka Excellence in Journalism Awards
Ramnath Goenka Memorial Foundation
Associate Partners: NABARD, NTPC, GatewayRail, Hiranandani, Jaypee, Signature Global
Associate Partners: Oriental Insurance, Sonalika; State Partners; Powered by; Event Partner: LIC; Banking Partner: Union Bank; Writing Instruments Partner: Parker

केजरीवाल ने जारी किया गारंटी कार्ड

छात्रों को मुफ्त बस सफर का किया वादा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के घोषणापत्र जारी होने से पहले पार्टी के मुखिया व सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को एक गारंटी कार्ड जारी किया।

इसको जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को 10 गारंटी दे रहा हूं। यह कोई घोषणापत्र नहीं है।

केजरीवाल के हस्ताक्षर वाले 10 वादों के इस गारंटी कार्ड में छात्रों के लिए मुफ्त बस सफर और महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोहल्ला मार्शल की तैनाती शामिल है। केजरीवाल ने कहा कि यदि उनकी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने दोबारा चुना तो उनकी पार्टी गारंटी कार्ड में किए गए सभी वादे पूरे करेगी।

'केजरीवाल की 10 गारंटी' के नाम से जारी किए गए इस कार्ड बाकी पेज 8 पर

केजरीवाल की 10 गारंटी

- 24 घंटे मिलेगी बिजली और 200 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना जारी रहेगी।
- 24 घंटे साफ पानी की आपूर्ति होगी और 20 हजार लीटर मुफ्त पानी मिलता रहेगा।
- हर बच्चे को स्नातक की अच्छी शिक्षा की गारंटी।
- दिल्लीवासियों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे।
- दिल्ली में विश्वस्तरीय यातायात व्यवस्था होगी, छात्रों को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा।
- दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेंगे।
- स्वच्छ व अविरल होगी यमुना की धारा।
- महिला सुरक्षा सर्वोपरि, तैनात होंगे मोहल्ला मार्शल।
- कच्ची कालोनियों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाएंगे।
- झुग्गी वाले लोगों को पक्के मकान की गारंटी।

प्रधानमंत्री आज करेंगे विद्यार्थियों से बातचीत

परीक्षा पे चर्चा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के तहत बातचीत करेंगे और विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव से उभरने के सुझाव देंगे।

तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले 'परीक्षा पे चर्चा' बाकी पेज 8 पर

बजट सत्र में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव

राजस्थान : विस सत्र के पहले दिन ही इसके पास होने की संभावना

जयपुर, 19 जनवरी (भाषा)।

कांग्रेस शासित राजस्थान ने 24 जनवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव लाने का फैसला किया है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार आगामी बजट सत्र में पेश किए जाने वाले सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। विधानसभा सत्र के पहले दिन ही इस प्रस्ताव के पास होने की संभावना है। पिछले साल बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए छह विधायकों में से एक विधायक वाजिब अली ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र भेजकर सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने का अनुरोध किया था। अली ने कहा कि देश भर में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। संशोधित अधिनियम संविधान की भावना के खिलाफ है और यह सामाजिक अशांति पैदा कर रहा है।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने कहा, हम लोग इसका विरोध करेंगे।

विधायक वाजिब अली ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र भेजकर सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव लाने का अनुरोध किया था।

भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक सतीश पूनियां ने कहा कि हम लोग सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे मुख्यमंत्री हों, सरकार हो, या पार्टी कोई भी कानून से उपर नहीं है। केरल और पंजाब ने सीएए के खिलाफ केंद्र पर दबाव बनाने के लिए पहले ही प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। सीएए के विरोध में हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध बाकी पेज 8 पर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निष्ठा संविधान के प्रति : भागवत

जनसत्ता/एजेंसी
बरेली, 19 जनवरी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि संघ भारत के संविधान को मानता है। उसका कोई एजेंडा नहीं है और वह शक्ति का कोई दूसरा केंद्र नहीं चाहता। संघ प्रमुख ने रुहेलखंड विश्वविद्यालय में 'भविष्य का भारत : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दृष्टिकोण' विषय पर अपने व्याख्यान में दो ही बच्चे पैदा करने की नीति को लेकर शुक्रवार को मुरादाबाद में दिए गए अपने बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि कुछ लोग भ्रमवश कह रहे हैं कि संघ देश के परिवारों को दो बच्चों तक सीमित करने की इच्छा रखता है। उन्होंने कहा कि हमारा कहना है कि सरकार को इस बारे में विचार करके एक नीति बनानी चाहिए। सबका मन बनाकर नीति बनाई जानी चाहिए।

कहा, आम सहमति से जनसंख्या नीति बनाए सरकार

अखाड़ा परिषद ने भी किया भागवत के बयान का समर्थन

विहिप की बैठक में होगा जनसंख्या नियंत्रण पर विचार

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भागवत के बयान का समर्थन किया है जिसमें भागवत ने कहा है कि अब भारत में दो बच्चे पैदा करने का कानून बनना चाहिए। परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा कि अखाड़ा परिषद सभी संतों से संघ प्रमुख भागवत के इस बयान का समर्थन करने और इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करने का आह्वान किया। गिरि ने कहा कि अधिक बच्चे होने से देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 12-12 बच्चे पैदा करके देश की आर्थिक स्थिति को संकट में डाल रहे हैं। ऐसे में अखाड़ा परिषद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से ऐसा कानून लाने की मांग करती है कि अब लोग दो ही बच्चे पैदा करें।

उधर, विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के केंद्रीय मार्गदर्शक बाकी पेज 8 पर

बरेली में एक कॉलेज में व्याख्यान देते संघ प्रमुख मोहन भागवत।

क्या कहा

- मुट्ठी भर लोग आते हैं और हमें गुलाम बनाते हैं, हमारी कमियों की वजह से ऐसा होता है। हम जब-जब हिंदू भाव भूले हैं, तब-तब विपत्ति आई है।
- हमारा कोई अन्य एडंजा नहीं, कोई रिमोट कंट्रोल नहीं, हम शक्ति का कोई दूसरा केंद्र नहीं चाहते।

'सीएए व एनआरसी भारत का आंतरिक मामला'

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, जरूरी नहीं था सीएए और एनआरसी

दुबई, 19 जनवरी (भाषा)।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को भारत का आंतरिक मामला करार दिया, लेकिन यह भी कहा कि कानून आवश्यक नहीं था।

सीएए के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना की वजह से 31 दिसंबर, 2014 तक वहां से भारत आए हिंदू, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। इस विवादित कानून के खिलाफ भारत में कई जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं। हसीना ने 'गल्फ न्यूज' को दिए साक्षात्कार में भारत के नए नागरिकता कानून के संदर्भ में कहा, 'हम नहीं समझ रहे हैं कि क्यों (भारत सरकार ने) ऐसा किया। यह जरूरी नहीं था।' उनका यह बयान बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन के उस बयान के बाद आया है कि सीएए और एनआरसी भारत के आंतरिक मामले हैं, लेकिन इस बात पर चिंता जाहिर की थी कि वहां किसी भी तरह की 'अनिश्चितता' का पड़ोस पर असर होगा।

हसीना ने 'गल्फ न्यूज' को दिए साक्षात्कार में भारत के नए नागरिकता कानून के संदर्भ में कहा, 'हम नहीं समझ रहे हैं कि क्यों (भारत सरकार ने) ऐसा किया। यह जरूरी नहीं था।'

सीएए के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना की वजह से 31 दिसंबर, 2014 तक वहां से भारत आए हिंदू, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी।

अखबार ने कहा कि बांग्लादेश की 16.1 करोड़ आबादी में 10.7 फीसद हिंदू और 0.6 फीसद बौद्ध हैं और उसने धार्मिक उत्पीड़न की वजह से किसी के भी भारत जाने से इनकार किया है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबु धाबी में हसीना ने यह भी कहा कि भारत से भी लोगों के बांग्लादेश पलायन करने की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा, 'नहीं, भारत से पलट कर कोई प्रवासी नहीं आ रहे। लेकिन भारत के अंदर, लोग कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।' हसीना ने कहा, '(तो भी), यह एक आंतरिक मामला है।' बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने कहा, 'बांग्लादेश ने हमेशा यह कहा है कि सीएए और एनआरसी भारत के आंतरिक मामले हैं। भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से बार-बार दोहराया कि एनआरसी भारत की एक अंदरूनी कवायद है और प्रधानमंत्री (नरेंद्र) मोदी ने व्यक्तिगत रूप से अक्तूबर, 2019 के मेरे नई दिल्ली के दौरे के दौरान मुझे इसे लेकर आश्वस्त किया था।' उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते मौजूदा दौर में सर्वश्रेष्ठ हैं और 'व्यापक क्षेत्रों में' सहयोग हो रहा है।

अगवा 19 भारतीय रिहा, कैद में एक की मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास से पिछले महीने वाणिज्यिक जहाज से समुद्री डाकुओं द्वारा अगवा किए गए 19 भारतीयों को रिहा कर दिया गया है। एक व्यक्ति की उनकी कैद में मौत हो गई। अबुजा स्थित भारतीय उच्चायोग के हवाले से विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया, सभी भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है। उच्चायोग को इस बाबत इंतजाम करने के जरूरी निर्देश दिए गए हैं।

अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास पोत एमटी ड्यूक से 15 दिसंबर को चालक दल के 20 भारतीय सदस्यों को समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया था। अबुजा में भारतीय उच्चायोग ने रविवार को ट्वीट किया कि 19 भारतीय नागरिकों को शनिवार बाकी पेज 8 पर

15 दिसंबर को चालक दल के 20 भारतीय सदस्यों को अगवा कर लिया था समुद्री लुटेरों ने

सभी की वापसी के लिए विदेश मंत्रालय ने किए इंतजाम

भारत सरकार ने रिहाई के लिए नाइजीरिया सरकार से मदद मांगी थी

मौसम के मिजाज में जारी रहेगा उतार-चढ़ाव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

पहाड़ों में भारी बर्फबारी के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सोमवार को एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के पूर्वानुमान है। इसके साथ ही अगले दो दिनों तक उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने रविवार को मौसम के अपने पूर्वानुमान में कहा कि 20 और 21 जनवरी को प्रभावी रहने के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर तेजी से कम होने लगेगा। साथ ही पश्चिमी सर्द हवाओं से दिल्ली सहित मैदानी इलाकों में एक बार फिर ठिठुरन बढ़ेगी।

मौसम विभाग ने बाकी पेज 8 पर

> "दिन में बार बार धूप निकलना और बीच बीच में बारिश होना, मौसम का अनूठा अनुभव जरूर है लेकिन जलवायु परिवर्तन की आहट के बीच यह अप्रत्याशित नहीं है। यह जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मात्र है। इसकी तात्कालिक वजह हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभों की तीव्रता में अधिकता है।
> - डॉ सती देवी, वरिष्ठ वैज्ञानिक

दरअसल

औपचारिक समझौते पर दोनों ने किए हस्ताक्षर | परंपरा में दरार | छोड़नी होगी 'हिज और हर रायल हाइनेस' की शाही उपाधि

ब्रिटेन के शाही परिवार से अलग हुए प्रिंस हैरी व मेगन

लंदन, 19 जनवरी (भाषा)।

प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल ने शाही परिवार से अलग होने के लिए औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत उन्हें शाही उपाधि 'हिज और हर रायल हाइनेस' (एचआरएच) छोड़नी होगी और उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सार्वजनिक कोष का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। इस समझौते का अर्थ है कि दंपति अब आधिकारिक क्षमता में महारानी का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

बकिंगघम पैलेस ने शनिवार रात बयान में कहा, 'ड्यूक और डचेज ऑफ ससेक्स अपनी एचआरएच उपाधियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अब वे शाही परिवार के कार्यकारी सदस्य नहीं हैं।' महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कहा कि यह समझौता कई महीनों की चर्चा के बाद हुआ है और यह उनके पोते और उनके परिवार के आगे बढ़ने के लिए 'रचनात्मक व सहयोगात्मक' तरीका है। महारानी के निजी बयान में कहा गया, 'हैरी, मेगन और आर्ची हमेशा मेरे परिवार के बेहद प्रिय सदस्य रहेंगे।' उन्होंने ब्रिटेन और पूरे राष्ट्रमंडल के लिए किए गए कार्यों के लिए दंपति को शुक्रिया करते हुए कहा, 'उनके हर कदम पर पिछले दो साल से जिस तरह नजर रखी जा रही है, उसके परिणामस्वरूप उनके सामने आने वाली चुनौतियों को वह समझती हैं और एक अधिक स्वतंत्र जीवन जीने की उनकी इच्छा का समर्थन करती हैं।'

महारानी ने कहा कि उन्हें 'खासकर मेगन पर गर्व है जो बहुत जल्द परिवार का हिस्सा बन गई।' यह मेरे पूरे परिवार की कामना है कि आज के समझौते से दंपती को खुशहाल व शांतिपूर्ण नया जीवन जीने का मौका मिले।'

पैलेस ने इसकी पुष्टि की कि दंपति को आधिकारिक सैन्य नियुक्तियों समेत तमाम शाही कर्तव्य छोड़ने होंगे। पैलेस ने कहा, 'वे महारानी का अब आधिकारिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे बाकी पेज 8 पर

महारानी ने कहा

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कहा कि यह समझौता कई महीनों की चर्चा के बाद हुआ है और यह उनके पोते व उनके परिवार के आगे बढ़ने के लिए 'रचनात्मक व सहयोगात्मक' तरीका है। हैरी, मेगन और आर्ची हमेशा मेरे परिवार के बेहद प्रिय सदस्य रहेंगे।

ऐ भाई...

नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गारंटी कार्ड जारी करते मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल।

दोषियों को बचा रही है 'आप' सरकार : तिवारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

भाजपा ने रविवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार पर निर्भया मामले के चार दोषियों को फांसी की सजा से बचाने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि निर्भया मामले के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के बजाय 'आप' सरकार इसके दोषियों को अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को टालने की कोशिश कर रही है। तिवारी ने वरिष्ठ वकील जयसिंह के केजरीवाल सरकार से जुड़े होने का हवाला देते हुए कहा उन्होंने अदालत में केजरीवाल सरकार की पैरवी की है, इसलिए उनके सुझाव के मद्देनजर दोषियों की सजा को अमल में लाने में हो रही देरी के पीछे 'आप' सरकार पर सवाल उठना लाजिमी है। तिवारी ने दलील दी कि तिहाड़ जेल प्रशासन भी दिल्ली सरकार के मातहत है और इस जेल में बंद निर्भया मामले के दोषियों को 2017 में सुनाए गए इस मामले के अदालती फैसले से दो साल बाद 2019 में अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि पहले तो 'आप' सरकार ने दोषियों को फांसी दिए जाने को विलंबित किया और अब उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है।

टिकट बंटवारे के बाद भाजपा में विरोध तेज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

सत्तारूढ़ 'आप' को छोड़कर दिल्ली के चुनावी समर में भाजपा व कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर अभी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं। बावजूद इसके कई विधानसभा क्षेत्रों में घोषित नामों पर विरोध तेज हो गया है। रविवार को भाजपा कार्यालय के सामने लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने पर दिनेश प्रताप सिंह ने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। लक्ष्मी नगर विधानसभा इलाके से अभय वर्मा को टिकट मिलने से नाराज प्रदर्शनकारियों के साथ काफी संख्या में ऑटो चालक भी पहुंचे थे। उन्होंने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी पर टिकट बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। दिनेश प्रताप सिंह के समर्थकों ने कहा कि हारे हुए प्रत्याशी को दोबारा चुनाव लड़ाने का कोई औचित्य नहीं है। इसी तरह दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी को लेकर रोष जताते हुए प्रदर्शनकारियों ने बाहरी प्रत्याशी को वापस भेजने के नारे लगाए। रविवार को क्षेत्रीय निवासियों ने जंगपुरा क्षेत्र के भाजपा नेता नलिन त्रिपाठी के आवास का घेराव कर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने बाहरी प्रत्याशियों को वापस भेजो के नारे लगाए। नलिन त्रिपाठी ने स्वयं लोगों के बीच आकर मनाने की कोशिश की लेकिन प्रदर्शनकारी प्रत्याशी बदले जाने की मांग पर अड़े रहे। भाजपा आलाकमान तक विरोध करने वालों की आवाज पहुंचाने का आश्वासन देकर प्रदर्शनकारियों को वापस भेजा जा सका।

सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भाजपा में शामिल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

दिल्ली के प्रभारी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू की उपस्थिति में रविवार को दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष संतलाल चावरिया भाजपा परिवार में शामिल हो गए। जाजू ने इस मौके पर कहा कि अनुसूचित जाति समाज के लोगों को आम आदमी पार्टी निम्न स्तर पर आंकती है जिसके कारण समाज के लोग भाजपा के साथ जुड़ रहे है।

अरविंद केजरीवाल के 'गारंटी कार्ड' पर विरोधी पार्टियों का हमला

जुमला कार्ड और झूठ का पिटारा बताया

'आप' के 70 वादों का क्या हुआ : कांग्रेस

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 'गारंटी कार्ड' पर हमला करते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि साल 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में 'आप' ने 70 वादे किए थे। उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। अपनी संभावित हार से हताश और निराश पार्टी ने गारंटी कार्ड जारी करके दिल्ली के लोगों को फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रही है। चोपड़ा ने इस गारंटी कार्ड को 'जुमला कार्ड' बताया है।

उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में एक भी नया विश्वविद्यालय केजरीवाल सरकार ने नहीं बनाया, जबकि 20 कॉलेज खोलने का वायदा किया था। आज अनधिकृत कॉलोनियों में पीने का पानी उपलब्ध ही नहीं है और न ही इन्होंने पानी का कोई नया संयंत्र लगाया है और न ही यूजीआर। एक भी नया अस्पताल न बनाने वाली केजरीवाल सरकार ने अब भी नया अस्तपाल बनाने की बात न कहकर अपने इरादों को साफ कर दिया है। दिल्ली में चरमराई सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आज 3200 से ज्यादा बसें सड़कों से हट गई है, जो इस केजरीवाल सरकार के लिए शर्मनाक है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली मेट्रो के तीसरे चरण का काम तीन साल पीछे चल रहा है और चौथे चरण का काम पांच साल पीछे चल रहा है। केजरीवाल लोगों को झूठा दिलासा क्यों दे रहे है? कांग्रेस का कहना है कि यमुना को प्रदूषण मुक्त करने व ज्यादा पेड़ लगाने का वादा करने वाले केजरीवाल पहले दिल्ली की जनता को यह बताए कि दिल्ली में हरित क्षेत्र कम क्यों हुआ? ककरोला नहर से यमुना तक कालोनियों के सीवर के लिए 3600 करोड़ रुपए लागत से बनाए जा रहे इंटरसेप्टर के काम को क्यों रोका गया? सुभाष चोपड़ा ने कहा कि नरेला में आज भी 32000 मकान बने खड़े है जिन्हें इस सरकार ने किसी को नहीं दिया।

संभावित हार से हताश और निराश आम आदमी पार्टी ने गारंटी कार्ड किया जारी : सुभाष चोपड़ा

वादों पर रार

झूठ की कड़ी में एक और बढ़ोतरी : भाजपा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने रविवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के जारी किए जाने वाले गारंटी कार्ड को अगले पांच साल के लिए दिल्ली की जनता को बोले जाने वाले झूठों की कड़ी में एक और बढ़ोतरी बताया है। तिवारी ने कहा कि वो दस कामों की गारंटी देने से पहले उन 70 वादों का हिसाब दें जो उन्होंने वर्ष 2015 के चुनाव में दिल्ली की जनता से किए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता से 70 वादे तो किए लेकिन जब पूरा करने की बारी आई तो और नए वादे करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे है।

तिवारी ने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली वाली बात कहने वाले मुख्यमंत्री ने बिजली कंपनियों को मार्च तक ही बिजली मुफ्त देने का आदेश क्यों दिया है। तारों के जंजाल को हटाने की गारंटी देने वाले केजरीवाल बताएं कि यह काम पांच साल में क्यों नहीं हुआ। शिक्षा को लेकर क्रांतिकारी परिवर्तन की बात करने वाले मुख्यमंत्री बताएं कि 500 नए स्कूल और 20 नए कॉलेज दिल्ली में कहां है, हर नागरिक को मुफ्त इलाज का दावा करने वाले पहले मोहल्ला क्लीनिक और फिर दिल्ली सरकार के अस्पतालों की हालत पांच साल में क्यों नहीं सुधार पाए।

उन्होंने कहा कि कूड़े का पहाड़ हटाने की गारंटी देने वाले मुख्यमंत्री पांच साल तक कुछ नहीं कर पाए। निगम ने कूड़े के पहाड़ हटाने की मशीनें लगा दी है जो अपना काम तेजी से कर रही है और जल्द ही कूड़े के पहाड़ पूरी दिल्ली से हटाने का काम भाजपा शासित निगम करने जा रही है। सीसीटीवी और स्ट्रीट लाईट लगाने का वादा 2015 का था जो लगाए गए वो चलते ही नहीं है और मुख्यमंत्री फिर से वही पुराने वादे दोहरा रहे हैं और अब उन्हें गारंटी का नाम देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं।

जब वादे पूरा करने की बारी आई तो नए वादे करके जनता को गुमराह कर रहे है : मनोज तिवारी

निजी स्कूलों को मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ाने देंगे : केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राजधानी के अभिभावकों को आश्वस्त किया कि जब तक राष्ट्रीय राजधानी में उनकी सरकार सत्ता में है, किसी भी निजी स्कूल को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों की तरह ही उनकी सरकार आगे भी दिल्ली में स्कूल फीस पर नियंत्रण रखेगी।

केजरीवाल ने हिंदी में लिखे अपने ट्वीट में कहा कि जब तक दिल्ली में ईमानदार सरकार है, अभिभावकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के किसी भी निजी स्कूल को फीस की मनमानी नहीं करने देंगे। पिछले पांच सालों की तरह आगे भी फीस पर नियंत्रण रखेंगे। उनका यह बयान दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेहद महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने अप्रैल, 2018 में एक परिपत्र जारी करके सरकारी जमीन पर चल रहे गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों पर शिक्षा निदेशालय की मंजूरी के बिना ट्यूशन फीस में वृद्धि करने पर पाबंदी लगा दी थी। उस साल मई में सरकार ने 575 निजी स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे वसूली गयी अधिक फीस को नौ फीसदी ब्याज के साथ अभिभावकों को लौटाएं। जानकारों का कहना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर तबके को लुभाने के अलावा मुख्यमंत्री ने मध्यम वर्ग को भी साधने की कोशिश की है।

निगम मुख्यालय से विधानसभा पहुंचाने की तैयारी

तीनों पार्टियों ने निगम पार्षदों पर दांव लगाया

अमलेश राजू
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

दिल्ली विधानसभा का यह चुनाव सूबे के कई निगम पार्षदों के किस्मत के दरवाजे भी खोल सकता है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) सहित भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बड़ी संख्या में निगम पार्षदों पर इस चुनाव में दांव लगाया है। जहां 'आप' ने दो मौजूदा पार्षदों को वर्तमान विधायक का टिकट काटकर इन्हें चुनावी दंगल में उतारा है। वहीं, भाजपा ने 20 मौजूदा व पूर्व पार्षदों को और कांग्रेस ने ऐसे नौ पार्षदों को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने भी इस बार कुछ पूर्व निगम पार्षदों को मैदान में उतारने का फैसला किया है।

आम आदमी पार्टी ने अपने दो पार्षदों त्रिलोकपुरी और कोंडली से मैदान में उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया है। त्रिलोकपुरी से पूर्वी निगम में विपक्ष के नेता रोहित कुमार महरोलिया और पूर्वी निगम में ही पूर्व विपक्ष के नेता कुलदीप कुमार मोनू को टिकट दिया है।

भाजपा ने सबसे ज्यादा निगम पार्षदों पर इस बार दांव लगाया है। पार्टी ने उत्तरी निगम के पूर्व मेयर व मौजूदा पार्षद विजय भगत को बादली से, जोन अध्यक्ष मनीष चौधरी को रिठाला से, पूर्व मेयर रहे मास्टर आजाद सिंह को मुंडका से, रेखा गुप्ता को शालीमार बाग से, मौजूदा स्थाई समिति अध्यक्ष उत्तरी निगम जयप्रकाश जेपी को सदर बाजार से, पूर्व पार्षद सुमन कुमार गुप्ता को चांदनी चौक से, पूर्व मेयर रवींद्र गुप्ता को मटिया महल से, लता सोढ़ी को बल्लीमारान से, पूर्व मेयर रहे योगेंद्र चंदोलिया को करोलबाग से, कैलाश सांकला को मादीपुर से, राजेश गहलौत को मटियाला से, विजय पंडित को पालम से, शैलेंद्र सिंह मोंटी को मालवीय नगर से, अनिल शर्मा को आरके पुरम से, खुशी राम को आंबेडकर नगर से, स्थायी समिति अध्यक्ष रहीं शिखा राय को ग्रेटर कैलाश से, ब्रह्म सिंह को ओखला से, पूर्वी दिल्ली की पूर्व मेयर रही किरण वैद को त्रिलोकपुरी से, पूर्व मेयर रहे राज कुमार ढ़िल्लो को कोंडली से मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने भी इस बार उत्तरी दिल्ली में मौजूदा कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल को आदर्शनगर से, अमर लता सांगवान को तिमारपुर से, पूर्व पार्षद सतबीर शर्मा को सदरबाजार से, सुरेंद्र सेतिया को हरिनगर से, संदीप तंवर को दिल्ली कैंट से, दक्षिणी दिल्ली में कांग्रेस दल के नेता अभिषेक दत्त कस्तूरबानगर से, पूर्व पार्षद नीतू वर्मा को मालवीयनगर से और गुरुचरण सिंह राजू को विश्वासनगर से उतारा है।

चुनावी पैंतरा

साख का सवाल

भाजपा
22 भाजपा ने 15 मौजूदा और सात पूर्व पार्षदों को टिकट दिया है

कांग्रेस
9 कांग्रेस ने तीन मौजूदा और छह पूर्व पार्षदों को टिकट दिया है। इसमें दो कांग्रेस दल के नेता हैं।

आप
2 'आप' ने दो पार्षदों को टिकट दिया है। दोनों विपक्षी दल के नेता हैं और पूर्वी दिल्ली से हैं।

प्रचार

घर-घर प्रचार करतीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता व बेटी हर्षिता।

नई दिल्ली से हैट्रिक बनाने की चुनौती

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भरेंगे परचा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया अरविंद केजरीवाल सोमवार को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से बतौर 'आप' प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इसी सीट से तीन-तीन बार जीत दर्ज कर शीला दीक्षित ने सूबे की मुख्यमंत्री बनने की हैट्रिक बनाई थी। अब संयोग से केजरीवाल के सामने भी इस चुनाव में यहां से जीत दर्ज करने और मुख्यमंत्री के तौर पर हैट्रिक लगाने की चुनौती है।

आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि नई दिल्ली से पार्टी के प्रत्याशी केजरीवाल सोमवार को अपना परचा दाखिल करेंगे। ट्वीट में यह भी कहा है कि एक बड़ा रोड शो कर केजरीवाल अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचेंगे। पार्टी के अनुसार रोड शो की शुरुआत वाल्मीकि मंदिर से होगी और काफिला पंचकुइयां रोड, कनॉट प्लेस आउटर सर्किल, पालिका बाजार और हनुमान मंदिर होते हुए आगे जाम नगर हाउस नामांकन कार्यालय तक पहुंचेगा। जानकारों का कहना है कि दिल्ली में तीन बार नहीं बल्कि चार-चार बार चुनाव जीतने वाले कई सियासी दिग्गज मौजूद हैं लेकिन लगातार तीन बार मुख्यमंत्री बनने का रेकार्ड केवल शीला दीक्षित के नाम है। यदि केजरीवाल चुनाव में पार्टी को जीत दिलाकर सरकार बनाने में कामयाब हुए तो यह उनकी सरकार के साथ वह खुद तीसरी बार मुख्यमंत्री बन दीक्षित की बराबरी करने में भी सफल साबित होंगे। शीला दीक्षित ने वर्ष 1998 के विधानसभा चुनाव में गोल मार्केट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और भाजपा प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवार कीर्ति आजाद को पराजित कर दिल्ली विधानसभा की अपनी पहली जीत दर्ज की। उसके बाद 2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने इस क्षेत्र से जीत दर्ज की। हालांकि बाद में इस क्षेत्र का नाम गोल मार्केट से बदलकर नई दिल्ली कर दिया गया। केजरीवाल ने वर्ष 2013 के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में नई दिल्ली से तत्कालीन मुख्यमंत्री दीक्षित को मात दी थी।

शीला दीक्षित को पराजित कर इसी क्षेत्र से शुरू किया था सियासी सफर

सोशल मीडिया

पार्टियों के अपने-अपने 'रिंकिया के पापा'

सुशील राघव
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तीनों प्रमुख पार्टियों भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 21 जनवरी को परचा भरने की अंतिम तिथि है। ऐसे में सोशल मीडिया पर सभी पार्टियों की ओर से प्रचार में तेजी आई है। हर पार्टी दूसरे से बेहतर दिखना चाहती है और ऐसे में एक दूसरे पर सोशल मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से प्रहार कर रही है।

इसी क्रम में पिछले एक-दो दिन सोशल मीडिया पर 'रिंकिया के पापा' नाम से कई विज्ञापन सामने आए हैं। मजे की बात यह है कि भाजपा और 'आप' एक-दूसरे पर प्रहार करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी का 'रिंकिया के पापा' से सुपरहिट भोजपुरी गीत है। सबसे पहले 'आप' ने 'रिंकिया के पापा' का विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन के मुताबिक रिंकिया के पापा का फोन आता है तो रिंकिया की मम्मी उसे फोन उठाने को कहती हैं। जब रिंकिया फोन उठती है तो दूसरी ओर से उसके पिता की आवाज आती है, जो हूबहू मनोज तिवारी की तरह है। पिता कहते हैं कि रिंकिया तुम्हारी मम्मी बात रही थीं कि तुमने नहाने के लिए गीजर से पानी गर्म किया था।

इस पर रिंकिया कहती है कि दिल्ली में बहुत ठंड है और अगर वह ठंडे पानी से नहाती तो बीमार हो सकती थी। इस पर उसके पिता कहते हैं कि बुखार हो जाता तो 20 रुपए की दवाई से ठीक हो जातीं लेकिन गीजर के चलने से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा, उसे भरना मुश्किल है। इस पर रिंकिया कहती है कि दिल्ली में केजरीवाल अंकल की सरकार है और बिजली का बिल बहुत कम आता है। इसलिए आप बिजली के बिल की चिंता मत कीजिए। वहीं, भाजपा ने भी रविवार को 'रिंकिया के पापा' विज्ञापन जारी किया। इस विज्ञापन में भी 'आप' के विज्ञापन की तरह ही रिंकिया के पापा का फोन आता है और उसकी मम्मी फोन उठाने को कहती है। फोन उठाने पर रिंकिया के पापा कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम मिनरल वाटर (पानी) के लिए रोज-रोज पैसे मांगती हो जबकि हमारे घर में तो रोज पानी आता है। उसके पापा कहते हैं कि हम आम आदमी हैं और मिनरल वाटर का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। रिंकिया जवाब देती है कि हमारे घर में काला पानी आ रहा है। आपको यकीन नहीं है तो अभी फोटो खींचकर वाट्सऐप कर देती हूं। इसके बाद रिंकिया अपने पापा को गंदे पानी की फोटो लेकर भेजती है। फोटो देखने के बाद रिंकिया के पापा कहते हैं कि यह तो बिलकुल गटर का पानी है।

इससे तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इस पर रिंकिया कहती है कि दिल्ली का पानी 21 शहरों में सबसे अधिक प्रदूषित है। इनता ही नहीं कई इलाकों के पानी के नमूने फेल हो चुके हैं लेकिन केजरीवाल अंकल तो दिल्ली के पानी को यूरोप के पानी जैसा बता रहे हैं। बधाई हो के झूठे पोस्टर भी लगाते हैं। इस पर रिंकिया के पापा कहते हैं कि इस बार मेरा वोट केजरीवाल को नहीं मिलेगा। जैसे-जैसे प्रचार में तेजी आएगी सोशल मीडिया पर विज्ञापनों के प्रहार में भी तेजी आएगी।

चुनावी चाल

दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी का 'रिंकिया के पापा' सुपरहिट भोजपुरी गीत है।

सबसे पहले 'आप' ने 'रिंकिया के पापा' का विज्ञापन जारी किया।

भाजपा ने भी रविवार को 'रिंकिया के पापा' विज्ञापन जारी किया।

www.readwhere.com

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	15.8 डि.से.	15.8 डि.से.	19.0 डि.से.	19.0 डि.से.
न्यूनतम	6.2 डि.से.	6.2 डि.से.	7.0 डि.से.	7.0 डि.से.

पंजीकरण और कक्षाओं का जारी रहेगा बहिष्कार : जेएनयू छात्र संघ

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ ने रविवार को फिर पंजीकरण और कक्षाओं का बहिष्कार जारी रखने की घोषणा की है। इसके अलावा छात्र संघ ने जेएनयू प्रशासन की ओर से कक्षाएं शुरू करने, कक्षाओं का कार्यक्रम और शिक्षण कार्यक्रम को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी शिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ चर्चा के बाद ही लाया जा सकता है।

जेएनयू में छात्रावास की नई नियमावली और बड़े शुल्क को लेकर विद्यार्थी 85 से ज्यादा दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसके तहत विद्यार्थी परीक्षा और शीतकालीन सत्र की पंजीकरण प्रक्रिया का बहिष्कार भी कर चुके हैं। रविवार को छात्र संघ ने बयान जारी कर विद्यार्थियों से पंजीकरण, परीक्षा और कक्षाओं का बहिष्कार करने की अपील की है। छात्र संघ ने कहा है कि पिछले सेमेस्टर के शैक्षणिक बैकलॉग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है, जब तक यह बीता सेमेस्टर पूरा नहीं होता है, तब तक शीतकालीन सत्र की कक्षाओं का बहिष्कार जारी रखें। छात्र संघ ने कहा है कि जिस तरीके से परीक्षाओं और कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, उससे अराजकता और हंगामा पैदा होगा। विद्यार्थी समुदाय में एक और विभाजन हो सकता है।

आज अदालत में अपील करेंगे

छात्र संघ ने विद्यार्थियों को बताया है कि वह छात्रावास की नई नियमावली के खिलाफ सोमवार को अदालत में अपील करेंगे। इसमें छात्रावास की पुरानी दरों के आधार पर पंजीकरण की मांग की जाएगी। इसे तत्काल आधार पर सुनने की अपील अदालत से की जाएगी। जब तक छात्र संघ ने विद्यार्थियों से पंजीकरण परीक्षा और कक्षाओं सहित सभी अकादमिक गतिविधियों का बहिष्कार जारी रखने का आग्रह किया है।

तीन राज्यों में नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में तीन गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली जोनल यूनिट ने दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में नशीले दवाईयों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इस अंतरराज्यीय गिरोह का मूल केंद्र आगरा था और वे पंजाब के रास्ते अपना गोरखधंधा चला रहे थे। इनके पास से 7 लाख, 24 हजार 840 कैप्सूल, 14 सौ इंजेक्शन और 80 सीबीसीएस बोतल बरामद किए गए हैं। ब्यूरो इस धंधे में फार्मा कंपनी, डीलरों और विक्रेताओं की भूमिका भी जांच रही है।

ब्यूरो के जोनल निदेशक केपीएस मलहोत्रा के मुताबिक सीबीसीएस कफ की दवाइयों में प्रयोग होता है। अन्य नशीले पदार्थों में (सायकोट्रोपिक मेडीसीन) भी इसी प्रकार की दवाइयां शामिल हैं। ब्यूरो को दस जनवरी को सूचना मिली थी कि कुछ लोग इस धंधे में शामिल और वे लोग डीटीडीसी कूरियर्स से इसे आपूर्ति कर रहा है।

सामूहिक बलात्कार के बाद युवती की हत्या, दो हिरासत में

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

नोएडा में एक युवती का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या का आरोप नोएडा के ही रहने वाले दो युवकों पर लगा है। युवती की मौत रविवार तड़के दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। युवकों पर आरोप है कि उन्होंने युवती से सामूहिक बलात्कार किया और बाद में उसे यमुना एक्सप्रेस-वे पर फेंककर फरार हो गए थे। युवती शुक्रवार को अपने घर से काम करने की बात कह कर निकली थी। पर बाद में परिजनों को सूचना मिली कि उसे गंभीर हालत में नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से बाद में उसे जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया था।

गौतम बुद्ध नगर के पुलिस उपायुक्त (प्रथम) संकल्प शर्मा ने बताया कि थाना सेक्टर-49 क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में अपनी बेटी से सामूहिक बलात्कार और फिर उसकी हत्या करने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि युवती सेक्टर-68 स्थित एक कंपनी में काम करती थी। 17 जनवरी को वह घर से काम के लिए निकली। आरोप है कि वहां से सचिन और श्याम नामक दो युवक उसको अगवा करके यमुना एक्सप्रेस-वे के रास्ते मथुरा की ओर ले गए। शिकायत में कहा गया कि दोनों आरोपियों ने युवती से सामूहिक बलात्कार किया। बाद में उसे यमुना एक्सप्रेस-वे पर सड़क किनारे फेंक दिया। पिता द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक, आरोपियों के साथ एक युवती और गई थी, जिसने फोन करके उनको उनकी बेटी के घायल होने की सूचना दी। वहीं, दिल्ली के शाहदारा जिला पुलिस उपायुक्त अमित शर्मा ने बताया कि मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा का है। युवती को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हुई है। परिजनों की शिकायत लेकर मामले में आगे की जांच स्थानीय पुलिस को सौंप दी गई है।

नोएडा के उपायुक्त संकल्प शर्मा ने कहा कि युवती के परिजनों ने दोनों युवकों को नामित करते हुए थाना सेक्टर-49 में सामूहिक बलात्कार व हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि युवती यमुना एक्सप्रेस-वे में हुए सड़क हादसे में घायल हो गई थी। दोनों ने सामूहिक बलात्कार की बात से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट के बाद ही सही तथ्य सामने आएंगे, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यमुना एक्सप्रेस-वे पर घायल हालत में मिली थी युवती

नोएडा पुलिस ने सामूहिक बलात्कार, हत्या का दर्ज किया मुकदमा

'सड़क हादसे की बात झूठ'

युवती के पिता ने बताया कि वह जब अस्पताल पहुंचे तो उनकी बेटी के दोस्तों ने बताया कि वह वे मथुरा घूमने गए थे। वहां से घर लौटते हुए जैसे ही वह जेवर में टप्पल के पास पहुंचे, तभी उन्हें एक वाहन ने टक्कर मार दी। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी के शरीर के बाहरी हिस्से पर चोट के निशान नहीं हैं। सड़क हादसे की बात झूठ है।

परिजनों को देखकर भागे दोस्त

परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद सारे दोस्त वहां से फरार हो गए। पिता ने बेटी का फोन चेक किया तो उन्होंने देखा कि उसमें से कुछ मैसेज डिलीट थे, जबकि मथुरा में लिए गए फोटो सुरक्षित हैं। उनका कहना है कि जो मैसेज डिलीट किए गए थे, वह शुक्रवार के ही थे। परिजनों का आरोप है कि दोस्तों ने वारदात को अंजाम देने की पहले से ही योजना बना रखी थी। वारदात को अंजाम देकर उन्होंने दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया।

फंड नहीं मिला तो सड़क पर उतरेंगे आम्रपाली खरीदार

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 19 जनवरी।

अगर केंद्र सरकार आम्रपाली की अधूरी परियोजनाओं का काम पूरा करने के लिए स्ट्रेस फंड नहीं देगी, तो आम्रपाली खरीदारों ने सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है।

रविवार को सेक्टर- 6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में खरीदारों के लिए कानूनी पहलुओं पर चर्चा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें करीब डेढ़ हजार से अधिकर खरीदारों ने भाग लिया। बड़ी संख्या में खरीदारों ने वकीलों से सवाल भी पूछे। खरीदार अधूरी परियोजनाओं का काम शुरू होने से ज्यादा 31 जनवरी 2020 तक रुपए जमा कराने को लेकर चिंतित थे।

नोएडा और आसपास विकास के प्रयास पर चर्चा

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 19 जनवरी।

सेक्टर- 18 में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे (एनजीवाइ) इंफ्रा सम्मेलन 2020 में गौतम बुद्ध नगर से सांसद डॉ महेश शर्मा ने कहा, जब मैं उड्यन मंत्री था, उस वक्त जेवर हवाई अड्डे का खाका तैयार कराया जा चुका था। तब कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री से कहा था कि डॉ महेश जेवर में इसलिए हवाई अड्डा चाहते हैं क्योंकि उनकी एक हजार एक-ड़ जमीन जेवर में है।

प्रधानमंत्री ने बुलाकर पूछा तो मैंने कहा कि मेरी कोई जमीन नहीं है, आप जांच करा लें। लोग बदनाम करने के लिए तरह-तरह की बातें कर रहे थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने तय किया कि दिल्ली के नजदीक दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में ही बनेगा।

सम्मेलन में मौजूद नोएडा के पहले पुलिस आयुक्त आलोक सिंह ने कहा कि यहां किस तरह और किस तरीके से अपराध को अंजाम दिया जाता है, इस पर काम कर रहे हैं। जल्द ही योजनाबद्ध तरीके और पूरी रणनीति से जनता को सुरक्षित माहौल दिया जाएगा। पुलिस व्यवहार में परिवर्तन लोगों को भी नजर आएगा। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सभी प्रयास करने को जरूरी बताया।

दत्तोपंत ठेंगड़ी जन्मशताब्दी वर्ष पर वैचारिक गोष्ठी हुई

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 19 जनवरी।

दत्तोपंत ठेंगड़ी के जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में स्वदेशी जागरण के प्रकल्प हमारा परिवार की ओर से वैचारिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। सेक्टर-12 स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में नोएडा महानगर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण के राष्ट्रीय संगठन मंत्री कश्मीरी लाल मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे।

हमारा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकल्प स्वदेशी जागरण से प्रेरित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हमारा परिवार करीब ढाई साल से काम कर रहा है।

350 से ज्यादा विद्यार्थी पुरस्कृत

जनसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद, 19 जनवरी।

हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट ने रविवार को गाजियाबाद क्षेत्र 350 से ज्यादा विद्यार्थी को पुरस्कृत कर अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता 2019 का समापन किया। विजेता विद्यार्थियों को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आशीष शिवपुरी, मुख्य आर्किटेक्ट एवं टाउन प्लानर, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने पुरस्कृत किया। इस अवसर पर आइआरएस डॉ शिखा दरबारी भी मौजूद थीं।

आज के कार्यक्रम

नृत्य

इंडिया हैबीटाट सेंटर : कथक, स्टेन ऑडिटोरियम, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

फिल्म

इंडिया हैबीटाट सेंटर : बेबाक फिल्म का प्रदर्शन, गुलमोहर ऑडिटोरियम, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

दिल्ली मेरी दिल्ली

केजरीवाल की अदा

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल का जवाब नहीं है। लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद तेजी से अपनी चाल बदली और दनादन घोषणा करके पार्टी को विधानसभा चुनाव के मुकाबले में खड़ा कर दिया। चुनाव प्रचार की तरह उम्मीदवार तय करने में अव्वल रहे लेकिन अति उत्साह में पार्टी में नए आए लोगों की खातिर अपने कई प्रभावशाली विधायकों के टिकट काट दिए। हर तरफ बगावत की खबर आ रही है और केजरीवाल उससे बेखबर बयान दे दिया कि जिन 15 विधायकों के टिकट कटे वे पार्टी के सम्मानित सदस्य बने रहेंगे। पार्टी उन्हें दूसरी जिम्मेवारी देगी। टिकट काटने वाले किसी विधायक से पार्टी नेताओं ने पहले मुलाकात करके उन्हें विश्वास में लेकर फैसला नहीं किया, इसलिए टिकट कटने वाले विधायकों में नाराजगी ज्यादा है। पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री ने डेढ़ करोड़ रुपए का सालाना पैकेज छोड़कर 'आप' में सक्रिय हुए, वे 'आप' नेताओं से जानना चाहते हैं कि उनका कसूर क्या है जिसके चलते उनका टिकट कटा। ऐसे सवाल टिकट कटने से नाराज दूसरे विधायक उठा रहे हैं।

नेताओं का नाटक

कहा जाता है कि चाहे जैसा माहौल हो लेकिन राजनीति करने वाले नेता तो टिकट लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। संघर्ष करने की आदत छोड़ चुके कांग्रेस के नेता इससे ठीक उल्टा आचरण कर रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली के सभी वरिष्ठ नेताओं से विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा। हालात ऐसे हैं कि कोई नेता अपनी उम्र का हवाला देकर अपने बच्चों को तो, कोई स्वास्थ्य का हवाला देकर अपने किसी समर्थक को और तो और कोई अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने के फिराक में है। इसमें कई तो सफल होते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं एक नेता तो विदेश चले गए। काम उनका जरूरी रहा होगा लेकिन उनके विरोधी इसे भी उनके चुनाव न लड़ने से जोड़ रहे हैं।

सीट का दर्द

दिल्ली कांग्रेस में टिकट को लेकर दावेदारी करने वाले नेताओं की कमी नहीं है। कुछ कार्यकर्ता और प्रवक्ता पिछले कुछ महीने से अपने इलाके में इस प्रकार सक्रिय हो गए थे, जैसे उन्हें यह बता दिया गया हो कि उनका टिकट उक्त विधानसभा के लिए तय हो गया है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर शनिवार शाम तक पार्टी का अलाकमान मथापच्ची करता रहा। पर जैसे ही चर्चा चली कि बिहार और झारखंड के सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गठबंधन करने की चर्चा चली। पार्टी के एक प्रवक्ता बुरी तरह से बिफर पड़े। उनका कहना था कि पूरे पांच साल तक क्षेत्र में इस उम्मीद से कार्य करते रहे कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट देगी। पर अब माना जा रहा है कि यह सीट राजद के खाते में जाने वाली है। उनका कहना था कि यह तो पहले से तय कर लेना चाहिए था। दो दिन पहले पार्टी कार्यालय से बोला गया कि सारे दस्तावेज तैयार कर लें। पर अचानक से बोल दिया गया कि आला कमान ने राजद के साथ गठबंधन का निर्णय लिया है। प्रवक्ता का कहना था कि केवल पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या को देखते हुए उनकी सीट को राजद को देने की बात कही जा रही है।

कानून से किरकिरी

कई बार जानकारी का आभाव भरी महफिल में अच्छे खासे वक्ता की किरकिरी करा देता है। ऐसा ही एक माजरा दिखा पिछले दिनों एनडीएमसी सभागार में। मौका था सीएए के समर्थन में बौद्ध संघ की धम्म सभा का। मुख्य अतिथि के आने में हुई देरी पर संघ की महिला शाखा की अध्यक्ष ने मंच से माइक संभाला और सीएए को लगातार 'सीनियर एमेंडमेंट एक्ट' बताती रहीं। साथ ही में इसके समर्थन की बात करती रहीं। सभागार में बैठे लोगों में अब इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई। यह अलग बात है कि उन्होंने सीएए का हिंदी में सही उच्चारण किया, लेकिन जब भी अंग्रेजी में सीएए बोला, उसे 'सिटीजनशिप' की जगह 'सीनियर' एमेंडमेंट एक्ट ही बोलती रहीं। सभागार में तालियों की जगह कानाफूसी का ही मंजर चलता रहा। किसी ने ठीक ही कहा-जानकारी के आभाव ने करा दी न किरकिरी!

अधिकार का आकर्षण

उत्तर प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद अब तक प्रतिष्ठित मानी जाने वाली नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी जैसे पदों का आकर्षण कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि अब जनपद गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी की जरूरत नहीं रहेगी लेकिन उनके काफी अधिकार पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं। इसी तरह सिटी मजिस्ट्रेट के चालान या जमानत देने जैसे अधिकार भी पुलिस अधिकारियों के अधीन होंगे। मुख्यतः राजस्व ही डीएम की निगरानी का अहम केंद्र होगा। हालांकि काफी अन्य अधिकार भी डीएम पद के साथ निहित हैं लेकिन वह अधिक प्रभावी नहीं है। जबकि अब तक गौतम बुद्ध नगर का जिलाधिकारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे खास और प्रतिष्ठित तैनाती मानी जाती थी।

चुनाव का नजारा

दिल्ली में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में एक विचित्र नजारा देखने को मिला। जिसमें सभी दल अपने कामों के दावों व नेताओं के तस्वीरों वाले विज्ञापन छुपाने लगे हैं। कभी छोटी से छोटी बात को लेकर कर श्रेय लेने की होड़ में एक दल पोस्टर लगाता था तो दूसरे दल के समर्थक उसे फाड़ देते या ढक देते थे, लेकिन आचार संहिता के इन दिनों में उल्टा ही हो रहा है। एक दल अपने खुद के पोस्टर ढंकने में लगा है तो दूसरे दल के समर्थक उसे फाड़ने में सक्रिय हैं।

-बेदिल

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्तियों के लिए)
[(विशिष्ट-IV)देखें नियम 8(1)]

शाखा कार्यालयः एमएमएच कॉलेज, गाजियाबाद, उ0प्र0

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्ती परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ने प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को माँग सूचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि तालिका में नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि तथा उस पर ब्याज के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:-

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	ऋणधारकों/गारंटरों के	नाम गिरवी रखी गई/चार्ज्ड सम्पत्ति का विवरण	माँग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	कर्जदार: श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह एवं श्रीमती काजल देवी, पत्नी महिपाल सिंह	श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह के नाम पर आवासीय भूतल, एरिया 900 वर्ग फीट, प्लॉट नं. 35-ए पर निर्मित, खसरा नं. 1025 का भाग, गांव दरगल, अब गुलधर-2 के रूप में ज्ञात, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, गाजियाबाद जो घिरा है: पूर्व: रास्ता 24' चौड़ी पश्चिम: प्लॉट नं. 58 उत्तर: प्लॉट नं. 35 दक्षिण: प्लॉट नं. 36	03.09.2019	14.01.2020	रू. 17,11,337/- और उस पर ब्याज एवं अन्य खर्चे।
2.	कर्जदार: श्री राज कुमार पुत्र खड़क सिंह एवं श्रीमती संगीता चौधरी पत्नी राज कुमार	साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति असर सं. (कम्प्यूटर गाँव कोड नं.101/1002), क्षेत्र 30.09 वर्ग मीटर, खसरा नं.525/1 का भाग, गाँव चुपियाना बुजुर्ग, निकट लाल कुँआं, परगना एवं तहसील दादरी, गौतमबुद्ध नगर-201009 में स्थित सम्पत्ति जो घिरा है: उत्तर: 18 फीट चौड़ी सड़क दक्षिण: अन्य प्लॉट पूर्व: संगीता चौधरी का प्लॉट पश्चिम: लक्ष्मी का प्लॉट	09.10.2019	14.01.2020	रू. 20,57,770/- और उस पर ब्याज एवं अन्य खर्चे।
3.	कर्जदार: श्री विनोद कुमार सिंह, पुत्र श्री हरपाल सिंह प्रेमी एवं श्रीमती सारिका पत्नी श्री विनोद कुमार सिंह	श्रीमती सारिका पत्नी विनोद कुमार के नाम में साम्यिक बंधक सम्पत्ति पहला तल, छत/टेरेस अधिकार के बिना, मकान नं. 3-ए/68 का भाग, सेक्टर-3, कवर्ड क्षेत्र परिमाप 78.96 वर्ग मीटर जो आवासीय कालोनी "नेहरू नगर" जिला-गाजियाबाद में स्थित सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जो घिरा है: उत्तर: 40 फीट चौड़ी सड़क दक्षिण: सम्पत्ति सं.45 पूर्व: 40 फीट चौड़ी सड़क पश्चिम: सम्पत्ति सं.67	05.09.2019	14.01.2020	रू. 26,70,017/- और उस पर ब्याज एवं अन्य खर्चे।
4.	कर्जदार: श्री निखिल कुमार पुत्र स्व0 श्री ब्रहम पाल सिंह	श्री निखिल कुमार पुत्र स्व0 श्री ब्रहम पाल सिंह के नाम में साम्यिक बंधक सम्पत्ति मकान नं.ए-29, गली नं.2, गाँव-घोण्डा चौहान बांगर, ब्रह्मपुरी, दिल्ली-110053, क्षेत्र 20.90 वर्ग मीटर (परिमाप 15x15 वर्गफीट) सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्से जो घिरा है: उत्तर: 15 फीट चौड़ी गली दक्षिण: राधा किशन की सम्पत्ति पूर्व: 15 फीट चौड़ी गली पश्चिम: रानी देवी का सम्पत्ति	03.09.2019	16.01.2020	रू. 12,97,673/- और उस पर ब्याज एवं अन्य खर्चे।
5.	कर्जदार: श्री मुकेश कुमार पुत्र भागमल सिंह	श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री भागमल सिंह के नाम पर साम्यिक बंधक भूमि के सभी भाग एवं हिस्से प्लॉट नं. ए-1/299, भूतल, 3 मंजिला भवन, डीएलएफ दिलशाद एक्स.-2, भरमपौर भोपुरा, गाजियाबाद, एरिया 30.09 वर्ग मीटर जो घिरा है उत्तर: प्लॉट नं. ए-1/300 दक्षिण: प्लॉट नं. ए-1/298 पूर्व: रोड 30 फीट चौड़ी पश्चिम: प्लॉट नं. ए-1/292	02.09.2019	16.01.2020	रू. 11,09,577/- और उस पर ब्याज एवं अन्य खर्चे।

कर्जदारों का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान: गाजियाबाद / दिल्ली
दिनांक: 16.01.2020

प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon!

सामान्य सेवाएं प्रशासन प्रभाग
प्रधान कार्यालय, प्लॉट सं. 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075
ई-मेल : hoinsurance@pnb.co.in; hogad@pnb.co.in

बीमा ब्रोकिंग फर्म्स/कंपनियों/एलएलपी के पैनल हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए सूचना

पंजाब नैशनल बैंक बीमा ब्रोकर्स के पैनल हेतु बीमा ब्रोकिंग फर्म्स/कंपनियों/एलएलपी से आवेदन आमंत्रित करता है।

पात्र फर्म्स/कंपनियाँ अपने आवेदन पत्र महाप्रबंधक, पंजाब नैशनल बैंक, सामान्य सेवा प्रशासन प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लॉट नं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 को दिनांक 10.02.2020 को या उससे पूर्व सायं 4.00 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।

विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट https://www.pnbindia.in/ पर जाएं।

मुख्य प्रबंधक

नियुक्तियां

भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
शिपिंग हाउस, 245, मैडम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021
(भारत), दूरभाष: 91-22-22772576 • वेबसाइट: www.shipindia.com
• Twitter: @shippingcorp • सीआईएन: L63030MH1950GOI008033

सहायक प्रबंधक एवं उप महा प्रबंधक की श्रेणियों में अधिकारियों की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और शुल्क का भुगतान : 25/01/2020 से 24/02/2020 तक

सहायक प्रबंधक के पदों पर (विस्तृत विज्ञापन में विशेषज्ञताएं वर्णित हैं) कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती के लिए भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड आवेदन आमंत्रित करता है, कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के बाद सहायक प्रबंधकों को विधिवत प्रक्रियाओं के अधीन नियमित किया जा सकता है, उप महा प्रबंधक की श्रेणी में (तीन : 1 पद, और सिविल : 1 पद) वरिष्ठ अधिकारियों के पदों पर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती के लिए भी भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड आवेदन आमंत्रित करता है, एससीआई के वेबसाइट लिंक www.shipindia.com→careers→shore पर रिक्तियों, योग्यताओं / अनुभव तथा सेवा शर्तों की अधिक जानकारी देखी जा सकती है।

कार्गो मंजिल तक पहुँचाए, जीवन को राह दिखाए

जनसत्ता

20 जनवरी, 2020

बेलगाम अपराध

उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के शासन काल में अपराधियों के बेलगाम घूमने से त्रस्त लोगों ने सत्ता परिवर्तन का फैसला किया था। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो उम्मीदें जगी थीं कि अब लोगों को अपराधियों के तांडव से मुक्ति मिलेगी। खुद मुख्यमंत्री ने भी इसका बढ़-चढ़ कर दावा किया। पुलिस प्रशासन में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए। चौकसी के आदेश दिए गए। मगर हकीकत यह है कि योगी राज में अपराधियों का मनोबल कुछ बढ़ा ही नजर आता है। शायद ही कोई महीना गुजरता हो, जब वहां अपराध की कोई बड़ी घटना न घट जाती हो। अब तो छेड़खानी और महिलाओं से बलात्कार करने वालों तक के मन से कानून का खौफ इस कदर खत्म हो गया है कि वे जमानत पर छूट कर आते हैं और पीड़िता और उसके परिजनों पर दुबारा हमला कर देते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में पीड़िता पर हर तरह का दबाव बनाया गया, उसके परिजनों को तरह-तरह से प्रताड़ित किया गया, पर जब वह नहीं झुकी तो अदालत के रास्ते में उसके वाहन पर हमला किया गया। इसी तरह कानपुर में ताजा घटना हो गई, जिसमें छेड़खानी के आरोप में जेल भेजे गए युवक जमानत पर वापस लौटे, तो उन्होंने पीड़िता के घर में घुस कर उसकी मां पर जानलेवा हमला किया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर अंततः उसे बचाया नहीं जा सका।

पिछले कुछ समय से बलात्कार के मामलों में देखा जा रहा है कि अपराधी बलात्कार के बाद पीड़िता को जान से मारने का प्रयास करते हैं। अगर वह बच जाती है, तो उसे और उसके परिवार वालों को तरह-तरह से प्रताड़ित करते हैं। देश में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। हैरानी की बात है कि कानपुर की पीड़िता और उसके परिवार वालों को सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई। जब दोषी जमानत पर छूट कर आए, तो पुलिस ने उन पर नजर रखना जरूरी नहीं समझा। अगर पुलिस उन पर नजर रखती, तो शायद इस घटना को होने से रोका जा सकता था। विचित्र यह है कि दोषियों ने घर में घुस कर पिछले हफ्ते पीड़िता की मां को बुरी तरह पीटा, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हुईं थीं, मगर इस घटना को छिपाया गया। जब पीड़िता की मां ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, तब यह खबर सार्वजनिक की गई है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के इस रवैए से अपराधियों के मनोबल पर क्या असर पड़ता होगा।

बलात्कार की घटनाओं पर नकेल कसना और अपराधियों में कानून का भय पैदा करना देश भर में चुनौती है। इसे लेकर कानूनों में कड़े प्रावधान किए गए हैं। फांसी तक की सजा तय की गई है। मगर ऐसी घटनाओं में कमी नहीं आ रही, तो यह पुलिस की नाकामी ही कही जाएगी। उत्तर प्रदेश में अपराध पर काबू पाना बड़ी चुनौती है, पर सरकार खुद इस मामले में संजीदा नजर नहीं आती या पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करती देखी जाती है, जिसका असर पुलिस के कामकाज पर पड़ता है। वह रसूखदार लोगों के दबाव में अपराधियों की तरफ खड़ी नजर आने लगती है। कई बार वह खुद भी अपराधियों जैसा व्यवहार करती देखी गई है। लखनऊ में एक इंजीनियर को गोली मारना इसका एक उदाहरण है। ऐसे में प्रदेश में स्वाभाविक ही सुरक्षा को लेकर लोगों में असंतोष पनप रहा है। जब अपराधी दिन-दहाड़े, सरेराह अपराध करके निकल जाते हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वहां की पुलिस पर कितना भरोसा किया जा सकता है।

चीन का संकट

लगता है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत चीन की अर्थव्यवस्था पर भी अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकीय ब्यूरो ने पिछले शुक्रवार को आर्थिक विकास दर को लेकर जो आंकड़े जारी किए, वे बता रहे हैं कि इस महाबली के यहां आर्थिक मोर्चे पर सब कुछ ठीक नहीं है और देश संकट की ओर बढ़ रहा है। पहली चौंकाने वाली खबर ये है कि पिछले साल चीन की आर्थिक वृद्धि दर 6.1 फीसद पर आ गई। पिछले तीन दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है जब चीन के आर्थिक विकास की दर इतनी नीचे आ गई है। हालांकि अभी इसका तात्कालिक कारण यही बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से अमेरिका के साथ चीन का जो व्यापार युद्ध चल रहा है, उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। वैसे इसके संकेत पिछले दो-तीन साल से मिलने लगे थे, लेकिन तब इसे संकट के रूप में नहीं देखा गया था, इसलिए चीन की सरकार के लिए यह चिंता का विषय भी नहीं था। वर्ष 2018 में चीन की आर्थिक विकास दर 6.6 फीसद और 2017 में 6.8 फीसद रही थी। यानी पिछले तीन साल से आर्थिक वृद्धि में लगातार गिरावट का दौर चल रहा है।

चीन दुनिया के उन कुछ प्रमुख देशों में से है, जिनका वैश्विक व्यापार पर कब्जा है। अमेरिका और यूरोप से लेकर अफ्रीकी देशों तक में छोटे से लेकर बड़े सामान का निर्यात चीन करता है। भारत सहित एशिया के कई देश चीनी माल की खपत के लिए बड़ा बाजार बने हुए हैं। दुनिया की शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो चीन न बनाता हो। जाहिर है, चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र बन चुका है। ऐसे में अगर आर्थिक वृद्धि में गिरावट का दौर बना हुआ है तो इसका सीधा-सा मतलब यह है कि चीनी कारखानों और उत्पादन केंद्रों के सामने मांग और उत्पादन का संकट खड़ा हो गया है। इसके अलावा चीन ने दुनिया के कई विकासशील देशों में भारी निवेश कर रखा है। घरेलू मोर्चे पर चीन को महंगाई और मांग में कमी जैसे संकटों से जूझना पड़ रहा है। लोगों की क्रय-शक्ति प्रभावित हो रही है। आम चीनी नागरिक हालात को देख रहा है, इसलिए सतर्क है और खर्च करने से बच रहा है। इसलिए घरेलू मांग में कमी आई है।

चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर सिर्फ उसके लिए ही चिंताजनक नहीं है, बल्कि यह दूसरे देशों को चिंता में डालने वाला है। चीन की अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी इंजन का काम करती है। हालांकि चीन सरकार ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कर कटौती जैसे कदम तो उठाए हैं, पर इनका असर होता नहीं दिख रहा। दरअसल, चीन और अमेरिका के बीच लंबे समय से जो व्यापार युद्ध चल रहा है और गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा, उससे चीनी अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। चीन और अमेरिका दोनों ही संरक्षणवादी नीतियोंके पक्षधर रहे हैं। अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव हैं, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चीन के आगे जरा भी नहीं झुकने वाले। चीन भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाने वाला जो उसके आर्थिक हितों के प्रतिकूल हो। चीन को लेकर अर्थशास्त्रियों की चिंता भी बता रही है कि संकट अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर है। ऐसे में चीन के नीति-निर्माताओं के लिए संकट की यह घड़ी कठिन परीक्षा का भी वक्त है।

कल्पमेधा

प्रतिभा तो स्वतंत्रता के वातावरण में ही मुक्त सांस ले सकती है।

– जेएस मिल

चुनौतियों भरे बजट से उम्मीदें

जयंतीलाल भंडारी

नए बजट में विनिर्माण, बैंकिंग, कारपोरेट, ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए बड़े कदम उठाने होंगे,ताकि अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

देश के करोड़ों लोगों की निगाहें अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक फरवरी को पेश किए जाने वाले सालाना बजट पर हैं। इस समय देश के सामने बेरोजगारी और महंगाई जैसी बड़ी चिंताएं हैं। आर्थिक विकास और मंदी को लेकर सरकार पहले ही संकट में है। अमेरिका-ईरान के बीच जंग जैसे हालात के बाद कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने भी आग में घी का काम किया है। राजकोषीय घाटा भी काबू में नहीं है। ये सारी समस्याएं और चिंताएं वर्ष 2020-21 के नए बजट की बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं। नए बजट में भी सरकार के समक्ष आर्थिक सुस्ती से निपटने और सभी वर्ग के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की भारी कमी की चुनौती बनी रहेगी।

ऐसे में वित्त मंत्री से पांच प्रमुख अपेक्षाएं हैं। एक, अर्थव्यवस्था का ईमानदार आकलन करते हुए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की योजना बजट के माध्यम से प्रस्तुत करें। दो, नया बजट रोजगार के अवसर बढ़ाने वाला हो। तीन, मध्यम वर्ग को राहत दी जाए। चार, सरकार राजकोषीय समस्या को स्वीकार करे और मांग बढ़ाने के लिए राजकोषीय सीमित विस्तार के रास्ते पर चले और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का रास्ता अपनाए। पांच, नए बजट के तहत सरकार रेलवे की दशा-दिशा सुधारने के लिए रणनीतिक कदम आगे बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रस्तुत करे।

निसंदेह वर्ष 2020-21 में नए बजट में वित्त मंत्री को आर्थिक सुस्ती की चुनौतियों को सामने रखते हुए विभिन्न वर्गों की उम्मीदों को भी ध्यान में रखते हुए बजट को अंतिम रूप देना होगा। अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक कृषि क्षेत्र के लिए सरकार को काफी कुछ करना है, ताकि खेती और किसानों को लाभांवित करने पर विशेष ध्यान दिया जा सके। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि (पीएम किसान) के लिए अतिरिक्त धन आवंटित करना होगा। निश्चित रूप से नए बजट में कृषि क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च प्राथमिकता देनी होगी। सरकार को ऐसे नए उद्यमों को प्रोत्साहन देना होगा जो कृषि उत्पादों की लाभदायक कीमत दिलाने में मदद करने के साथ उपभोक्ताओं को ये उत्पाद मुनासिब दाम पर पहुंचाने में मदद करें।

आगामी बजट में ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के उपायों के साथ-साथ कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास के जरिए बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने वाली योजनाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। नए बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के कौशल विकास, सभी परिवारों को नल से पानी मुहैया कराने के लिए जल जीवन मिशन, मछुआरों को भंडारण एवं विपणन ढांचा मुहैया कराने के लिए मत्स्य संपदा योजना के लिए अधिक बजट आबंटन किया जाना चाहिए।

अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्री एक जनवरी, 2020 को घोषणा कर चुकी हैं कि सरकार आगामी पांच वर्षों में बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं में एक सौ दो लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ऐसे में नए बजट के तहत बंदरगाहों, राजमार्गों और हवाई अड्डों के निर्माण पर खर्च बढ़ाना होगा, क्योंकि निजी क्षेत्र की निवेश योजनाएं अब भी ठंडी पड़ी हैं। नए बजट के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, छोटे उद्योग-कारोबार और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों के लिए बजट आबंटन बढ़ाने की जरूरत है। नए बजट में डिजिटल भुगतान के लिए भी नए प्रोत्साहन जरूर होने चाहिए।

यह जरूरी है कि आगामी बजट के तहत पांच लाख रुपए तक की आय पर जो मौजूदा आयकर छूट है, वह आगे भी जारी रखी जाए। पांच से दस लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर जो मौजूदा बीस फीसद की दर से आयकर है, उसे घटा कर दस फीसद किया जाए। दस से बीस लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर जो मौजूदा तीस फीसद आयकर की दर है, उसे घटा कर बीस फीसद किया जाए। इससे वेतनभोगी और मध्यम वर्ग के लोग बड़ी संख्या में लाभान्वित होंगे। चूंकि देश में महिलाएं आर्थिक समानता में पुरुषों से बहुत पीछे हैं, अतएव महिलाओं को आयकर में विशेष छूट दी जानी चाहिए। साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी विशेष रियायत दी जानी चाहिए।

वर्ष 2020-21 के प्रस्तावित बजट में नई प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) और नए आयकर कानून को

आकार दिए जाने की उम्मीद है। गौरतलब है कि नई प्रत्यक्ष कर संहिता संबंधी रिपोर्ट, डीटीसी का मसौदा तैयार करने के लिए गठित टास्क फोर्स के अध्यक्ष अखिलेश रंजन के द्वारा वित्त मंत्री को सौंपी जा चुकी है। इस रिपोर्ट में प्रत्यक्ष कर कानूनों में व्यापक बदलाव और वर्तमान आयकर कानून को हटा कर नए सरल व प्रभावी आयकर कानून लागू करने की बात कही गई है। नए आयकर कानून में छोटे करदाताओं की सहूलियत के लिए कई प्रावधान सुझाए गए हैं। आकलन की प्रक्रिया सरल किए जाने और आयकर कानून के किसी प्रावधान को लेकर करदाता सीधे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से व्यवस्था ले सकेंगे। इसके अलावा कमाई पर दोहरे कर का बोझ भी खत्म करने की सिफारिश की गई है। नई प्रत्यक्ष कर संहिता और नए आयकर कानून को लागू किया जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 1961 में लागू किए गए आयकर अधिनियम में एक ओर कार्यान्वयन संबंधी जटिलताएं रहीं, वहीं दूसरी ओर विभिन्न रियायतों और अनेक छूटों के कारण कर अनुपालन में मुश्किलें बढ़ती गई।

नए बजट में ऐसे प्रावधान किए जाने की जरूरत है जिससे आयकरदाताओं की संख्या बढ़े। अच्छी कमाई होने के बाद भी लोग आयकर देने से बचते हैं। नोटबंदी और कर प्रशासन द्वारा डाटा विश्लेषण के बाद मालूम हुआ है कि बड़ी संख्या में लोग आय छिपाते रहे और आवश्यक आयकर के भुगतान में बेईमानी करते रहे। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नोटबंदी के कारण वित्त वर्ष 2016-17 के लिए रिटर्न दाखिल करने वालों की तादाद में भारी इजाफा हुआ। नोटबंदी के बाद आयकरदाताओं की संख्या बढ़ी। आयकरदाताओं की संख्या 2016-17 में बढ़ कर 6.26 करोड़ हो गई थी, जो 2015-16 की तुलना में तेईस फीसद अधिक थी। वर्ष 2017-18 में आयकरदाताओं की संख्या और बढ़ कर 7.4 करोड़ हो गई। अगले वित्त वर्ष में सरकार को श्रम सुधारों और निर्यात पर ज्यादा ध्यान देना होगा। नए बजट में विनिर्माण, बैंकिंग, कारपोरेट, ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए बड़े कदम उठाने होंगे,ताकि अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

आगामी बजट में वित्त मंत्री को आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचा और रोजगार बढ़ाने वाली सार्वजनिक परियोजनाओं पर बड़े कदम उठाने होंगे और इन परियोजनाओं पर भारी-भरकम रकम खर्च करनी होगी। इसके अलावा आर्थिक सुस्ती, राजस्व संग्रहण में कमी और बढ़ती हुई कच्चे तेल की कीमतों के बीच पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए राजकोषीय घाटे में 0.5 फीसद की बढ़ोतरी करने पर जोर देना होगा। बजट में राजकोषीय चिंता को दरकिनार रखते हुए आर्थिक विकास को गति देने के लिए खर्च और सार्वजनिक निवेश बढ़ाए जाने चाहिए। हालांकि राजकोषीय अनुशासन अच्छी बात है, लेकिन आर्थिक सुस्ती के दायरे को देखते हुए यह एक चुनौतीपूर्ण दौर है। ऐसे में राजकोषीय खर्च बढ़ने से बाजारों पर प्रतिकूल असर नहीं होगा। वित्त मंत्री को नए बजट में विनिवेश का उपयुक्त लक्ष्य घोषित करना चाहिए। यह देखने की बात है कि मौजूदा संकटों और चुनौतियों के बीच वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को पटरी पर कैसे ला पाएंगी?

वन्यजीवों के बीच

अरुणेंद्र नाथ वर्मा

दुनिया मेरे आगे

पिछली सर्दी के सबसे ठंडे दिन और कोहरे में सिमटी रात से मुक्ति पाने के लिए सोचा रणथंभौर अभयारण्य के 'राजा' के साथ आंखें चार करने क्यों न चला जाए। अतिरिक्त आकर्षण थे वहां के ऐतिहासिक दुर्ग से पैंतीस किलोमीटर आगे राजस्थान और मध्यप्रदेश की सीमा अंकित करती निर्मल चंबल नदी में विचरते घड़ियाल। फिर निकल पड़े हम भी नए साल का नए ढंग से स्वागत करने के लिए। सवाई माधोपुर के एक अच्छे से होटल में नए साल की पूर्वसंध्या पर नृत्य-संगीत के रंगारंग कार्यक्रम में डूब कर भी मन में एक शंका बनी रही। रणथंभौर के अभयारण्य से केवल दस किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर देशी-विदेशी सैलानियों से लबालब भरा हुआ था। अभयारण्य में बाघों की संख्या पिछले दो तीन वर्षों में बढ़ कर लगभग सत्तर हो गई है। लेकिन पिछले सीजन में रणथम्भोर आने वाले देशी -विदेशी सैलानियों की संख्या चार लाख से ऊपर थी। ऐसे में वनराज के दर्शन हो पायेंगे या केवल नीलगाय, साम्भर, चीतल और लंगूर आदि से ही संतुष्ट होकर लौटना पड़ेगा। लोगों ने बताया यह तो हमारा भाग्य ही तय करेगा कि उससे भेंट होने की कहानी हम गढ़ कर सुनायेंगे या सच बोलकर।

नए साल की पहली सुबह नीले आकाश के विराट वितान तले खिलखिलाती हुई धूप देखकर शुरू हुई। सुनहरी धूप में चम्बल तट पर मीलों तक फैली सरसों के फूलों की पीली चादर देखकर आँखें जुडा गयीं। उसके हरित-नील ठंढे पानी में डुबकी लगाने का मन करने लगा। लेकिन रेत में धूपस्नान करते घडियालों की एक झलक पाते ही समझ आई तो नौकाविहार का मन बनाया। चम्बल में नौकाविहार का आनंद सूखे तनों जैसे लगते धूप सेंकते घडियालों को पास से देख कर कईगुना बढ़ गया। धूप में ऋषि मुनियों की तरह मूक साधना में लिप्त घडियाल हमारी नौका बहुत पास आने पर धूप त्याग कर चुपचाप सरकते हुए पानी में उतर जाते। अन्य आकर्षण थे ठंढे देशों से भारत की ऊष्मा का आनंद उठाने आए हुए पक्षियों के झुंड। ऊंचे पेंटेड स्टोर्क के उजले रंग पर फैली लालिमा की सुंदरता का क्या कहना। जी में आया शांत चंबल के किनारे इन घड़ियालों और पक्षियों को देखते हुए सारा दिन बिता दें, लेकिन रणथंभौर के बाघों का आकर्षण हमें अपराह्न में टाइगर-सफारी में खींच लाया।

टाइगर सफारी में छतविहीन जीप या मारुती जिप्सी या बस में जाने का नियम है। लगभग तीन घंटे की सफारी में दो सौ बयासी वर्ग किलोमीटर के वृहद् अभयारण्य में बीसों किलोमीटर घूम कर भी सौभाग्यशाली सैलानी ही कोई बाघ देख पाते हैं। वनराज के दर्शन कर पाने वाले इतने खुश लगते हैं मानो लॉटरी लग गई हो। हमें भी अभयारण्य में डेढ़ घंटे तक इधर-उधर भटकते रहने के बाद पांचवीं जोन से लौटते सैलानियों से पता चला कि उधर कुछ आगे उन्हें बाघ दिखा था। आनन-फानन में आठ दस जिप्सी वाहन और बसें उस पतली-सी सड़क पर वहां पहुंच गए, जहां 'चल पड़े जिधर दो डग मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर' वाला नजारा था। जिस बिंदु से वनराज केवल तीस-चालीस गज दूर घास में आराम से पसरा हुआ था। वहां दिल्ली के ट्रैफिक जाम का नजारा दिखने लगा।

सबसे आगे वाली जीप के समृद्ध और संभ्रांत लगते देशी सैलानियों ने अपने अपने मोबाइल हथियार की तरह निकाल रखे थे। अपने कीमती कैमरे में जूम लेंस फिट कर के शेर के अच्छे पोज देने की प्रतीक्षा में खड़े एक सज्जन पीछे वाली गाड़ी में बैठे सैलानियों के अनुरोध की अनसुनी कर वहीं डटे रहने की कसम खाए हुए लगे। पतली-सी सड़क के दोनों बाजू झाड़ियां थीं, इसलिए सब गाड़ियां एक कतार में रुकी हुई थीं। पंद्रह-बीस मिनट की प्रतीक्षा से उकताए पीछे की गाड़ियों के सैलानियों ने गाइड के चुप्पी बनाए रखने के अनुरोध को चिंदी-चिंदी करके हवा में उड़ा दिया। बड़ी मुश्किल से वह जीप आगे सरकी तो उसके पीछे वाली गाड़ी के सैलानियों का आदर्शवाक्य भी 'हम किसी से कम नहीं' निकला। पीछे वाले वाहनों के सैलानियों का धीरज जवाब दे रहा था। उनमे बैठे कई गरममिजाज नवयुवक गाड़ी से उतर कर वनराज के पास पैदल जाने पर उतारू हो गए। गाइड उनसे पहले कड़े स्वर में, बाद में हाथ जोड़ कर प्रार्थना करने लगा कि ऐसा करने से उनकी जान और उसकी नौकरी दोनों एक साथ जाएंगी। वे नीचे उतरने से तो रुक गए, लेकिन जोर-जोर से आगे वाली गाड़ियों के सैलानियों के साथ गाली-गलौज करने लगे। सामने वाले भी उतने ही बहादुर निकले। इस रणथंभौरी रण में विजय पाने के लिए उन्होंने जवाबी ललकार की। तभी नया हल्ला हुआ। पता चला कि घास में लेटा हुआ बाघ इस गाली-गुफ्ते से उकता कर चलता बना था।

मैंने लज्जित होकर अपने साथ बैठे एक विदेशी सह-सैलानी से क्षमायाचना की। लेकिन उसने बताया कि उसे बहुत मजा आया था। वन्य पशु तो उसने अन्य देशों में भी देखे थे, लेकिन इतने हौसलेमंद सैलानी अब तक कहीं नहीं देखे थे।

बच्चों की मौत

भारत दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। फिर भी हर साल साढ़े आठ लाख बच्चे इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। यह गंभीर चिंता की बात है। एक तरफ तो देश तरक्की की बड़ी-बड़ी डींगे हांक रहा है, दूसरी ओर हालत ये है कि हम स्वास्थ्य क्षेत्र पर जीडीपी का महज डेढ़ फीसद खर्च कर रहे हैं। ये आंकड़े हमारे देश की बदहाली कीतस्वीर पेश करने के लिए काफी हैं। सवाल ये है कि सरकारें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए हर साल बजट में जो पैसा आबंटित करती हैं, वह आखिर जाता कहां है? क्यों नहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्नत बनाया जा रहा। ग्रामीण इलाकों में तो स्वास्थ्य सेवाएं खुद बीमार जैसी हालत में हैं। हम देख रहे हैं कि सरकार बच्चों के जीवन से ज्यादा पत्थर की मूर्तियों, जातियों ,धर्मों पर ध्यान देती है और हम खुशी-खुशी गुणगान करते भी नही थकते। जब बच्चे अच्छे रहेंगे, तब ही हम भी अच्छे रहेंगे। जब तक बच्चे स्वस्थ्य नहीं होगे तो देश विकास कैसे कर पाएगा।

● *प्रसिद्ध यादव, बाबूचक, पटना*

कश्मीरी पंडितों का दर्द

तीस साल पहले 19 जनवरी के दिन पाक समर्थित जिहादियों ने कश्मीरी पंडितों को अपनी भूमि से बड़ी बेरहमी से बेदखल कर दिया था और धरती के स्वर्ग में रहने वाला यह शांतिप्रिय समुदाय दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुआ था। यह वही काली तारीख है जब लाखों कश्मीरी पंडितों को अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि, अपने घर-बार आदि को हमेशा के लिए छोड़ कर अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा था। आज तीस साल हो गए हैं पंडितों को बेघर हुए। इनके बेघर होने पर आज तक न तो कोई जांच-आयोग बैठा, न कोई स्टिंग आपरेशन हुआ और न संसद या संसद के बाहर इनकी त्रासद-स्थिति पर कोई चर्चा हुई। इसके विपरीत 'आजादी चाहने' वाले अलगाववादियों और जिहादियों को सत्ता-पक्ष और मानवाधिकार के सरपरस्तों ने हमेशा सहानुभूति की नजर से देखा है। पहले भी यही हो रहा था और आज भी यही हो रहा है। उच्च न्यायलय ने भी कश्मीरी पंडितों की उस याचिका पर विचार करने से मना कर दिया था, जिसमें पंडितों पर हुए अत्याचारों की जांच करने के लिए गुहार लगाई गई थी। काश, अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की तरह कश्मीरी पंडितों का भी अपना कोई वोट-बैंक होता तो आज स्थिति दूसरी होती! तीस सालों के विस्थापन की पीड़ा से आक्रांत, बदहाल यह समुदाय धीरे-धीरे अपनी पहचान और अस्मिता खो रहा है।

दरअसल, किसी भी जाति के अस्तित्व के लिए तीन शर्तों का होना बहुत जरूरी है। पहली, उसका भौगोलिक आधार अर्थात उसकी अपनी सीमाएं, क्षेत्र या भूमि। दूसरी, उसकी सांस्कृतिक पहचान और तीसरी, अपनी भाषा और साहित्य। ये तीनों किसी भी जाति के मूलभूत तत्त्व होते हैं। अमेरिका या इंग्लैंड में रह कर आप अपनी संस्कृति का गुणगान या संरक्षण तो कर सकते हैं, मगर वहां अपना भौगोलिक आधार तैयार नहीं कर सकते। यह आधार तैयार हो सकता है अपने ही देश में और 'पनुन कश्मीर' (अपना कश्मीर) की अवधारणा इस दिशा में उठाया गया सही कदम है। सारे विस्थापित /गैर-विस्थापित कश्मीरी पंडित जब एक ही जगह रहने लगेंगे तो भाषा की समस्या तो सुलझेगी ही, सदियों से चली आ रही कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की भी रक्षा होगी।

● *शिबन कृष्ण रैणा, अलवर*

अपराध का विस्तार

संपूर्ण विकास को चट कर कई कारणों से बढ़ रही जनसंख्या की वजह से देश नौ दिन में अढ़ाई कोस भी नहीं चल पा रहा है। इसके लिए दंड-पुरस्कार आधारित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। यह एक सामाजिक समस्या भी है। संचार माध्यमों पर यौनांग और उसके उत्तेजनावर्धक अश्लील वेबसाइटें विज्ञापनों के साथ उपलब्ध हैं। इन्हीं में विधायक-सांसदों तक के चटखारे लेकर देखने के समाचार प्रकाशित हुए हैं। स्त्रियों की संख्या में कमी के चलते स्त्री-पुरुष अनुपात प्रभावित होने से कई पुरुष कुंआरे रह जाते हैं।

तब भी पितृसत्ता के मद में डूबे लोगों को नहीं समझ में आता है। ऐसे में कई लोगों के यौन-अपराधों के शिकार कमजोर तबकों के लोग और बेघरबार झुग्गियों वाले परिवार होते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अपराधियों के लिए जेलें तफरीह का साधन बन गई हैं, जहां अपराध से तौबा करने के बजाय लौटने पर अधिक बहादुर बन अगला अपराध करने निकल पड़ते हैं। इन पर नजर रखी जानी चाहिए। लेकिन आजकल हत्यारों तक के जमानत पर छूट कर आने पर मंत्री और नेता उनका स्वागत करते हैं। देश के न्यायालय अपराधियों को शीघ्र सजा के स्थान पर जमानत देते जाते हैं। ऐसे में जो भी समाज बन रहा है, वह सोच और मानसिकता के स्तर पर कैसा बनेगा?

● *श्याम शालिग्राम शर्मा, इंदौर*

त्रासदी की आशंका

एनआरसी और नागरिकता संशोधन अधिनियम के लगातार विरोध के बीच डिटेंशन सेंटर की बात भी उभर कर सामने आई है। डिटेंशन सेंटर उस स्थान को कहते हैं, जहां अवैध तरीके से रह रहे या बिना कागजात के देश में प्रवेश करने वाले विदेशी लोगों को रखा जाता है। भारत में 2008 तक डिटेंशन सेंटर जैसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जुलाई 2008 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि अक्सर लोग विदेशी घोषित होने के बाद गायब हो जाते हैं। इसलिए उन्हें पकड़ कर रखने के लिए राज्य सरकार डिटेंशन सेंटर की व्यवस्था करें. ताकि उन्हें यहां से निर्वासित किया जा सके। इसके बाद देश का पहला अस्थायी डिटेंशन सेंटर ग्वालपाड़ा जेल में स्थापित किया गया। हाल में डिटेंशन सेंटर का उपयोग एनआरसी के तहत बाहर किए गए लाखों लोगों को रखने के लिए किए जाने की बात है, जिसे लेकर विरोध और तीखा हो गया है। सवाल यह है कि जब सिर्फ असम से उन्नीस लाख लोग बाहर हुए हैं तो देश के पैमाने पर क्या होगा? अगर सरकार सचमुच एनआरसी बनाने की योजना बना रही है तो उसे कई समस्याओं का समाधान खोजना होगा।

● *आशुतोष वर्मा, प्रयागराज*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

जानकारी

कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जिले के *कसार देवी मंदिर* में स्वामी विवेकानंद ने 1890 में गुफा के अंदर कठोर तप किया था। तप के दौरान उन्हें कोलकाता से अपनी बहन के आत्महत्या करने की सूचना मिली। इस दुख भरी खबर ने उनको भीतर तक झकझोर दिया था और उन्होंने कुमाऊं में महिलाओं के सशक्तिकरण का संकल्प लिया। इस घटना के 108 साल बाद 1998 में इस मंदिर के नीचे महिलाओं और बच्चों के लिए स्वामी विवेकानंद की गुरु मां शारदा की स्मृति में उनके अनुयायियों ने श्री मां शारदा मठ की स्थापना की।

स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक उद्बोधन की प्रेरणास्थली देवभूमि

सुनील दत्त पांडेय

11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो के सभागार में स्वामी विवेकानंद का ऐतिहासिक आध्यात्मिक उद्बोधन की प्रेरणा स्थली उत्तराखंड देवभूमि रही है। स्वामी जी के शिकागो उद्बोधन में उन्हें पूरी दुनिया मैं एक विशिष्ट पहचान दी थी और स्वामी विवेकानंद दुनिया में छा गए थे। शिकागो उद्बोधन के पीछे जिस आध्यात्मिक मूल ज्ञान तत्व की जो शक्ति थी, वह उन्हें देवभूमि उत्तराखंड से ही मिली। यह ज्ञान उन्हें उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के नैनीताल से बद्रीकाश्रम की ओर जाते वक्त कोसी नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे उस वक्त मिला जब वे ध्यानमग्न थे।

स्वामी विवेकानंद के लिए देवभूमि उत्तराखंड साधना स्थली के साथ-साथ उनकी कर्मस्थली भी रही। स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड में 1890 से 1901 तक 11 साल में कई दफा आए। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड के कई देवालयों तथा घने जंगलों में कठोर तपस्या की। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के कष्ट को महसूस किया और यहां कठोर तप कर रहे साधु-संतों की कठिनाइयों से वे रूबरू हुए। इसलिए उन्होंने यहां कई मठ मंदिरों तथा चिकित्सालयों की स्थापना की। जब स्वामी विवेकानंद हरिद्वार से होते हुए ऋषिकेश पहुंचे तो उन्होंने रास्ते में कई गरीबों और साधु-संतों को इलाज के अभाव में कठिन कष्ट सहते हुए देखा तो उनका संन्यासी हृदय द्रवित हो गया।

स्वामी जी ने अपने दो शिष्य स्वामी कल्याणानंद और स्वामी निश्चलानंद को हरिद्वार में भेजा और एक धर्मार्थ रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम एवं चिकित्सालय के तौर पर 1901 में करवाई। जिसमें संतों और गरीबों के लिए निशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की गई।

स्वामी विवेकानंद के अपने लंदन प्रवास में आल्पस की खूबसूरत पहाड़ियों को देखकर उनके मन में देवभूमि उत्तराखंड में एक आश्रम की स्थापना का विचार आया। उनके इस विचार को उनके अनुयायियों स्वामी स्वरूपानंद और कैप्टन सेवियर तथा उनकी पत्नी ने 19 मार्च 1899 में कुमाऊं मंडल के चंपावत जिले के मायापुरी में अद्वैत आश्रम की स्थापना कर साकार किया। स्वामी जी कुमाऊं मंडल के चंपावत के जिन जंगलों से होकर देवभूमि के दर्शन करने के लिए निकले थे और जिन भवनों में वे रुके थे उन भवनों को संग्रहालय के रूप में उत्तराखंड सरकार संरक्षित करने की दिशा में कार्य कर रही है।

चंपावत जिले के जिलाधिकारी एसएन पांडे ने बताया कि एक भवन को चिन्हित किया गया है और खंडहर नुमा इस भवन को संरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन अपनी ओर से कार्य कर रहा है।

बद्रीनाथ में 1890 में भीषण अकाल पड़ने के कारण स्वामी विवेकानंद श्रीनगर के रास्ते टिहरी होते हुए देहरादून पहुंचे थे। देहरादून के राजपुर में बावड़ी के प्राचीन शिव मंदिर में अपने गुरु भाई तुर्यानंद को तपस्या में लीन देखकर स्वामी जी शिव मंदिर में ही रुक गए। करीब एक पखवाड़े तक अपने गुरु भाई के साथी एक कक्ष में तपस्या की। और उनके शिष्यों ने किशनपुर राजपुर रोड देहरादून में स्वामी रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की।

शिकागो भाषण

रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम एवं चिकित्सालय, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड के सचिव स्वामी नित्यशुद्धानंद महाराज बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने देवभूमि उत्तराखंड को अपनी कर्मभूमि के साथ आध्यात्मिक भूमि भी बनाया और उन्होंने रोगी नारायण सेवा का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उसे हर साल रामकृष्ण मिशन मठ के समस्त संन्यासी, चिकित्सक और कर्मचारी उनके जन्मदिन के दिन रोगियों की पूजा करके मनाते हैं।

मठ के समस्त चिकित्सालय में संतो और गरीबों का निशुल्क इलाज किया जाता है। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माण के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके विचार हमेशा हर पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे।

स्वामी विवेकानंद पर शोध कार्य करने वाली अध्यात्म से जुड़ी हुई डॉ राधिका नागरथ का कहना है कि 1890 में स्वामी विवेकानंद बंगाल से साधना करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड आए और उन्हें यहां एक अलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान का अहसास हुआ। नैनीताल क्षेत्र में कोसी नदी के तट पर पीपल के एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न हो गए। ध्यान टूटने पर उन्होंने अपने साथी गंगाधर से कहा कि आज इस वृक्ष के नीचे मेरे जीवन की एक प्रमुख समस्या का हल हुआ है । उन्होंने अणु ब्रह्मांड और विश्व ब्रह्मांड की एकात्मकता का अनुभव किया। इस विश्व में जो कुछ भी विद्यमान है। वही इस देह में है। इस सिद्धांत को स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो के भाषण में 11 सितंबर 1893 को व्याख्यान का मुख्य विषय बनाया गया था जिसने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया।

ज्ञान और आचार का समवेत हैं सरस्वती

ज्योतिर्मय

माघ पौष को शीतऋतु का माह कहा जाता है। हालांकि इन दिनों जाड़ा नहीं पड़ता है। ऋतुओं के मिजाज को देख कर तो कहना मुश्किल है कि ये सर्द दिन हैं, लेकिन वसंत पंचमी अपने देश में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। पता नहीं कब से इस दिन विद्या बुद्धि की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है।

माघ पौष को शीत ऋतु का माह कहते हैं। पूरे साल को जिन छह ऋतुओं में बांटा जाता था उनमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम है। जब फूलों पर बहार आ जाती, खेतों में सरसों का सोना चमकने और जौ तथा और गेहूं की बालियां खिलने से लेकर, आमों पर बौर आ जाता है और रंग-बिरंगी तितलियां मंडराने लगतीं हैं। पूर्णिमा माघ के पांचवें दिन विष्णु और कामदेव की पूजा की जाती थी। विद्या बुद्धि और ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना और आविर्भाव का उत्सव ही वसंत उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। पुराण शास्त्रों और संस्कृत साहित्य में भी अलग-अलग चित्रण मिलता है।

वसंत पंचमी

उपनिषदों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में शिव की आज्ञा से जीवों, खासतौर पर मनुष्य की रचना की। कहना नहीं होगा कि उसके रचयिता ब्रह्मा ही थे लेकिन वे अपनी इस रचना में कमी अनुभव कर रहे थे। उनके अवसाद से चारों ओर मौन छाया था। ब्रह्मा ने इस दशा से उबरने के लिए अपने कमंडल से जल लेकर संकल्प की तरह विष्णु पर छिड़कते हुए स्तुति शुरू कर दी।

ब्रह्मा की स्तुति से विष्णु वहां प्रकट हुए। शास्त्र कहते हैं कि विष्णु ने दुर्गा का आह्वान किया। विष्णु की बुलाई भगवती दुर्गा वहां तुरंत प्रकट हुईं और आसन्न संकट दूर किया। फिर आदिशक्ति के शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ जो चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, उनके हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर देती हुई मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा की उपस्थिति में ही सरस्वती के शरीर से तेज प्रकट हुआ और देवी की वीणा सुनकर सागर उफनने लगा और पवन आंधी तूफान चलाने लगे। तब सभी ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। वसंत पंचमी इनके प्रकटोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में कहा है- प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वजिनीवती धीनामणित्रयवतु। -अर्थात सरस्वती परम चेतना हैं। वे बुद्धि, प्रज्ञा और मन की वृत्तियों की संरक्षक हैं।

पुराणों के अनुसार कृष्ण ने किसी प्रसंग में सरस्वती को वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। कहते है कि तभी से वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी।

वसंत पर्व जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। जैसे लोग कई लोग इस दिन सरस्वती की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयादशमी का है, विलानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, व्यापारियों के लिए अपने तराजू, बाट, बहीखातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए वसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हों या लेखक, गायक हों या वादक, नाटककार हों या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और सरस्वती की वंदना से करते हैं।

भारत ही एक ऐसा देश है जहां छह ऋतुएं अपनी छटा बिखेरती हैं। प्रत्येक ऋतु दो मास की होती है। चैत और बैसाख़ में बसंत ऋतु अपनी शोभा का परिचय देती है। इस ऋतु को ऋतुराज की संज्ञा दी गई है। धरती का सौंदर्य इस प्राकृतिक आनंद के स्रोत में बढ़ जाता है। रंगों का त्योहार होली वसंत ऋतु की शोभा को दुगना कर देता है। हमारा जीवन चारों ओर के मोहक वातावरण को देखकर मुस्करा उठता है। ज्येष्ठ और आषाण ग्रीष्म ऋतु के मास हैं। इसमें सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है। ग्रीष्म ऋतु प्राणी मात्र के लिये कष्टकारी अवश्य है पर तप के बिना सुख-सुविधा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि गर्मी न पड़े तो हमें पका हुआ अन्न भी प्राप्त न हो।

श्रावण और भाद्र पद वर्षा ऋतु के मास हैं। वर्षा नया जीवन लेकर आती है। मोर के पांव में नृत्य बंध जाता है। तीज और रक्षाबंधन से त्योहार भी इस ऋतु में आते हैं। अश्विन और कार्तिक के मास शरद ऋतु के मास हैं। शरद ऋतु प्रभाव की दृष्टि से बसंत ऋतु का ही दूसरा रूप है। वातावरण में स्वच्छता का प्रसार दिखाई पड़ता है। दशहरा और दीपावली के त्योहार इसी ऋतु में आते हैं। मार्गशीर्ष और पौष हेमंत ऋतु के मास हैं। इस ऋतु में शरीर प्राय स्वस्थ रहता है। पाचन शक्ति बढ़ जाती है।

माघ और फाल्गुन शिशिर अर्थात पतझड़ के मास हैं। इसका आरंभ मकर संक्राति से होता है। इस ऋतु में प्रकृति पर बुढ़ापा छा जाता है। वृक्षों के पत्ते झड़ने लगते हैं। चारों ओर कुहरा छाया रहता है। भारत को भूलोक का गौरव तथा प्रकृति का पुण्य स्थल कहा गया है। इस प्रकार ये ऋतुएं जीवन रुपी फलक के भिन्न- भिन्न दृश्य हैं, जो जीवन में रोचकता, सरसता और पूर्णता लाती हैं।

कैलेंडर

तीज त्योहार

जनवरी माह (20 से 31)

सोमवार, 20 जनवरी को षट्तिला एकादशी है। इस दिन भगवान को तिल से बने व्यंजन का भोग लगाया जाता है।

बुधवार, 22 जनवरी को प्रदोष व्रत पर शिवजी और पार्वती का अभिषेक होता है।

गुरुवार, 23 जनवरी मासिक शिवरात्रि।

शुक्रवार, 24 जनवरी को मौनी अमावस्या है। इस तिथि पर नदियों में स्नान करने के बाद दान-पुण्य करना किया जाता है। पितरों के लिए श्राद्ध-तर्पण होता है।

शनिवार 25 जनवरी, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ।

मंगलवार, 28 जनवरी को अंगारक विनायक चतुर्थी है। जब मंगलवार को विनायक चतुर्थी आती है तो उसे अंगारक विनायक चतुर्थी कहते हैं।

गुरुवार, 30 जनवरी को वसंत पंचमी है। इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। प्राचीन समय में इसी तिथि पर देवी सरस्वती प्रकट हुई थीं।

शुक्रवार, 31 जनवरी शीतला षष्ठी।

'यह भी तो हो सकता है'

तुम जैसा ही और खड़ा हो,
दर्पण उसका नाम पड़ा हो,
यह भी तो हो सकता है।

फटे परिधान गरीबी हो ,
फैशन उसका नाम पड़ा हो,
यह भी तो हो सकता है।

कोई अजनबी अपना सा हो ,
या रिश्ता कोई जन्मों का हो ,
यह भी तो हो सकता है।

बिन साजन के रही सुहागन,
मीरा उसका नाम पड़ा हो,
यह भी तो हो सकता है।

विवाह बिन भी प्रेम अमर हो,
राधा उसका नाम पड़ा हो,
यह भी तो हो सकता है।

चोरी कर भी स्नेह मिला हो ,
कान्हा उसका नाम पड़ा हो,
यह भी तो हो सकता है।

-राज सिंह

श्रीराम, शबरी और नवधा भक्ति

व्याख्या

पूनम नेगी

प्रभु श्रीराम एवं भक्त शबरी के संवाद के माध्यम से भक्तियोग का जो प्रतिपादन श्रीरामचरितमानस में किया गया है, वह अपने आप में बेमिसाल है। नवधा भक्ति की व्याख्या के लिए कोल-शबर जाति के मुखिया की बेटी शबरी को पात्र बनाकर गोस्वामी जी ने यह तथ्य प्रतिपादित किया है कि मन में यदि प्रभु को पाने की आकुलता-विकलता हो तो लिंगभेद, जातिभेद, ऊंच-नीच का भेद कुछ भी आड़े नहीं आता। शबरी को उसकी योगाग्नि से हरिपद लीन होने से पहले प्रभु राम ने शबरी को नवधा भक्ति के अनमोल वचन दिए। शबरी प्रसंग से यह पता चलता है की प्रभु सदैव भाव के भूखे हैं और अन्तर की प्रीति पर रीझते हैं ।

नवधा भक्ति के अंतर्गत प्रथम भक्ति है -संत सत्संग। श्रेष्ठजनों के जिस सत्संग से जड़ता, मूढ़ मान्यताएं टूटती हैं वह सत्संग सर्वोच्च कोटि का होता है। संत वे होते हैं जिनके पास बैठने पर हमारे अंतःकरण में ईश्वर के प्रति ललक-जिज्ञासा पैदा होती है।

दूसरी भक्ति यानी दूसरी रति है- 'मम कथा प्रसंगा'। भक्ति साधना का सबसे सुलभ मार्ग है-भगवान के लीला-प्रसंगों का चिंतन व गुणगान। आर्ष साहित्य के पौराणिक कथा-प्रसंगों ने लोकमानस को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। मन को भगवान के स्वरूप में लीन करने की इसमें जबर्दस्त शक्ति है। इसीलिए श्रीरामचरित मानस व श्रीमद्भागवत जन सामान्य में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। भगवद्भक्ति की ओर उन्मुख करने वाले कथा-प्रसंग लोकमानस को छूते हैं, भाव संवेदना जगाते हैं एवं मानव कल्याण का पथ प्रशस्त करते हैं। इस भक्ति का एक श्रेष्ठतम उदाहरण है राजा परीक्षित द्वारा अपने जीवन के अंतिम क्षणों में श्रीमद्भागवत कथा को सुनकर मोक्ष को प्राप्त होना।

तीसरी भक्ति है-अभिमान रहित होकर गुरु के चरणकमलों की सेवा। भारतीय अध्यात्म में गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण जब तक नहीं होगा, भक्ति नहीं सधेगी। श्री अरविंद कहते थे-गुरु की चेतना का शिष्य में अवतरण तभी हो पाता है जब शिष्य की चेतना भी शिखर पर हो। चौथी भक्ति है-छल कपट छोड़कर भगवद् संकीर्तन करना। श्रीमद्भागवत में बाल यति शुकदेव जी कहते हैं कलियुग में भगवान के संकीर्तन से व्यक्ति परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्री भगवान ने भी गीता में कहा है कि यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझको भजता है तो भजन के प्रभाव से वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है।

पांचवीं भक्ति है-दृढ़विश्वास के साथ भगवान का मंत्रजप। मंत्र का माहात्म्य समझकर भावपूर्वक परमात्म सत्ता में गहन विश्वास रख जब जप किया जाता है तो वह सिद्धि का मूल बन जाता है। ईश्वर को संबोधित निवेदन ही मंत्र है। चाहे 'नमो भगवते वासुदेवाय' हो, 'नमः शिवाय' हो अथवा गायत्री मंत्र के रूप में सद्बुद्धि की प्रार्थना। विश्वासपूर्वक किया गया जप निश्चित फल देता है।

छठी भक्ति है- इंद्रिय निग्रह। 'षट् दम शील-विरति बहुकर्मा-निरति निरंतर सज्जन धर्मा।' संयम सधते ही शरीर स्वयंमेव सध जाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण की महत्ता बताते हुए ऋषि विचार संयम, इन्द्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम व अस्वाद व्रत पर जोर देते हैं। इस भक्ति में भगवान श्रीराम ने शील की चर्चा की है। अश्लील का उलटा है शील। शील अर्थात शालीनता। जब पति-पत्नी सद्गृहस्थ के रूप में परस्पर सहमति से संयम-पूर्वक जीवनयापन करते हैं तो इसे शीलव्रत कहते हैं। अमर्यादित काम को मर्यादित करते हुए जीवनयापन शीलव्रत का पहला चरण है। नवधा भक्ति में सातवीं भक्ति है विश्व के प्रत्येक जीव व घटक को परमात्म भाव से देखना। भगवान श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मुझे सर्वत्र संव्याप्त देखता है और सबको मुझमें देखता है कि उसके लिए मैं अदृश्य नहीं, सर्वत्र हूं। इसे इस उदाहरण से और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है -सोना एक धातु है। उससे बने विभिन्न आभूषणों में अंगूठी-कंगन-बाजूबंद को हम अलग-अलग रूप में देखते हैं किंतु सुनार को आभूषणों में सोना ही दिखाई देता है। उसी तरह सच्चा भक्त सभी को प्रभु में और प्रभु को सभी में देखता है।

आठवीं भक्ति है-यथा लाभ संतोषा। सपनेहुं नहिं देखहिं परदोषा। यानी जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष, स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, 'साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाय। मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाय।'

नवधा भक्ति का अंतिम सोपान है-सरलता, सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना व हृदय में परमात्मा का भरोसा रख किसी भी स्थिति में हर्ष व दैन्य का भाव न होना। भगवान इस अंतिम भक्ति प्रकरण में सर्वाधिक जोर सरल व निष्कपट होने पर देते हैं। ऐसा वही हो पाता है जिसकी भावनाएं ईश्वरोन्मुख हों, कामनाएं न के बराबर हों। ईश्वर की सहज भक्ति के माध्यम से ऐसा भक्त बुद्धि के सारे मानदंडों, कुचक्रों से भरे षड्यंत्रों से उबरकर बुद्धि से प्रज्ञा के धरातल पर पहुंच जाता है।

रामानंदाचार्य : समरसता के सत्य-सेतु

सामाजिक समावेश

शास्त्री कोसलेंद्रदास

आचार्य रामानंद समाज को बांधने का सूत्र हैं। उन्होंने जातियों और वर्गों में बंटे समाज में उद्घोष किया, 'जात-पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई।' 1942 में महात्मा गांधी ने रामानंद संप्रदाय की मुख्य आचार्य पीठ 'श्रीमठ' को सामाजिक समावेशी की संज्ञा दी।

सात शताब्दियों पहले महात्मा कबीर को एक महान गुरु की तलाश थी। वे जानते थे कि गुरु के बिना सफलता नहीं मिलती। उनके मन में स्वामी रामानंद को गुरु बनाने की इच्छा थी। स्वामी रामानंद का आध्यात्मिक और सामाजिक दायरा बहुत बड़ा था, जो जात-पांत से परे था। कबीर जानते थे कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले आचार्य रामानंद स्नान के लिए श्रीमठ से पंचगंगा घाट की सीढ़ियां उतरते हैं। कबीर सीढ़ियों पर लेट गए, जहां से रामानंद गुजरते थे। रामानंद के चरण कबीर पर पड़े। अफसोस के साथ रामानंद ने झुककर कबीर को उठाया और कहा, 'राम-राम बोलो, तुम्हारा दुख दूर होगा।' कबीर को गुरु मिले और उनकी 'चदरिया' अमर हो गई।

स्वामी रामानंद ने कबीर को पहचाना। कबीर को शिष्य स्वीकारा और उन्हें चेताया। कबीर की भक्ति संवेदना में गुरु का स्थान गोविंद से बड़ा है। इसीलिए कबीर जब कभी स्वामी रामानंद का नाम लेते हैं तो उनका नाम बड़े गौरव और श्रद्धा से लेते हैं - कहै कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिल्या रामानंद। सत्रहवीं सदी में हुए फारसी इतिहासकार मुहसिन फनी ने 'दबिस्तां-ए-मजाहिब' में लिखा है, ककबीर जन्म से मुसलमान थे पर वे स्वामी रामानंद के शिष्य बनना चाहते थे क्योंकि रामानंद 'राम' को जानते थे।'

जन्म सत्ता पर चोट

स्वामी रामानंद ने जन्म सत्ता की बजाय व्यक्ति सत्ता को महत्व दिया। उनकी शिष्य मंडली में जुलाहा कबीर ही नहीं बल्कि संत रैदास भी शामिल थे, जो चमड़े का काम करते थे। वहां धन्ना जाट थे, संत सेन नाई तो पद्मावती और सुरसरि महिलाएं भी। पीपा क्षत्रिय, सदन कसाई, कूबा कुम्हार समेत अनेक संत-भक्त-कवि रामानंद संप्रदाय के हिस्से थे, जो 'राम-राम' की गूंज फैलाकर समाज में जातिसत्ता पर चोट मार रहे थे। उनके शिष्यों द्वारा स्थापित भक्ति पंथ आज भी चल रहे हैं। अनेक संत परंपराएं रामानंद संप्रदाय से निकलीं। दादू, रामस्नेही, वारकरी, घीसा पंथ, कबीर पंथ और रैदास पंथ जैसी ढेर सारी भक्ति-काव्य परंपराओं के मूल पुरुष स्वामी रामानंद हैं। अमर ग्रंथ 'रामचरितमानस' के लेखक गोस्वामी तुलसीदास भी रामानंदाचार्य की शिष्य परंपरा के महान भक्त-कवि हैं। सिखों के पवित्र 'गुरु ग्रंथ साहिब' में स्वामी रामानंद के दो पद संकलित हैं।

भक्ति में समान अधिकार

आचार्य रामानंद ने रामभक्ति को आधार बनाकर समाज को एकजुट किया। उन्होंने आध्यात्मिक लोकतंत्र की नींव 14वीं सदी में रखी, जिसे मध्यकालीन भक्ति आंदोलन कहा जाता है। उन्होंने प्रवचन और लेखन का आधार संस्कृत के साथ देशज भाषाओं को बनाया। 'वैष्णव-मताब्ज-भास्करह्न में उन्होंने घोषणा की, 'भगवान अपनी शरणागति और भक्ति में जीवों की जाति, बल और शुद्धता की अपेक्षा नहीं करते। समर्थ और असमर्थ सभी जीव भगवान को पाने में समान अधिकारी हैं।' संत साहित्य के विलान सुखदेव सिंह स्वामी रामानंद को मध्यकालीन भारत की 'आध्यात्मिक पहचान' बताते हैं। रिचर्ड बर्गट ने लिखा है, 'आज के उत्तर भारत जो हिंदू धर्म है, उसे 'रामानंदी हिंदू धर्म' कहना चाहिए। क्योंकि यदि रामानंद न होते तो हिंदू धर्म का अस्तित्व बचा रहना मुश्किल था।'

स्वामी रामानंद का श्रीमठ

स्वामी रामानंद के आनंद मठ कश्रीमठत में तथाकथित नीची जातियों के भक्तों-संतों के लिए भरपूर जगह थी, जहां वर्ण, लिंग और वर्ग का कोई भेद नहीं था। उनका श्रीमठ आज भी काशी में गंगा किनारे कायम है। श्रीमठ शताब्दियों से निर्गुण तथा सगुण रामभक्ति परंपरा का मूल केंद्र है। कालांतर में इसकी हर शाखा ने वृक्ष का रूप ले लिया। जिस बात पर विवाद है, वह यह है कि श्रीमठ को कब व किसने बनाया? कुछ इसे स्वामी रामानंद का बनाया मानते हैं। दूसरे विलानों का मत है कि स्वामी रामानंद को श्रीमठ उनके गुरु राघवानंद से मिला। जिस बात पर कोई विवाद नहीं है, वह यह है कि श्रीमठ मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था।

धार्मिक चेतना की जरूरत

रामानंदाचार्य ने जिस उदार धार्मिक चेतना से समाज की विसंगतियां दूर की, उसकी आज फिर से आवश्यकता है। मानवता को आधार बनाकर नकारात्मक विचारों और सांप्रदायिकता के विरुद्ध आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के अंतःसंबंधों को केंद्र में रखकर भक्ति आंदोलन को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। जरूरत है स्वामी रामानंद की भाषा, मनोवृत्ति और प्रतिबद्धता की, जो परस्पर विरोधी धाराओं को इकट्ठा करके रामभक्ति के महासागर में समेट सके।

आत्महत्या और दुर्घटनाओं के कारण

पिछले पांच सालों में सीएपीएफ के 2,200 कर्मियों की मौत

नई दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा)।

देश में 2014 से 2018 के बीच आत्महत्या और दुर्घटनाओं के कारण केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के करीब 2,200 जवानों की मौत हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार 2018 में हादसों में सीएपीएफ के 104 जवानों की मौत हुई जबकि 28 लोगों ने आत्महत्या कर ली। इस साल कुल 132 लोगों की मौत हुई। ब्यूरो ने 2014 में पहली बार सीएपीएफ संबंधी यह आंकड़ा एकत्र किया था। उस साल दुर्घटना के कारण 1,232 जवानों की मौत हुई थी और 175 लोगों ने आत्महत्या की थी। ब्यूरो ने बताया कि दुर्घटना के कारण 2015, 2016 और 2017 में क्रम से 193, 260 और 113 कर्मियों की मौत हुई जबकि 2015 में 60, 2016 में 74 और 2017 में 60 लोगों ने आत्महत्या की।

आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2018 के बीच हादसों में 1,902 और आत्महत्या के कारण 397 जवानों की मौत हुई। इस तरह कुल 2,199 जवान मारे गए।

आंकड़ों के अनुसार

2018 में हादसों में सीएपीएफ के 104 जवानों की मौत हुई जबकि 28 लोगों ने आत्महत्या कर ली। इस साल कुल 132 लोगों की मौत हुई। ब्यूरो ने 2014 में पहली बार सीएपीएफ संबंधी यह आंकड़ा एकत्र किया था

एनसीआरबी ने सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल के अलावा असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के आंकड़ों को शामिल किया है। एनआरसीबी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार एक जनवरी 2018 को सीएपीएफ के जवानों की वास्तविक संख्या 9,29,289 थी।

एनसीआरबी के अनुसार सीएपीएफ के जवानों की हादसे में हुई मौत के कारणों का यदि विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि 2018 में 31.7 फीसद (104 में से 33 लोगों की) मौत 'अभियान या मुठभेड़ या कार्रवाई के दौरान हुई'। इसके बाद 21.2 फीसद या 22 जवानों की मौत अन्य कारणों से हुई। सड़क और रेल हादसों के कारण इनमें से 20.2 फीसद जवानों की जान गई।

सीएए के समर्थन में रैली करने वालों को महिला कलेक्टर व डिप्टी कलेक्टर ने मारे चांटे

राजगढ़ (मध्य प्रदेश),19 जनवरी (भाषा)।

राजगढ़ की महिला कलेक्टर निधि निवेदिता एवं उनके अधीनस्थ काम कर रहीं डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा ने राजगढ़ जिले के ब्यावरा में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के समर्थन में धारा-144 लगाने के बाद भी रैली निकालने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामने कथित रूप से रविवार को चांटे मारे।

इससे नाराज प्रदर्शनकारियों ने इन दोनों अधिकारियों से भी धक्कामुक्की भी हुई और डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा की चोटी भी खींची, जिससे उनके बाल बिखर गए। इस सारी घटना के कुछ वीडियो भी वायरल हो गए हैं।

भाजपा ने इन दोनों अधिकारियों द्वारा सीएए के समर्थकों को पीटे जाने पर कहा कि आज का दिन लोकतंत्र के सबसे काले दिनों में गिना जाएगा। वहीं, कलेक्टर निधि से इस बारे में पक्ष जानने के लिए फोन पर बार-बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, आज का दिन लोकतंत्र के सबसे काले दिनों में गिना जाएगा। आज राजगढ़ में डिप्टी कलेक्टर साहिबा ने जिस बेशर्मी से सीएए के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को लताड़ा, घसीटा और चांटे मारे, उसकी निंदा मैं शब्दों में नहीं कर सकता। क्या उन्हें प्रदर्शनकारियों को पीटने का आदेश मिला था?

वीडियो वायरल,

भाजपा ने घटना पर कहा कि यह लोकतंत्र के सबसे काले दिनों में गिना जाएगा

उन्होंने कहा, प्रदेश में शासन-प्रशासन द्वारा कांग्रेस सरकार की चाटुकारिता के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। सरकार के तुगलकी फरमानों पर अमल में कौन रेस में पहले आता है, इसकी होड़ लगी है। कुछ अधिकारी भूल गए हैं कि वे किसी पार्टी के हुक्म बजाने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा हेतु पद पर हैं। चौहान ने लिखा, कलेक्टर मैडम, आप यह बताइए कि कानून की कौन सी किताब आपने पढ़ी है जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों को पीटने और घसीटने का अधिकार आपको मिला है? सरकार कान खोलकर सुने ले, मैं किसी भी कीमत पर मेरे प्रदेशवासियों के साथ इस प्रकार की हिटलरशाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, शासन-प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी गलती से भी यह न भूलें कि सरकारें पर्मानेंट नहीं होती हैं, वो बदलती हैं।

ऊर्जा प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे 1300 से ज्यादा देशी-विदेशी कारोबारी

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 19 जनवरी।

इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में चल रही दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा प्रदर्शनी इलेक्रामा 2020 में बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमोबिलिटी, ऑटोमेशन व पॉवर स्टोरेज आदि की नई तकनीकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। यहां करीब 300 से अधिक विदेशी और एक हजार से अधिक भारतीय कारोबारी अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बिजली प्रदर्शनी 22 जनवरी तक चलेगी।

प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि इलेक्रामा उर्जा के क्षेत्र में सीखने और दुनिया के रुझानों के बारे में जानने का शानदार अवसर है। मौके पर केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह व उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी मौजूद थे। इस प्रदर्शनी में नोएडा स्थित नित्या समूह (एनईसी) ने जर्मनी तकनीक से तैयार तारों और केबल की विशेष श्रृंखला का प्रदर्शन किया है। एनईसी ने घरेलू और औद्योगिक उपयोग आने वाले उत्पाद जैसे वायर, मल्टीकोर केबल्स, स्पेशल केबल्स आदि को प्रदर्शित किया है। सीएमडी प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि कंपनी हमेशा उपभोक्ताओं को सबसे अच्छी, सुरक्षित और उन्नत तकनीक प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार आज प्रदान करेंगे राष्ट्रपति कोविंद

पेज 3 का बाकी

के उन पत्रकारों को सम्मानित करते हैं, जिन्होंने खतरनाक या कठिन परिस्थितियों में सटीक समाचार देते हुए चरित्र और समर्पण की असाधारण शक्ति दिखाई है। गहरे अनुसंधान और गहरी अंतर्दृष्टि से मिश्रित ये कहानियां आपको अक्सर उन जगहों पर ले जाती हैं, जो सुर्खियों में जगह पाने से रह जाती हैं और उन मुद्दों की ओर इशारा करती हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

रामनाथ गोयनका मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से दिया जाने वाला यह पुरस्कार मीडिया कैलेंडर में सबसे महत्त्वपूर्ण आयोजन बन गया है।

इस बार, पुरस्कारों में प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में कारोबार और अर्थशास्त्र, राजनीतिक रिपोर्ताज, नागरिक पत्रकारिता, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संघर्ष वाले क्षेत्रों में पत्रकारिता और क्षेत्रीय भाषाई रिपोर्टिंग समेत महत्त्वपूर्ण विषयों की श्रेणियां हैं।

हर श्रेणी में एक लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ उसके उस लेखक को सम्मानित किया जाएगा, जिसके गैर-कथा (नॉन-फिक्शन) कार्य में किसी ऐसे मुद्दे को उसके तमाम जरूरी पहलुओं के साथ प्रस्तुत किया गया हो, जिसे समाचार पत्र या टेलीविजन चैनल उठाने की सोच भी नहीं सकते।

जानी-मानी हस्तियों की एक उत्कृष्ट जूरी ने विजेताओं को चुना है। जूरी में शामिल थे जिंदल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवं डीन टॉम गोल्डस्टीन, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी; पत्रकार व इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च में वरिष्ठ फेलो पामेला फिलिपोस और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण।

ब्रिटेन के शाही परिवार से अलग हुए प्रिंस हैरी व मेगन

पेज 3 का बाकी

लेकिन ससेक्सेज ने स्पष्ट कर दिया है कि वे जो कुछ भी करेंगे वे महामहिम के मूल्यों को बरकरार रखेगा।' इसने बताया कि दंपति का परमार्थ के कार्यों और निजी संगठनों से जुड़ाव जारी रहेगा। दंपति विंडसर कैसल स्थित फ्रोगमोर कॉटेड की मरम्मत पर खर्च हुए करदाताओं के 24 लाख पाउंड की राशि वापस करेंगे जो ब्रिटेन में उनका पारिवारिक घर रहेगा जब वह ब्रिटेन और कनाडा के बीच समय व्यतीत करेंगे। पैलेस ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर और भविष्य में दंपति के लिए इस बिल का भुगतान कौन करेगा, इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हैरी और मेगन ने अपनी इस योजना के ऐलान से पूरे देश को चौंका दिया था कि वे ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिका के बीच अपना समय बिताने के लिए खुद को शाही भूमिका से अलग कर रहे हैं। दोनों ने महारानी से सलाह मशविरा किए बिना यह घोषणा की थी जिसे ब्रिटेन के शाही खानदान के भीतर बिखराव के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे अपने आठ महीने के बेटे आर्ची के साथ ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिका में समय बिताने के लिए यह कदम उठा रहे हैं।

बजट सत्र में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव

पेज 3 का बाकी

प्रदर्शन और हिसात्मक घटनाएं घटित हो चुकी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार कह चुके हैं कि प्रदेश सरकार राज्य में सीएए और एनआरसी को लागू नहीं करेगी।

मुख्यमंत्री गहलोत विवादास्पद कानून के खिलाफ मुखर रहे हैं और पिछले महीने सीएए के खिलाफ जयपुर में एक विशाल और शांतिपूर्ण रैली आयोजित की थी।

दिल्ली चुनाव में कांग्रेस निभाएगी अहम भूमिका : सिब्बल

नई दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा)।

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी को पर्याप्त सीटें मिल सकती हैं जिनके बल पर वह सरकार गठन में 'निर्णायक भूमिका' निभा सकती है। सीटें कम आने पर उन्होंने पार्टी के रुख में फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा।

सीटें कम आने पर सिब्बल ने पार्टी के रुख पर फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा।

यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस अपने दम पर सरकार बना सकती है, राज्यसभा सांसद एवं दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की चुनाव एवं प्रचार समितियों के सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे बड़े दावे करने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। ...संभवतः हमें इतनी पर्याप्त सीटें मिलेंगी कि हम सरकार गठन में निर्णायक भूमिका निभाएंगे।'

यह पूछे जाने पर कि यदि कांग्रेस निर्णायक कारक के रूप में सामने आती है, तो क्या वह 'आप' के साथ हाथ मिला सकती है, सिब्बल ने कहा- पहले परिणाम आने दीजिए। हमारी रणनीति क्या है, यह उसी समय सभी को पता चल जाएगी। सिब्बल ने इन बातों को भी नकारा कि किसी लोकप्रिय एवं विश्वसनीय चेहरे के अभाव के कारण चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हो सकता है।

कोर्ट ने सीएए को संवैधानिक बताया तो विरोधी राज्यों को होगी परेशानी

नई दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा)।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा कि राज्य विधानसभाओं को केंद्र सरकार से संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) वापस लेने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने सीएए को संवैधानिक करार दिया तो इस कानून का विरोध करने वाले राज्यों के लिए परेशानी उत्पन्न होगी।

सिब्बल ने राज्यों के पास किसी केंद्रीय कानून को पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होने के अपने एक दिन पहले के बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए यह बात कही। सिब्बल ने शनिवार को केरल साहित्य सम्मेलन में कहा था कि सीएए को संसद से पारित किए जाने के बाद राज्यों के पास इसे लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सिब्बल ने ट्वीट कर कहा, 'मेरा मानना है कि सीएए असंवैधानिक है। प्रत्येक राज्य विधानसभा के पास इस कानून को वापस लेने की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित करने का संवैधानिक अधिकार है।

सीएए पर सिब्बल के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा

- पंजाब के बाद पार्टी शासित अन्य राज्यों में भी सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

राज्य सरकारों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जाने को लेकर कांग्रेस में मतभेद के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यह कह रहे हैं कि कोई भी राज्य सीएए को लागू करने से मना नहीं कर सकता, वहीं पार्टी ने अपने शासन वाले तमाम राज्यों में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का एलान किया है। पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि पंजाब के बाद कांग्रेस शासित अन्य राज्यों में भी ऐसा ही प्रस्ताव लाने पर विचार किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि नागरिकों, पार्टियों और राज्यों को दृढ़ निश्चय के साथ कानून का विरोध जारी रखना चाहिए।

पटेल ने रविवार को कहा- हम पंजाब के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं। यह केंद्र सरकार को स्पष्ट संदेश होगा कि वह इस कानून पर पुनर्विचार करे। राजस्थान में इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वहां 24 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और सूत्रों के मुताबिक, सत्र के पहले ही दिन सीएए के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा सकता है।

पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कहा कि सीएए के खिलाफ जनआंदोलन निर्भीकता से चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों, पार्टियों और राज्यों को दृढ़ निश्चय के साथ कानून का विरोध जारी रखना चाहिए। उनहोंने यह भी कहा कि सीएए पर गृह मंत्री अमित शाह के बार-बार के बयान और राज्यपालों का इसे लागू करने के लिए राज्यों पर दबाव बनाना संवैधानिक संघवाद के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब तक कि अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक राज्यों को सीएए जैसे असंवैधानिक कानून को लागू करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की निष्ठा संविधान के प्रति : भागवत

पेज 3 का बाकी

मंडल की सोमवार को यहां माघ मेले में होने जा रही बैठक में जनसंख्या नियंत्रण, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण आदि विषय पर चर्चा होने की संभावना है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष जिवेश्वर मिश्र ने यहां मेला क्षेत्र में लगे विहिप के शिविर में बताया कि सोमवार को दो सत्रों में यह बैठक होगी जिसमें साधु संत विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। इनमें जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है।' उन्होंने कहा कि संघ को लेकर तमाम भ्रांतियां फैलाई जाती हैं और वे तभी दूर हो सकती हैं, जब संघ को नजदीक से समझा जाए। उन्होंने कहा कि संघ के पास कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है और ना ही वह किसी को अपने हिसाब से चलाता है।

भागवत ने अपने व्याख्यान में कहा कि संघ का कोई एजंडा नहीं है, वह भारत के संविधान को मानता है। उन्होंने कहा कि हम शक्ति का कोई दूसरा केंद्र नहीं चाहते, संविधान के अलावा कोई शक्ति केंद्र होगा, तो हम उसका विरोध करेंगे। भागवत ने कहा कि जब हम कहते हैं कि इस देश के 130 करोड़ लोग हिंदू हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी के धर्म, भाषा या जाति को बदलना चाहते हैं। हम संविधान से अलग कोई सत्ता केंद्र नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम इस पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि जाति, पंथ, संप्रदाय, प्रांत और तमाम विविधताओं के बावजूद हम सभी को मिलकर भारत निर्माण करना है।संघ प्रमुख ने भारत की गुलामी का जिक्र करते हुए कहा कि मुट्ठी भर लोग आते हैं और हमें गुलाम बनाते हैं, हमारी कमियों की वजह से ऐसा होता है। हम जब-जब हिंदू भाव भूले हैं, तब-तब विपत्ति आई है। भागवत ने अन्य धर्मावलंबियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, 'हम राम-कृष्ण को नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन इन सब विविधताओं के बावजूद हम सब हिं-दू हैं। जिनके पूर्वज हिंदू थे, वे अब भी हिं-दू हैं। हम अपनी संस्कृति से एक हैं। हम अपने भूतकाल में भी एक हैं। यहां 130 करोड़ लोग हिंदू हैं क्योंकि आप भारत माता की संतान हैं।

अगवा 19 भारतीय रिहा, कैद में एक की मौत

पेज 3 का बाकी

को रिहा कर दिया गया, जबकि डाकुओं द्वारा 'प्रतिकूल स्थितियों' में कैद में रखे जाने के कारण एक की मौत हो गई।

भारत ने अगवा भारतीयों की रिहाई में सहयोग के लिए नाइजीरियाई अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया। भारत सरकार ने अगवा किए गए भारतीयों को रिहा करने के लिए नाइजीरिया सरकार से मदद मांगी थी। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, 'भारत सरकार और उच्चायोग ने एमवी ड्यूक से 15 दिसंबर को अगवा किए गए 20 भारतीय नाविकों की रिहाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और नाइजीरिया सरकार के साथ मिल कर काम किया। दुखद है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में एक की मौत हो गई। हमारी गहरी संवेदनाएं। अबुजा स्थित दूतावास उनकी जल्द से जल्द वापसी के लिए मदद कर रहा है।' अबुजा में भारतीय उच्चायोग ने मामले को नाइजीरियाई अधिकारियों और पड़ोसी देशों के अधिकारियों के समक्ष भी उठाया। इससे पहले तीन दिसंबर 2019 को नाइजीरिया के समुद्री तट के पास एक वाणिज्यिक पोत से समुद्री डाकुओं द्वारा 18 भारतीयों का अपहरण कर लिया गया था। जिन्हें बाद में नाइजीरिया सरकार के दवाब में डाकुओं ने वापस छोड़ दिया था। दोनों घटनाओं में समुद्री डाकुओं के समूह ने बोन्नी लीप के पास जहाज के चालक दल के सदस्यों को अगवा कर लिया।

छात्रों को मुफ्त बस सफर का किया वादा

पेज 3 का बाकी

में 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त योजना जारी रखने, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं, दो करोड़ पौधे लगाने, स्वच्छ यमुना नदी और अगले पांच वर्ष के दौरान दिल्ली में प्रदूषण कम करने का वादा शामिल है। इसको जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को 10 गारंटी दे रहा हूं। यह कोई घोषणापत्र नहीं है। हम वृहद घोषणापत्र अगले सात से 10 दिन में जारी करेंगे। घोषणापत्र में और चीजें होंगी, विशेष तौर पर छात्रों, शिक्षकों आदि के लिए। यह सभी के लिए होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष कह रहा है कि हमारी कई योजनाएं 31 मार्च तक ही चलेंगी, इसलिए यह हमारी गारंटी है कि ये योजनाएं अगले पांच वर्षों तक चलती रहेंगी। 24 घंटे बिजली जारी रहेगी और 200 यूनिट बिजली मुफ्त योजना भी जारी रहेगी। गारंटी कार्ड में 11 हजार से अधिक बसें और दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की लंबाई 500 किलोमीटर से अधिक बढ़ाने का वादा भी शामिल है। केजरीवाल ने कार्ड पर हस्ताक्षर करने के बाद इसे जारी किया।आम लोगों में बिजली-पानी की सबसिडी के असर को देखते हुए विपक्षी भाजपा व कांग्रेसी नेता लगातार यह प्रचार कर रहे हैं कि सरकार द्वारा दी जा रही बिजली-पानी की सबसिडी 31 मार्च तक के लिए ही है। विपक्ष यह प्रचार भी कर रहा है कि महज चुनाव में वोट लेने की खातिर आम आदमी पार्टी सरकार ने यह सबसिडी दी है।

प्रधानमंत्री आज करेंगे विद्यार्थियों से बातचीत

पेज 3 का बाकी

के तीसरे सत्र में मोदी विद्यार्थियों और शिक्षकों से परीक्षा के तनाव को दूर करने पर संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी तनावमुक्त होकर आगामी बोर्ड एवं प्रवेश परीक्षाएं दें।

इस कार्यक्रम में दो हजार से अधिक विद्यार्थी और उनके अभिभावक व शिक्षक भाग लेंगे, जिनमें से 1,050 विद्यार्थियों का चयन निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया है। मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार शाम कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर मंत्री ने विभिन्न राज्यों से आए विद्यार्थियों से बात भी की। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में कई ट्वीट किए।

ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि एक बार फिर से हम परीक्षाओं से जुड़े विषयों, खातसौर पर परीक्षा के दौरान कैसे हम खुश रहे और तनावमुक्त रहे पर गहन चर्चा और जानकारी से परिपूर्ण बातचीत करेंगे। मैं आप सभी को 'परीक्षा पे चर्चा 2020' में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। उन्होंने कहा कि 'परीक्षा पे चर्चा 2020' से पहले लाखों विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों ने अपने विचार और सलाह दिए है जो बहुत ही मूल्यवान हैं और यह परीक्षा से जुड़े मुद्दे जैसे परीक्षा की तैयारी, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद के वक्त के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि डिस्कशन ऑन इग्जाम, इग्जाम वैरियर्स और परीक्षा पे चर्चा उस प्रयास का हिस्सा है जिसमें हम विद्यार्थियों को समर्थन देते हैं और उन्हें यह आश्वस्त करते हैं कि हम सभी उस समय उनके साथ हैं, जब वे परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। आपसे सोमवार को 'परीक्षा पे चर्चा 2020' पर मुलाकात होगी।

एचआरडी मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा और यूट्यूब व दूरदर्शन पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा। एचआरडी मंत्रालय ने उन विद्यार्थियों का चयन किया है जो पांच विषयों पर उनके द्वारा प्रस्तुत निबंधों के आधार पर प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे। एचआरडी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले साल करीब 1.4 लाख विद्यार्थियों की प्रविष्टियां देशभर से मिली थीं। इस बार यह संख्या बढ़कर लगभग 2.6 लाख हो गई है। प्रधानमंत्री ने 2018 में आयोजित ऐसे सत्र में विद्यार्थियों के 10 प्रश्नों के उत्तर दिए थे और पिछले साल 16 सवाल लिए थे। पहले इस साल यह सत्र 16 जनवरी को होना था लेकिन देशभर में विभिन्न पर्वों की वजह से इसे टाल दिया गया

मौसम के मिजाज में जारी रहेगा उतार-चढ़ाव

पेज 3 का बाकी

बताया कि इस महीने में करीब तीन पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम के मिजाज में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। इस दौरान पूरे उत्तर व पश्चिमोत्तर इलाकों में कहीं बारिश, कहीं बर्फ तो कहीं ओले का कहर है। नए पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बताते चलें कि 15 जनवरी को हिमालय क्षेत्र में आए पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले तीन दिनों से बर्फबारी और मैदानी इलाकों में 15 से 40 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में जनवरी में अब तक तीन पश्चिमी विक्षोभ आ चुके हैं। विभाग के अधिकारी कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि आम तौर से जनवरी व फरवरी में मिलाकर कुल पांच पश्चिमी विक्षोभ तो बनते ही बनते ही हैं लेकिन इस बार इनकी तीव्रता का स्तर अलग है। जिसके कारण अगले दो तीन दिनों तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश व इसके बाद घना या बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है। जबकि उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी 22 जनवरी तक घना कोहरा हो सकता है।

इस बीच पहाड़ों की बर्फबारी के कारण उधर से तेज पछुवा हवाएं भी चलेंगी जिससे मैदान के इन इलाकों दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा सहित आसपास के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। इसको देखते हुए विभाग ने पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले दो दिनों तक शीत दिवस (कोल्ड डे) की स्थिति रहने का अनुमान लगाया है। रविवार को सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में कुछ स्थानों पर शीत लहर (कोल्ड वेव) की स्थिति है। इन इलाकों में सोमवार से शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद है। रविवार को लाहौल स्पीति में तापमान शून्य से 15 डिग्री, कालपा में आठ व डलहौजी में 2.8 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। इस बीच, दिल्ली में न्यूनतम तापमान सात डिग्री के आसपास रहा इसके अलावा अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह हल्का कोहरा रहा दिन में धूप खिली रही पर सर्द हवाएं चलीं।

विभाग ने 20 जनवरी के बाद तापमान में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए दिल्ली और आसपास के इलाकों में 21 से 23 जनवरी तक सर्दी से मामूली राहत मिलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने 23 जनवरी से पश्चिमी सर्द हवाओं के फिर से जोर पकड़ने के कारण उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश इलाकों में 23 और 24 जनवरी को सुबह और रात में घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की है।

www.readwhere.com

खबर कोना

पेरिस में रविवार को फैशन शो के दौरान रैम्प पर एक मॉडल।

तालिबान ने एक ही परिवार के छह लोगों को मार डाला

काबुल, 19 जनवरी (एपी)।

अफगान सैन्य अधिकारियों ने रविवार को कहा कि देश के उत्तर में स्थित सूदूर गांव में तालिबान ने नवजात बच्ची समेत एक ही परिवार के छह लोगों की हत्या कर दी। तालिबान ने हमले में संलिप्तता से इनकार करते हुए कहा कि शनिवार का यह हमला आपसी विवाद में किया गया था। फरयाब प्रांत के गवर्नर के प्रवक्ता जावेद बेदार ने कहा कि तालिबान ने परिवार पर वेश्यावृत्ति का आरोप लगाया था। आंतकवादियों ने उन्हें अनैतिक कार्यों के लिए मौत की सजा दी और फिर घर में आग लगा दी। तालिबानियों ने सरकारी सैन्य अधिकारियों पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में तीन तालिबानी मारे गए। वे तीनों उक्त परिवार की हत्या में शामिल थे।

पर्वतारोहियों के लिए तलाशी अभियान बाधित

काठमांडो, 19 जनवरी (एएफपी)।

हिमालय के अन्नपूर्णा क्षेत्र में हिमस्खलन के दौरान फंसे चार दक्षिण कोरियाई नागरिकों और तीन नेपाली नागरिकों की तलाश रविवार को भारी बर्फबारी, ठंडी हवाओं व खराब दृश्यता के कारण बाधित हो गई। कोरियन अल्पाइन फेडरेशन के आंग दोरजी शेरपा ने बताया कि लापता कोरियाई नागरिकों के रिश्तेदार काठमांडो पहुंच गए हैं और आपातकालीन बचाव प्रयासों के लिए सोल ने कई अधिकारियों को उनके साथ भेजा है। लापता समूह अन्नपूर्णा आधार शिविर के पास समुद्र तल से करीब 3230 मीटर की ऊंचाई पर था तभी शुक्रवार को भारी बर्फबारी के बाद हिमस्खलन हो गया।

लीबिया में शांति बहाल करने के लिए मिलेंगे विश्व नेता

बर्लिन, 19 जनवरी (एएफपी)।

लीबिया में शांति स्थापित करने और उसे 'दूसरा सीरिया' बनने से रोकने के प्रयास के तहत विश्व नेता रविवार को बर्लिन में एकत्र हुए। चांसलर एंजेला मर्केल के अलावा रूस, तुर्की और फ्रांस के राष्ट्रपति सहित कई विश्व नेता स्थानीय समयानुसार दोपहर दो बजे संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वावधान में बैठक करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का प्रमुख लक्ष्य इस क्षेत्र में विदेशी ताकतों के बढ़ते हस्तक्षेप और इन्हें युद्ध का सामना करने से रोकना है। फिर चाहे वे हथियारों से हो, सैनिकों के जरिए हो या धन मुहैया कराकर। वर्ष 2011 में तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की मौत के बाद से लीबिया में अराजकता की स्थिति है।

ईरान में विमान हादसे में मारे गए लोगों के शव यूक्रेन पहुंचे

कीव, 19 जनवरी (एएफपी)।

अमेरिकी ठिकानों पर ईरान द्वारा मिसाइलों से हमले में गलती से मार गिराए गए यूक्रेनी विमान के 11 यूक्रेनी यात्रियों के शव रविवार को यूक्रेन लाए गए। लाइव वीडियो फुटेज के अनुसार कीव के बोरिस्पिल हवाई अड्डे पर विमान से शव उतारे जाने के दौरान राष्ट्रपति वलोदोमिर जेलेंस्की, प्रधानमंत्री ओलेक्सी गोनचारूक और कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइन के शोकाकुल कर्मचारी फूलों के साथ खड़े थे।कीव जा रहा यूक्रेन इंटरनेशनल एअरलाइंस का बोइंग 737 आठ जनवरी को तेहरान से उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही मार गिराया गया था। इस हादसे में विमान में सवार सभी 176 लोगों की मौत हो गई थी।

हांगकांग में रैली के दौरान हिंसा भड़की

हांगकांग, 19 जनवरी (एएफपी)।

- प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने दो पुलिस अधिकारियों की पिटाई की, बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए एक प्रदर्शनकारी के सिर से खून निकल रहा था
- रैली आयोजक वेनटस लाउ ने कहा कि उनका मानना है कि पुलिस को संघर्षों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि वारंट कार्ड दिखाने में उन्होंने काफी लंबा वक्त लिया

महानगर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए आहूत रैली के दौरान रविवार को हिंसा भड़क जाने के बाद लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों ने दो पुलिस अधिकारियों की बुरी तरह पिटाई कर दी। पुलिस के साथ थोड़े समय तक हुए संघर्ष के दौरान पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें एक प्रदर्शनकारी ऐसा भी था जिसके सिर के पिछले हिस्से से खून निकल रहा था।

अधिकारी प्रदर्शन स्थल के आसपास की सड़कों पर लोगों को रोककर तलाशी लेने लगे और वहां अधिकृत रूप से इकट्ठी भीड़ को हट जाने के लिए कहा। इसके बाद समस्या शुरू हो गई। क्रुद्ध भीड़ ने उन पर पानी की बोतल और पेंट फेंकी। सादे कपड़ों में तैनात अधिकारी वहां रैली के आयोजकों से बात कर रहे थे तभी नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने हिंसा शुरू कर दी। मौके पर मौजूद एएफपी के संवाददाता ने अधिकारियों की छाता और बेंत से पिटाई होते देखा। दो अधिकारियों के सिर पर खून के धब्बे देखे गए और उनके साथी उन्हें हमले से बचा रहे थे।

पुलिस प्रवक्ता एनजी लोक चुन ने संवाददाताओं से कहा, 'हम सभी दंगाइयों व हिंसक कृत्यों की कड़ी निंदा करते हैं।' ऑनलाइन पोस्ट किए गए वीडियो में दिखा कि एक आयोजक माइक्रोफोन लेकर अधिकारियों से वारंट कार्ड दिखाने के लिए कह रहा है जिसे उन्होंने नहीं दिखाया। रैली आयोजक वेनटस लाउ ने कहा कि उनका मानना है कि पुलिस को संघर्षों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि वारंट कार्ड दिखाने में उन्होंने काफी लंबा वक्त लिया।

पुलिस और रैली आयोजकों ने पुष्टि की कि बाद में लाउ को अधिकारियों के काम में बाधा पहुंचाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों पर हमले के तुरंत बाद वहां दंगा निरोधक पुलिस पहुंची और उसने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए इलाके में आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस के साथ थोड़े समय तक हुए संघर्ष के दौरान पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें एक प्रदर्शनकारी ऐसा भी था जिसके सिर के पिछले हिस्से से खून निकल रहा था। हांगकांग में एक प्रस्ताव को लेकर सात महीने से प्रदर्शन जारी है जिसमें वहां पकड़े गए किसी भी व्यक्ति को चीन प्रत्यर्पित किए जाने का प्रस्ताव था। लेकिन इस प्रस्ताव को अब टाल दिया गया है।

बल प्रयोग हांगकांग में चीन विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रविवार को पुलिस ने की कार्रवाई।

फेसबुक ने शी जिनपिंग के नाम के गलत अनुवाद के लिए माफी मांगी

नेपीता (म्यांमां), 19 जनवरी (एएफपी)।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की म्यांमा यात्रा के दौरान फेसबुक पर उनके नाम का बर्मी भाषा से अंग्रेजी में हुए गलत अनुवाद के लिए फेसुबक ने शनिवार को माफी मांगी है। म्यांमा की राजधानी नेपीता की शी जिनपिंग की दो दिवसीय यात्रा किसी चीनी नेता की दो दशकों में पहली यात्रा है।

म्यांमा के फेसबुक पेज पर स्वतः अनुवाद व्यवस्था में शी के नाम का गलत अनुवाद हो गया था, जिससे विवाद पैदा हो गया। फेसबुक पोस्ट में बर्मी भाषा से अंग्रेजी में हुए अनुवाद में शी जिनपिंग का नाम 'मिस्टर शिटहोल' लिखा आ गया था। म्यांमा की नेता आंग सान सू ची के आधिकारिक फेसबुक पेज पर सबसे अधिक त्रुटि देखी गई। शनिवार को पहले पोस्ट की गई अनुवादित घोषणा में कहा गया, 'चीन के राष्ट्रपति मिस्टर शिटहोल शाम चार बजे पहुंचे हैं।' उसमें आगे लिखा गया, 'चीन के राष्ट्रपति श्री शिटहोल ने प्रतिनिधि सभा के एक अतिथि दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए।' फेसबुक ने कहा कि यह खेदजनक है और एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है। फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा, 'हमने तकनीकी गड़बड़ी को ठीक कर दिया है, जिसके कारण फेसबुक पर बर्मी भाषा से अंग्रेजी में गलत अनुवाद हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए था और हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं, ऐसी गलती फिर से न हो। हम ईमानदारी से इस गलती के लिए माफी मांगते हैं।'

भारतीय शिक्षिका चीन में वायरस कोरोना से संक्रमित होने वाली पहली विदेशी

बेजिंग, 19 जनवरी (भाषा)।

चीन के वुहान और शेनजेन शहरों में फैल रहे निमोनिया के नए किस्म के विषाणु की चपेट में 45 वर्षीय भारतीय स्कूल शिक्षिका आ गई है। वह पहली विदेशी है जो रहस्यमय एसएआरएस (सार्स) जैसे कोरोना वायरस से संक्रमित हुई है। शेनजेन के अंतरराष्ट्रीय स्कूल में शिक्षिका प्रीति माहेश्वरी को पिछले शुक्रवार को गंभीर रूप से बीमार होने के बाद स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

उनके पति अशुमन खोवाल ने शेनजेन से बताया कि डॉक्टरों ने सोमवार को पुष्टि की कि वह इस विषाणु से ग्रस्त हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। इस वायरस के फैलने के बाद से चीन में चिंता का माहौल है क्योंकि इसका संबंध एसएआरएस (सिवीयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिड्रोम) से बताया जा रहा है जिससे 2002-03 में चीन और हांगकांग में करीब 650 लोगों की मौत हो गई थी।

दिल्ली के कारोबारी खोवाल ने बताया कि माहेश्वरी का सघन निगरानी कक्ष (आईसीयू) में इलाज चल रहा है और वह फिलहाल जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। खोवाल को हर दिन मरीज से मिलने के लिए कुछ घंटों की इजाजत दी जाती है। उन्होंने कहा कि वह बेहोश हैं और डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें इससे उबरने में लंबा वक्त लग जाएगा।

वुहान से मिल रही खबरों के अनुसार 17 नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद कुल मामले 62 हो गए हैं। कुछ हफ्तों पहले वुहान से ही इस विषाणु के सामने आने का पता चला था। सरकारी समाचार एजंसी शिंहुआ ने रविवार को खबर दी कि कुल 19 लोगों का इलाज हो गया है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जबकि अन्य को अलग वार्ड में रखा गया है और उनका इलाज किया जा रहा है।

हांगकांग के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने खबर दी कि शेनजेन में फिलहाल दो लोगों को थर्ड पीपल्स अस्पताल के अलग कमरे में रखा गया है। भारत ने चीन के वुहान में निमोनिया के नए प्रकार के प्रकोप के चलते दूसरी मौत होने के बाद शुक्रवार को चीन जाने वाले अपने नागरिकों के लिए एक परामर्श जारी किया था। वुहान में करीब 500 भारतीय मेडिकल छात्र पढ़ाई कर रहे हैं।

भारत की ओर से जारी यात्रा परामर्श में कहा गया, 'चीन में नए कोरोनावायरस के संक्रमण का पता चला है। 11 जनवरी, 2020 तक 41 मामलों के सामने आने की पुष्टि हुई है।' जापान और थाईलैंड में यात्रा संबंधी एक-एक मामला सामने आया है। वुहान शहर के विश्वविद्यालयों के मेडिकल कॉलेजों में 500 से ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन उनमें से ज्यादातर चीनी नववर्ष के लिए छुट्टियां पड़ने पर अपने घरों के लिए रवाना हो गए मालूम होते हैं।

यात्रा परामर्श में कहा गया कि इसके लक्षणों में मुख्य तौर पर बुखार आना है और कुछ मरीज सांस लेने में तकलीफ की शिकायत करते हैं। यह विषाणु किस माध्यम से फैल रहा है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि, अब तक बेहद मामूली साक्ष्य मिले हैं कि यह मनुष्य से मनुष्य में फैल रहा है।

प्रदर्शन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए वाइट हाउस के बाहर मार्च निकालकर प्रदर्शन करता महिलाओं का समूह।

मानसिक कमजोर लोगों के घर में आग, आठ मरे

प्राग, 19 जनवरी (एएफपी)।

चेक गणराज्य के पश्चिमी शहर में रविवार तड़के घर में आग लगने से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। इस घर में मानसिक रूप से कमजोर लोग रहते हैं।

आपातकालीन सेवा के प्रवक्ता प्रोकोप वोलेनिक ने बताया कि आग से कुल 38 लोग प्रभावित हुए, उनमें से आठ की दुर्भाग्यवश मौत हो गई। 30 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से एक नाजुक हालत में है, जबकि तीन गंभीर रूप से और 26 लोग मामूली रूप से घायल हैं। आग स्थानीय समयानुसार तड़के तीन बजकर 49 मिनट पर लगी, जिसको अब नियंत्रित कर लिया गया है। प्राग से करीब 100 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में जर्मन सीमा के पास स्थित एक छोटे से शहर वेजपर्टी के मेयर जितका गावदुनोवा ने कहा, 'मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बने इस घर के उस हिस्से में आग लगी, जहां लड़के रहते हैं।'

यमन में मिसाइल और ड्रोन हमले, 80 जवानों की मौत

दुबई, 19 जनवरी (एएफपी)।

यमन के मारिब में सैन्य शिविर में मस्जिद पर मिसाइल और ड्रोन हमले में 80 से अधिक सैनिकों की जान चली गई और सैकड़ों घायल हुए हैं। इन हमलों के लिए हूती विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चिकित्सकीय व सैन्य सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी।

- हूती विद्रोहियों ने सना के पूर्व में 170 किलोमीटर दूर मारिब में शाम को नमाज के दौरान सैन्य शिविर पर हमला किया

ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन समर्थित यमन सरकार के बीच जारी युद्ध में कुछ महीनों की अपेक्षाकृत शांति के बाद शनिवार को यह हमला हुआ। सैन्य सूत्रों ने बताया कि हूती विद्रोहियों ने सना के पूर्व में करीब 170 किलोमीटर दूर मारिब में शाम को नमाज के दौरान सैन्य शिविर पर हमला किया। हताहतों को मारिब शहर के एक अस्पताल ले जाया गया।

अस्पताल के चिकित्सकीय सूत्र ने बताया कि हमले में 83 सैनिक मारे गए हैं और 148 अन्य घायल हुए हैं। इस हमले से एक दिन पहले गठबंधन समर्थित सरकारी बलों ने सना के उत्तर में स्थित नाहम क्षेत्र में हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। आधिकारिक संवाद समिति 'सबा' के अनुसार सैन्य सूत्र ने बताया कि नाहम में संघर्ष रविवार को भी जारी रहा। सूत्रों ने कहा, '(हूती) मिलिशिया के दर्जनों लोग हताहत हुए। यमन ने राष्ट्रपति अबेदरब्बो मंसूर हादी ने इस 'कायराना और आतंकवादी' हमले की निंदा की है।

'सबा' ने हादी के हवाले से कहा, 'हूती मिलिशिया का यह शर्मनाक कदम इस बात की निस्संदेह पुष्टि करता है कि वह शांति के इच्छुक नहीं है, क्योंकि उसे मौत और विनाश के अलावा कुछ नहीं आता और वह क्षेत्र में ईरान का घटिया हथियार है।' हूती विद्रोहियों ने इस हमले की तत्काल जिम्मेदारी नहीं ली है और 'सबा' ने अपनी रिपोर्ट में मृतक संख्या नहीं बताई है। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र दूत मार्टिन ग्रिफिथ्स ने हमलों में आई कमी का स्वागत किया था।

महाभियोग आरोप राष्ट्रपति चुनने के अमेरिकियों के अधिकार पर खतरनाक हमला : कानूनी टीम

वाशिंगटन, 19 जनवरी (भाषा)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कानूनी टीम ने सीनेट से प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित किए गए महाभियोग प्रस्ताव के दो आरोपों को खारिज करने का अनुरोध किया है। टीम ने इसे स्वतंत्र रूप से राष्ट्रपति चुनने के अमेरिकी लोगों के अधिकार पर खतरनाक हमला करार दिया है। डेमोक्रेट बहुल प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को अमेरिका के ऊपरी सदन सीनेट में भेजने के पक्ष में बुधवार को मतदान किया था।

ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने डेमोक्रेट प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन के खिलाफ जांच के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाकर सत्ता का दुरुपयोग किया और कांग्रेस को बाधित किया। सीनेट में कार्यवाही चलाए जाने के पक्ष में 228 सांसदों ने जबकि विपक्ष में 193 सांसदों ने वोट दिया था। सदन ने सात महाभियोग प्रबंधकों को नियुक्त किया, जो ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति के पद से हटाने की कार्यवाही में डेमोक्रेट्स के पक्ष में बहस करेंगे। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने इन प्रबंधकों को नामित किया है।

ट्रंप के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए वाइट हाउस की कानूनी टीम ने कहा कि महाभियोग का प्रस्ताव देश के लोगों की इच्छा को पलटने का घिनौना और गैरकानूनी प्रयास है। कानूनी टीम ने कहा कि यह 2016 के चुनावों के परिणामों को पलटने और 2020 के चुनाव में हस्तक्षेप करने का एक घिनौना और गैरकानूनी प्रयास है।

अस्पताल में भर्ती हुए थे 78 वर्षीय हबीबुर रहमान **तकनीक का फायदा** एक मरीज ने उनका वीडियो बनाया व मदद मांगी

फेसबुक से 48 साल बाद परिवार से मिला बांग्लादेशी

ढाका, 19 जनवरी (भाषा)।

- हबीबुर रहमान बीते 25 सालों से सिलहट के मौलवी बाजार इलाके में रह रहे थे जहां रजिया बेगम नाम की महिला उनकी देखभाल करती थी। खबर के मुताबिक बेगम ने बताया कि उनके परिवार के सदस्यों को रहमान 1995 में हजरत शहाबुद्दीन दरगाह में मिले थे। उन्होंने उस समय अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने कहा, 'वह अपने बारे में कहते थे कि वह कहीं ठहरते नहीं है। वह तभी से हमारे साथ रह रहे थे। हम उनका सम्मान करते हैं और उन्हें पीर कहते हैं।'

फेसबुक के वायरल वीडियो की मदद से 78 वर्षीय व्यक्ति चार दशक से भी ज्यादा समय के बाद परिवार से मिल सका है। मीडिया में आई खबर के मुताबिक वह कारोबारी दौरे के दौरान लापता हो गया था।

'डेली स्टार' की खबर के मुताबिक सिलहट के बजग्राम में रहने वाले हबीबुर रहमान जब 30 साल के थे तब एक कारोबारी दौरे के सिलसिले में घर से निकले थे। उनके गायब होने के करीब 48 साल बाद उनके परिवार को वह शहर के एमएजो उस्मानी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मिले। उनके बारे में तब पता चला जब अमेरिका में रहने वाली उनकी सबसे बड़ी बहू 17 जनवरी को फेसबुक पर वीडियो देख रही थी जिसमें एक व्यक्ति अपने बगल में मौजूद मरीज के लिए आर्थिक मदद मांग रहा था। उसे कुछ संदेह हुआ और उसने यह वीडियो अपने पति से साझा किया।

महिला के पति ने सिलहट में अपने भाइयों को यह वीडियो भेजा और मरीज के बारे में पता करने को कहा। खबर में कहा गया कि अगली सुबह उसके भाई शहाबुद्दीन और जलालुद्दीन ने इसकी पुष्टि की कि वीडियो में नजर आ रहा मरीज उनके पिता हैं। रहमान का सरियों व सीमेंट का कारोबार था, उनके चार बेटे थे। उनकी पत्नी का 2000 में निधन हो गया था। जलालुद्दीन ने कहा, 'मुझे याद है कि मेरी मां और रिश्तेदारों ने सालों तक उनकी तलाश की, लेकिन अंततः उम्मीद छोड़ दी। बाद में 2000 में मेरी मां का इंतकाल हो गया।'

रहमान बीते 25 सालों से सिलहट के मौलवी बाजार इलाके में रह रहे थे जहां रजिया बेगम नाम की महिला उनकी देखभाल करती थी। खबर के मुताबिक बेगम ने बताया कि उनके परिवार के सदस्यों को रहमान 1995 में हजरत शहाबुद्दीन दरगाह में मिले थे। उन्होंने उस समय अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने कहा, 'वह अपने बारे में कहते थे कि वह कहीं ठहरते नहीं है। वह तभी से हमारे साथ रह रहे थे। हम उनका सम्मान करते हैं और उन्हें पीर कहते हैं।'

बेगम ने कहा कि रहमान बढ़ती उम्र संबंधित परेशानियों से ग्रस्त थे और कुछ दिन पहले पलंग से गिरने की वजह से उनका हाथ टूट गया था। खबर के मुताबिक डॉक्टरों ने कहा कि रहमान का ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि उनके हाथ में संक्रमण हो गया है, लेकिन उनके पास इलाज के लिए इतना पैसा नहीं है। खबर में उन्होंने बताया कि अस्पताल के मरीज ने उनकी स्थिति बयान करने के लिए यह वीडियो बनाया और आर्थिक मदद मांगी।

लेबनान में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, 160 घायल

बेरूत,19 जनवरी (एएफपी)।

लेबनान में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में शनिवार को 160 से अधिक लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारी सरकार गठन में देरी से नाराज हैं। यहां सरकार विरोधी प्रदर्शनों का यह चौथा महीना है। झड़प के बाद शहर भर में सायरन की आवाजें गूंजने लगीं। रेड क्रॉस ने बताया कि 65 घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और 100 से अधिक लोगों का घटनास्थल पर ही उपचार चल रहा है।

मध्य बेरूत के चौराहे पर शनिवार शाम को प्रर्शनकारियों के तम्बुओं में आग फैल गई। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि आग लगने का कारण क्या है। लेबनान में प्रदर्शनों ने 17 अक्तूबर से फिर से जोर पकड़ा है। दरअसल देश का गहराता आर्थिक संकट लोगों की चिंता का कारण है और लोग नई सरकार के गठन का दबाव बना रहे हैं।

www.readwhere.com

dishman

DISHMAN CARBOGEN AMCIS LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): L74900GJ2007PLC051338
Registered Office: Dishman Corporate House, Iscon-Bopal Road, Ambli, Ahmedabad – 380 058, Gujarat, India | **Phone:** +91-2717- 420102/124
Email: grievance@dishmangroup.com | **Website:** www.dishmangroup.com | **Contact Person:** Ms. Shrima Dave, Company Secretary & Compliance Officer

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF DISHMAN CARBOGEN AMCIS LIMITED ("COMPANY") FOR BUY-BACK OF EQUITY SHARES FROM THE OPEN MARKET THROUGH STOCK EXCHANGE MECHANISM AS PRESCRIBED UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY- BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018.

This Public Announcement (the "**Public Announcement**") is being made in accordance with the provisions of Regulation 16(iv)(b) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018 ("**Buy-back Regulations**") and contains the disclosures as specified in Schedule IV read with Schedule I of the Buy-back Regulations.

OFFER FOR BUY-BACK OF FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 2/- EACH FROM THE OPEN MARKET THROUGH STOCK EXCHANGE MECHANISM

1. DETAILS OF THE BUY-BACK OFFER AND OFFER PRICE

1.1. The Board of Directors of Dishman Carbogen Amcis Limited (hereinafter referred to as the "**Board**"), at its meeting held on January 16, 2020 ("**Board Meeting**") has, pursuant to the provisions of Article 46 of Articles of Association of the Company and Sections 68, 69 and 70 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("**Act**") and applicable rules made thereunder and in compliance with the Buy-back Regulations and subject to such other approvals permissions and sanctions as may be necessary, approved the Buy-back of fully paid up equity shares by the Company having face value of ₹ 2/- each ("**Equity Share(s)**") from open market through stock exchange mechanism prescribed under the Buy-back Regulations from the equity shareholders/beneficial owners of the Equity Shares of the Company other than the Promoters, members of Promoter Group and persons in control of the Company, for an amount not exceeding ₹ 72,00,00,000/- (Rupees Seventy Two Crores Only) excluding transaction costs viz. fees, brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, goods and services tax, income tax, stamp duty, etc. ("**Transaction Costs**") ("**Maximum Buy-back Size**") at a price not exceeding ₹ 150/- (Rupees One Hundred and Fifty Only) per Equity Share ("**Maximum Buy-back Price**") payable in cash which represents 1.48% and 1.38% of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) as per the audited standalone financial statements and the audited consolidated financial statements respectively of the Company for the financial year ended on March 31, 2019 ("**Buy-back**").

1.2. The Company will comply with the requirement of maintaining a minimum public shareholding of at least 25% of the total paid-up equity share capital of the Company as provided under Regulation 38 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("**SEBI Listing Regulations**") during the Buy-back period and upon completion thereof.

1.3. The Buy-back will be implemented by the Company from its free reserves (including securities premium account) and/or such other sources as permitted in accordance with Regulation 4(ix) and in accordance with Regulation 4(iv)(b)(ii) read with Regulation 16 of the Buy-back Regulations from the open market through the stock exchange mechanism using the electronic trading facility provided by BSE Limited ("**BSE**") and National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**"), stock exchanges where existing Equity Shares of the Company are listed ("**BSE**" and "**NSE**" collectively referred as "**Stock Exchanges**") and by using the order matching mechanism except "all or none" order matching system as provided under the Buy-back Regulations.

1.4. The Maximum Buy-back Size of ₹ 72,00,00,000/- (Rupees Seventy Two Crores Only) excluding Transaction Costs represents 1.48% and 1.38% of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) as per the audited standalone financial statements and the audited consolidated financial statements respectively of the Company for the financial year ended on March 31, 2019. Since the Maximum Buy-back Size is not more than 10% of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) of the Company, the approval of shareholders of the Company is not required in terms of Section 68(2)(b) of the Act and Regulation 5(i)(b) of the Buy-back Regulations.

1.5. The Buy-back from non-resident members, Overseas Corporate Bodies ("**OCBs**") and Foreign Portfolio Investors ("**FPIs**"), and members of foreign nationality, if any, etc. is subject to such approvals as may be required including approvals from the Reserve Bank of India under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules, regulations framed thereunder, if any, and such approvals shall be required to be taken by such non-resident members.

1.6. A copy of this Public Announcement will be available on the website of SEBI (www.sebi.gov.in) as well as on Company's website (www.dishmangroup.com) and website of Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com).

2. NECESSITY OF THE BUY-BACK

The Buy-back is being undertaken by the Company to return surplus funds to the equity shareholders of the Company. Additionally, our Company believes that the Buy-back would improve the Company's return on equity and help in increasing shareholder value in the long term.

3. MAXIMUM AND MINIMUM BUY-BACK SIZE

3.1. The maximum amount to be utilized under the Buy-back will not exceed ₹ 72,00,00,000/- (Rupees Seventy Two Crores Only) (excluding Transaction Costs) which represents 1.48% and 1.38% of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) as per the audited standalone financial statements and the audited consolidated financial statements respectively of the Company for the financial year ended on March 31, 2019.

3.2. At the Maximum Buy-back Size and the Maximum Buy-back Price, the indicative maximum number of Equity Shares to be bought back under the Buy-back would be 48,00,000 Equity Shares ("**Maximum Buy-back Shares**") which represents 2.97% of the total number of Equity Shares of the Company. If the Equity Shares are bought back at a price below the Maximum Buy-back Price, the actual number of Equity Shares bought back could exceed the indicative Maximum Buy-back Shares (assuming full deployment of the Maximum Buy-back Size) but will always be subject to the Maximum Buy-back Size. The actual number of Equity Shares bought back under the Buy-back will depend upon the actual price, excluding the Transaction Costs, paid for the Equity Shares bought back and the aggregate consideration paid in the Buy-back, subject to the Maximum Buy-back Size. Further, the number of Equity Shares bought back under the Buy-back will not exceed 25% of the total number of Equity Shares of the Company.

3.3. Further, in accordance with Regulation 15 of the Buy-back Regulations, the Company shall utilize at least 50% of the amount earmarked as the Maximum Buy-back Size for the Buy-back, i.e. ₹ 36,00,00,000/- (Rupees Thirty Six Crores only) ("**Minimum Buy-back Size**") and based on the Minimum Buy-back Size and the Maximum Buy-back Price, the Company will purchase indicative minimum of 24,00,000 Equity Shares ("**Minimum Buy-back Shares**") in the Buy-back, which represents 1.49% of the total number of Equity Shares of the Company.

4. MAXIMUM BUY-BACK PRICE AND BASIS OF ARRIVING AT THE BUY-BACK PRICE

4.1. The Maximum Buy-back Price is ₹ 150/- per Equity Share. The Maximum Buy-back Price has been arrived at after considering various factors, including but not limited to, the volume weighted average market price of the Equity Shares of the Company on stock exchanges during 3 (three) months and 2 (two) weeks preceding the date of the Board Meeting, closing market price on the date of Board Meeting and the potential impact on the net worth and Earning per Share of the Company.

4.2. The Maximum Buy-back Price of ₹ 150/- per Equity Share represents: i) a premium of 66.84% over the volume weighted average market price of the Equity Shares on NSE (the Stock Exchange where the maximum volume of trading in the Equity Shares is recorded) for 3 (three) months preceding the date of the Board Meeting which was ₹ 89.91 and ii) a premium of 103.61% over the volume weighted average market price of the Equity Shares on NSE (the Stock Exchange where the maximum volume of trading in the Equity Shares is recorded) for 2 (two) weeks preceding the date of the Board Meeting which was ₹ 73.61. The closing market price of the Equity Shares as on the date of the Board Meeting was ₹ 88.70 on BSE and ₹ 88.65 on NSE.

4.3. The Buy-back is proposed to be completed within a maximum period of 6 (six) months from the date of opening of the Buy-back. Subject to the Maximum Buy-back Price of ₹ 150/- (Rupees One Hundred and Fifty only) per Equity Share for the Buy-back and maximum validity period of 6 (six) months from the date of opening of the Buy-back and achievement of the Minimum Buy-back Size, the actual time frame and the price for the Buy-back will be determined by the Board and/or authorized representatives of the Board or any committee thereof, at their discretion, in accordance with the Buy-back Regulations.

4.4. The amount required by the Company for the Buy-back (including the cost of financing the Buy-back and the Transaction Costs) will be from the internal accruals of the Company. The Company confirms that as required under Section 68(2)(d) of the Companies Act and under Regulation 4(ii) of the Buy-back Regulations, the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company post Buy-back shall not be more than twice the paid-up equity share capital and free reserves based on both audited standalone and consolidated financial statements of the Company.

5. MAXIMUM NUMBER OF EQUITY SHARES THAT THE COMPANY PROPOSES TO BUY-BACK

5.1. At the Maximum Buy-back Size and the Maximum Buy-back Price, the indicative maximum number of Equity Shares to be bought back under the Buy-back would be 48,00,000 Equity Shares which represents 2.97% of the total number of Equity Shares of the Company. If the Equity Shares are bought back at a price below the Maximum Buy-back Price, the actual number of Equity Shares bought back could exceed the indicative Maximum Buy-back Shares (assuming full deployment of the Maximum Buy-back Size) but will always be subject to the Maximum Buy-back Size. The actual number of Equity Shares bought back during the Buy-back will depend upon the actual price, excluding the Transaction Costs, paid for the Equity Shares bought back and the aggregate consideration paid in the Buy-back, subject to the Maximum Buy-back Size. Further, the number of Equity Shares bought back under the Buy-back will not exceed 25% of the total number of Equity Shares of the Company.

6. DETAILS OF SHAREHOLDING OF PROMOTERS AND PROMOTER GROUP AND OTHER DETAILS

6.1. The aggregate shareholding of a) the promoters and promoter group of the Company and b) the directors/ designated partners of corporate promoter of the Company and the persons in control of the Company ("**Promoters and Promoter Group**") as on the date of the Board Meeting i.e. January 16, 2020 is given below:

S. No.	Category of Member	No. of Equity Shares Held	% of Existing Equity Share Capital
A	**Promoters and Promoter Group***		
1	Adimans Technologies LLP	9,90,91,898	61.40
2	Janmejay R. Vyas	1,000	0.00
3	Deohooti J. Vyas	1,000	0.00
4	Arpit J. Vyas	1,000	0.00
5	Aditi J. Vyas	1,000	0.00
6	Mansi J. Vyas	1,000	0.00
	Sub-total (A)	**9,90,96,898**	**61.40**
B	**Directors/Designated Partners of corporate promoter (other than Promoters and Promoter Group)**		
1	Bharatbhai P. Padia	2,000	0.00
2	Abhishek K. Shodhan	500	0.00
	Sub-total (B)	**2,500**	**0.00**
	Total shareholding (A+B)	**9,90,99,398**	**61.40**

**the Promoter Group of the Company also include Saloni A. Vyas, Janmejay Rajnikant Vyas – HUF, Azafran Innovacion Limited, Dishman Biotech Limited, Dishman Infrastructure Limited, Leon Hospitality Private Limited, B R Laboratories Limited, Atharn Brahmasmi Entertainment Private Limited, Discus IT Private Limited, Azafran Ventures Private Limited, Azafran Switzerland AG, Aamanya AG, Adiman Ventures, Vyas Family Trust, Janmejay Vyas Family Trust, Deohooti Vyas Family Trust, Arpit Vyas Family Trust, Aditi Vyas Family Trust and Mansi Shodhan Family Trust who are not holding any Equity Shares of the Company.*

6.2. The aggregate number of Equity Shares purchased or sold by persons mentioned in para 6.1 above during a period of 12 (twelve) months preceding the date of the Board Meeting, being January 16, 2020, is as follows:

Name of Shareholder	Aggregate No. of Equity Shares purchased	Nature of Transaction	Maximum Price (₹)	Date of Maximum Price	Minimum Price (₹)	Date of Minimum Price
Adimans Technologies LLP	9,90,91,898	Succession upon conversion of Adimans Technologies Private Limited into Adimans Technologies LLP on January 28, 2019	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Abhishek K. Shodhan	500	Market Purchase	84.50	December 31, 2019	84.50	December 31, 2019

6.3. Except as disclosed above, the Promoters and Promoter Group have not purchased or sold any Equity Shares of the Company and there has been no change in their shareholdings for last twelve months prior to the date of the Board Meeting.

7. NON-PARTICIPATION OF PROMOTERS AND PROMOTER GROUP OF THE COMPANY IN THE BUY-BACK

7.1 In accordance with Regulation 16(ii) of the Buy-back Regulations, the Buy-back of Equity Shares shall not be made by the Company from the Promoters and Promoter Group of the Company.

7.2. Further, in accordance with the Regulation 24(i)(e) of the Buy-back Regulations, the Promoters or their associates shall not deal in the Equity Shares or other specified securities of the Company in the stock exchange or off-market, including inter-se transfer of shares, during the period from the date of Board Meeting till the closing of the Buy-back.

8. NO DEFAULT

The Company confirms that there are no defaults subsisting in the repayment of deposits or interest thereon, redemption of debentures or preference shares or payment of dividend to any shareholder, or repayment of any term loan or interest payable thereon to any financial institution or banks.

9. CONFIRMATION BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

The Board of Directors of the Company has, at its meeting held on January 16, 2020, confirmed that they have made full enquiry into the affairs and prospects of the Company and that they have formed an opinion-

a) that immediately following the date of the Board Meeting i.e. January 16, 2020 at which the Buy-back of the Company's Equity Shares is approved, there will be no grounds on which the Company could be found unable to pay its debts;

b) that as regards the Company's prospects for the year immediately following the date of the Board Meeting held on January 16, 2020 and having regard to the Board's intentions with respect to the management of the Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources, which will, in the Board's view, be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of the Board Meeting held on January 16, 2020; and

c) that in forming its opinion as aforesaid, the Board has taken into account the liabilities as if the Company were being wound up under the provisions of the Companies Act, 1956 or Companies Act, 2013 or the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (including prospective and contingent liabilities).

10. REPORT ADDRESSED TO THE BOARD OF DIRECTORS BY THE COMPANY AUDITORS

The text of the report dated January 16, 2020 received from Haribhakti & Co. LLP, Chartered Accountants (Firm Registration Number - 103523W / W100048) and V. D. Shukla & Co., Chartered Accountants (Firm Registration Number - 110240W), the Joint Statutory Auditors of the Company and the annexed statement of computation of permissible capital payments for the proposed Buy-back of Equity Shares of the Company, addressed to the Board of Directors of the Company is reproduced below:

Quote

To,
The Board of Directors
Dishman Carbogen Amcis Limited
Dishman Corporate House, Iscon-Bopal Road
Ambli, Ahmedabad - 380 058, Gujarat, India

Joint Statutory Auditor's Report on the matters specified in clause (xi) of Schedule I of Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 2018 (as amended) (the "SEBI Buy-back Regulations") for proposed buy-back of equity shares of Dishman Carbogen Amcis Limited ("Dishman"/the "Company").

1. This Report is issued in accordance with the terms of our engagement letter dated January 13, 2020. The Board of Directors of the Company have approved a proposal for buy-back of equity shares by the Company at its meeting held on January 16, 2020, in pursuance of the provisions of Sections 68, 69 and 70 of the Companies Act, 2013 (the "Act") and the SEBI Buy-back Regulations.

2. We, Haribhakti & Co. LLP, Chartered Accountants (Firm Registration Number 103523W / W100048) and V. D. Shukla & Co., Chartered Accountants (Firm Registration Number 110240W), the Joint Statutory Auditors of the Company, have been requested by the Management of the Company to provide a report on the accompanying statement of permissible capital payment (including premium) (enclosed as "**Annexure A**") based on financial statements (Standalone and Consolidated) as at March 31, 2019 (hereinafter referred together as the "Statement"). This Statement has been prepared by the Management, which we have initialed for identification purposes only.

Management's Responsibility for the Statement

3. The preparation of the Statement in accordance with Section 68 (2)(c) read with the proviso to Section 68(2)(b) of the Act, Regulation 4(i), the proviso to regulation 4(iv), and the proviso to Regulation 5(i)(b) of the SEBI Buy-back Regulations and the compliance with the other requirements of the SEBI Buy-back Regulations, is the responsibility of the Management of the Company, including the computation of the amount of the permissible capital payment, the preparation and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the Statement and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances.

4. The management is also responsible to ensure compliance with the other relevant provisions of the Act and the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 ("the Rules") as applicable.

Auditor's Responsibility

5. Pursuant to the requirements of clause (xi) of Schedule I of SEBI Buy-back Regulations, it is our joint responsibility to provide reasonable assurance:

(i) Whether we have inquired into the state of affairs of the Company in relation to the latest audited standalone and consolidated financial statements as at and for the financial year ended March 31, 2019 which have been audited by us, and on which we have issued an unmodified audit opinion vide our reports dated May 15, 2019. These audited standalone and consolidated financial statements have been approved by the Board of Directors on May 15, 2019 and adopted by the members of the Company on September 24, 2019.

We conducted our audit of these standalone and consolidated financial statements in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act and other applicable authoritative pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the standalone and consolidated financial statement are free from material misstatement.

(ii) whether the amount of permissible capital payment (including securities premium) as stated in Annexure A for the proposed buy-back of equity shares has been properly determined considering the audited standalone and consolidated financial statements as at March 31, 2019, in accordance with Section 68 (2)(c) read with proviso to Section 68(2)(b) of the Act and Regulation 4(i), proviso to Regulation 4(iv) and the proviso to Regulation 5(i)(b) of the SEBI Buy-back Regulations; and

(iii) whether the Board of Directors of the Company in their meeting dated January 16, 2020, have formed the opinion as specified in clause (x) of Schedule I to the SEBI Buy-back Regulations, on reasonable grounds and that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent within a period of one year from the date of passing the Board meeting resolution dated January 16, 2020.

6. We conducted our examination of the Statement in accordance with the Guidance Note on Audit Reports and Certificates for Special Purposes, issued by the ICAI (the "Guidance Note"). The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.

7. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

Opinion

8. Based on inquiries conducted and our examination as above, and according to the information and explanation provided to us by the Management of the Company we report that:

i. We have enquired into the state of affairs of the Company in relation to its audited financial statements as at and for the year ended March 31, 2019;

ii. The amount of permissible capital payment (including premium) towards the proposed buy back of equity shares as computed in the Statement attached herewith is, as Annexure A, in our view properly determined in accordance with Section 68 (2)(c) read with proviso to Section 68(2)(b) of the Act and Regulation 4(i), proviso to Regulation 4(iv) and the proviso to Regulation 5(i)(b) of the SEBI Buy-back Regulations. The amounts of paid up equity share capital and free reserves have been extracted from the audited standalone and consolidated financial statements of the Company as at and for the year ended March 31, 2019; and

iii. The Board of Directors of the Company, in their meeting held on January 16, 2020, have formed their opinion as specified in clause (x) of Schedule I to the SEBI Buyback Regulations, on reasonable grounds and that the Company, having regard to its state of affairs, will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of passing the Board meeting resolution dated January 16, 2020.

Restriction on Use

This report has been issued at the request of the Company solely for use of the Company (i) in connection with the proposed buyback of equity shares of the Company in pursuance to the provisions of Section 68 and other applicable provisions of the Act and the SEBI Buy-back Regulations, (ii) to enable the Board of Directors of the Company to include in the public announcement and other documents pertaining to the buyback to be filed with (a) the Registrar of Companies, Securities and Exchange Board of India, stock exchanges and any other regulatory authority as per applicable law and (b) the Central Depository Services (India) Limited, National Securities Depository Limited and (iii) for providing to the Manager in connection with the proposed buy-back of equity shares of the Company in pursuance to the provisions of Section 68 and other applicable provisions of the Act and the SEBI Buy-back regulation, and may not be suitable for any other purpose.

For **Haribhakti & Co. LLP**	For **V. D. Shukla & Co.**
Chartered Accountants	Chartered Accountants
ICAI Firm Registration Number: 103523W/ W100048	**ICAI Firm Registration Number:** 110240W
Hemant J. Bhatt	**Vimal D. Shukla**
Partner	Proprietor
Membership Number: 036834	Membership Number: 036416
Place of Signature: Ahmedabad	Place of Signature: Ahmedabad
Date: January 16, 2020	Date: January 16, 2020
UDIN:- 20036834AAAAAA3431	UDIN:- 20036416AAAAAU6508

Encl: Annexure A-Statement of permissible capital payment (including Securities Premium) as at March 31, 2019.

Annexure A

Statement of permissible capital payment (including Securities Premium) as at March 31, 2019

The amount of permissible capital (including securities premium) towards the proposed buy-back of equity shares as computed in the table below is determined in accordance with Section 68(2)(c) read with proviso to Section 68(2)(b) of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Regulation 4(i), proviso to Regulation 4(iv) and the proviso to Regulation 5(i)(b) of Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018, as amended. The amount of share capital and free reserves has been extracted from the audited standalone and consolidated financial statements of the Company for the year ended March 31, 2019

Particulars	March 31, 2019 (₹ in Crores)	
	STANDALONE	CONSOLIDATED
Paid-up Equity Share Capital as at March 31, 2019*		
16,13,94,272 equity shares of ₹ 2/- each fully paid-up	32.28	32.28
Total (A)	32.28	32.28
Free Reserves as at March 31, 2019*		
Securities premium account	4,777.72	4,777.72
General reserve	-	-
Retained Earnings **	53.83	399.75
Total (B)	4,831.55	5,177.47
Total (A+B)	4,863.83	5,209.75
Maximum amount permissible for buy-back under Section 68 of the Companies Act, 2013 (25% of the total paid up capital and free reserves)	1,215.95	1,302.43
Permissible number of Equity Shares eligible for Buy-back in accordance with Section 68(2)(b) and 68(2)(c) of the Companies Act, 2013 (25% of total number of equity shares) (**Nos.**)	4,03,48,568	
Maximum amount permissible for buy-back with the approval of Board of Directors of the Company under Section 68 of the Companies Act, 2013 (10% of the total paid up equity share capital and free reserves)	486.38	520.97
Amount proposed by Board Resolution dated January 16, 2020, approving the Buy-back, based on the audited financials for the year ended March 31, 2019	72	

* Calculation in respect to the Buy-back is done on basis of audited standalone and consolidated financial statements of the Company for the year ended March 31, 2019.

** Surplus is adjusted for the unrealized gain, impact of recognition of financial assets/ liabilities at amortized cost (except the impact of recognition of Investment at fair value), and deferred tax impact on such adjustments.

For and on behalf of Board of Directors of
Dishman Carbogen Amcis Limited
Sd/-
Arpil J. Vyas
Global Managing Director
DIN: 01540057
Place: Ahmedabad — Date: January 16, 2020

Unquote

11. DATE OF BOARD APPROVAL FOR THE BUY-BACK

The Board of Directors of the Company has, at its meeting held on January 16, 2020, approved the Buy-back. Since the Maximum Buy-back Size is not more than 10% of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) of the Company, the approval of shareholders of the Company is not required in terms of Section 68(2)(b) of the Act and Regulation 5(i)(b) of the Buy-back Regulations.

12. MINIMUM AND MAXIMUM OF NUMBER OF EQUITY SHARES TO BE BOUGHT BACK, SOURCE OF FUNDS AND COST OF FINANCING THE BUY-BACK

12.1. At the Maximum Buy-back Size and the Maximum Buy-back Price, the indicative maximum number of Equity Shares to be bought back under the Buy-back would be 48,00,000 Equity Shares which represents 2.97% of the total number of Equity Shares of the Company. If the Equity Shares are bought back at a price below the Maximum Buy-back Price, the actual number of Equity Shares bought back could exceed the indicative Maximum Buy-back Shares (assuming full deployment of the Maximum Buy-back Size) but will always be subject to the Maximum Buy-back Size. The actual number of Equity Shares bought back during the Buy-back will depend upon the actual price, excluding the Transaction Costs, paid for the Equity Shares bought back and the aggregate consideration paid in the Buy-back, subject to the Maximum Buy-back Size. Further, the number of Equity Shares bought back under the Buy-back will not exceed 25% of the total number of Equity Shares of the Company.

12.2. Unless otherwise permitted under the applicable laws, the Company shall utilize at least 50% of the Maximum Buy-back Size, i.e., ₹ 36,00,00,000/- (Rupees Thirty Six Crores Only) towards the Buy-back ("**Minimum Buy-back Size**") and accordingly, at the Maximum Buy-back Price and the Minimum Buy-back Size, the Company will buy-back an indicative minimum of 24,00,000 Equity Shares ("**Minimum Buy-back Shares**").

12.3. The amount required by the Company for the Buy-back (including Transaction Costs) will be met out of the balances in free reserves, current surplus and/or cash and cash equivalents and/or internal accruals and/ or liquid resources and/or such other permissible sources of funds of the Company, as per the Act and the Buy-back Regulations.

13. PROPOSED TIMETABLE FOR THE BUY-BACK

Activity	Date
Date of Board Approval	Thursday, January 16, 2020
Date of publication of Public Announcement	Monday, January 20, 2020
Date of opening of the Buy-back	Monday, January 27, 2020
Acceptance of Equity Shares accepted in dematerialized form	Upon the relevant pay-out by the stock exchanges
Extinguishment of Equity Shares/certificates	The Equity Shares bought back in dematerialized form will be extinguished in the manner specified in the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 and the bye-laws framed thereunder and within the timeline prescribed under the Buy-back Regulations
Last date for the completion of the Buy-back	Earlier of: a. Friday, July 24, 2020 (i.e., within 6 months from the date of the opening of the Buy-back); or b. when the Company completes the Buy-back by deploying the amount equivalent to the Maximum Buy-back Size; or c. at such earlier date as may be determined by the Board/or its duly authorized Buy-back Committee, after giving notice of such earlier closure, subject to the Company having deployed an amount equivalent to the Minimum Buy-back Size (even if the Maximum Buy-back Size has not been reached or the Maximum Buy-back Shares have not been bought back), however, that all payment obligations relating to the Equity Shares bought back shall be completed before the last date for the Buy-back.

14. PROCESS AND METHODOLOGY FOR THE BUY-BACK

14.1. The Buy-back is open to all shareholders / beneficial owners holding the Equity Shares in dematerialized form ("**Demat Shares**"). Shareholders holding Equity Shares in physical form can participate in the Buy-back after such Equity Shares are dematerialized by approaching depository participant. However, in accordance with Regulation 16(ii) of the Buy-back Regulations, the Buy-back shall not be made from the Promoters and Promoter Group of the Company.

14.2. Further, as required under the Act and the Buy-back Regulations, the Company will not buy back any Equity Shares which are locked-in or non-transferable, until the pendency of such lock-in, or until the time such Equity Shares become freely transferable, as applicable.

14.3. The Buy-back will be implemented by the Company in accordance with Regulation 4(iv)(c)(ii) read with Regulation 16 of the Buy-back Regulations from the open market through the Stock Exchanges having nationwide terminal, using the order matching mechanism except "all or none" order matching system as provided under the Buy-back Regulations.

14.4. For implementation of the Buy-back, the Company has appointed **Shah Investor's Home Limited** as the registered broker to the Company (the "**Company's Broker**") through whom the purchases and settlement on account of the Buy-back would be made by the Company. The contact details of the Company's Broker are as follows:

Name: Shah Investor's Home Limited
Registered Office: SIHL House, Opp. Ambawadi Jain Temple,
Nehrunagar Cross Roads,
Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India
Contact Person: Mr. Utpal P. Shah | **Tel.:** +91-99250 08835
Email: utpal.shah@sihl.in | **Website:** www.sihl.in
SEBI Registration Number: INZ000167335
Corporate Identity Number: U67120GJ1994PLC023257

14.5. The Company, shall, commencing from Monday, January 27, 2020 (i.e. the date of commencement of the Buy-back), place "buy" orders on the Stock Exchanges (BSE and/or NSE) on the normal trading segment to Buy-back the Equity Shares through the Company's Broker, in such quantity and at such price, not exceeding the Maximum Buy-back Price of ₹ 150/- per Equity Share, as it may deem fit, depending upon the prevailing market price of the Equity Shares on the Stock Exchanges. When the Company has placed an order for Buy-back of Equity Shares, the identity of the Company as a purchaser shall be available to the market participants of the Stock Exchanges.

Procedure for Equity Shares held in dematerialized form ("Demat Shares")

14.6. Beneficial owners holding Demat Shares who desire to sell their Equity Shares in the Buy-back, would have to do so through their stock broker, who is a registered member of the Stock Exchanges by indicating to their broker the details of the Equity Shares they intend to sell whenever the Company has placed a "buy" order for Buy-back of the Equity Shares. The Company shall place a "buy" order for Buy-back of Demat Shares, by indicating to the Company's Broker, the number of Equity Shares it intends to buy along with a price for the same. The trade would be executed at the price at which the order matches the price tendered by the beneficial owners and that price would be the Buy-back price for that beneficial owner. The execution of the order and issuance of contract note would be carried out by the Company's Broker in accordance with the requirements of the Stock Exchanges and the SEBI. The orders for Equity Shares can be placed on the trading days of the Stock Exchanges. The Company is under no obligation to place "buy" order on a daily basis.

14.7. It may be noted that a uniform price would not be paid to all the shareholders/beneficial owners pursuant to the Buy-back and that the same would depend on the price at which the trade with that particular shareholder/beneficial owner was executed.

Procedure for Equity Shares held in physical form ("Physical Shares")

14.8. As per the proviso to Regulation 40(1) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, effective from April 01, 2019, transfers of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialized form with a depository. In light of the above, the Company shall not accept the Equity Shares tendered under the Buy-back unless such Equity Shares are in dematerialised form.

ACCORDINGLY, ALL SHAREHOLDERS OF THE COMPANY HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM AND DESIROUS OF TENDERING THEIR EQUITY SHARES IN THE BUY-BACK ARE ADVISED TO APPROACH THE CONCERNED DEPOSITORY PARTICIPANT TO HAVE THEIR EQUITY SHARES DEMATERIALIZED. IN CASE ANY ELIGIBLE SHAREHOLDER HAS SUBMITTED EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM FOR DEMATERIALIZATION, SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS SHOULD ENSURE THAT THE PROCESSOF DEMATERIALIZATION IS COMPLETED WELL IN TIME SO THAT THEY CAN PARTICIPATE IN THE BUY-BACK BEFORE BUY-BACK CLOSING DATE.

14.9. Shareholders are requested to get in touch with the Manager to the Buy-back or the Company's Broker or the Registrar of the Company to clarify any doubts in the process.

14.10. Subject to the Company purchasing Equity Shares for an amount equivalent to the Minimum Buy-back Size, nothing contained herein shall create any obligation on the part of the Company or the Board to Buy-back any additional Equity Shares or confer any right on the part of any shareholder to have any

continue...

नीति आयोग के सदस्य ने जम्मू-कश्मीर में नेटबंदी को बताया सही

अमदाबाद, 19 जनवरी (भाषा)।

नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बंद रहने का देश की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा है क्योंकि वहां के लोग ऑनलाइन 'गंदी फिल्में' देखने के अलावा और कुछ नहीं करते थे।

केंद्र सरकार के जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधन पांच अगस्त को खत्म करने और दो केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की घोषणा करने के मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं। धीरूभाई अंबानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के बाद शनिवार को गांधीनगर में सारस्वत ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा, 'वहां इंटरनेट नहीं होने से क्या फर्क पड़ रहा है? आप इंटरनेट पर क्या देखते थे? वहां क्या ई-टेलिंग (इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री) हो रही है? गंदी फिल्में देखने के अलावा, आप कुछ नहीं करते।' उन्होंने कहा,

कहा, जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बंद रहने का देश की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा है क्योंकि वहां के लोग ऑनलाइन 'गंदी फिल्में' देखने के अलावा और कुछ नहीं करते थे।

'कश्मीर में अगर इंटरनेट नहीं है, तो इसका अर्थव्यवस्था पर कोई अहम प्रभाव नहीं पड़ता।' सारस्वत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं को बंद करने का लक्ष्य कुछ तत्वों को जानकारी का गलत इस्तेमाल करने से रोकना था।

उन्होंने कहा, 'अगर अनुच्छेद 370 को हटाना था और अगर कश्मीर को आगे ले जाना था, तो हमें पता था कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो ऐसी सूचना का इस तरह दुरुपयोग करेंगे, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होगी।' जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हाल ही में हुए प्रदर्शनों पर सारस्वत ने कहा कि वह संस्थान राजनीतिक लड़ाई का मैदान बन गया है, जहां आधे से अधिक शिक्षक कट्टर वामपंथी हैं। उन्होंने वहां के मुद्दों को लोकतांत्रिक तरीके से हल करने पर भी जोर दिया।

संविधान विस्तार से पढ़ें सारस्वत : येचुरी

जनसत्ता ब्यूरो/ भाषा
नई दिल्ली/श्रीनगर, 19 जनवरी।

माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने कश्मीर में इंटरनेट सेवा को गैरजरूरी बताने वाले नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत को देश के संविधान को विस्तार से पढ़ने की नसीहत दी।

येचुरी ने सारस्वत के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट कर कहा- यह व्यक्ति (सारस्वत) नीति आयोग के सदस्य हैं। उन्हें खुद को अपडेट करने के लिए भारत का संविधान पढ़ने की जरूरत है और वह प्रस्तावना से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी एनआरसी के खिलाफ आंदोलनों के बारे में येचुरी ने कहा कि सीएए-एनआरसी के विरोध में देश के सभी शहरों और कस्बों में आंदोलन हो रहे हैं और वह (सारस्वत) इन आंदोलनों में पढ़ी जा रही संविधान की प्रस्तावना से खुद को अवगत करा सकते हैं।

उधर, कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआइ) ने भी सारस्वत के बयान की कड़ी निंदा की है। केसीसीआइ के अध्यक्ष शेख आशिक ने कहा, 'वे कश्मीर के लोगों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं।'

Equity Shares bought back, even if the Maximum Buy-back Size has not been reached, and/or impair any power of the Company or the Board to terminate any process in relation to the Buy-back, to the extent permissible by law. The Company is under no obligation to utilize the entire amount of Maximum Buy-back Size or buy all the Maximum Buy-back Shares. However, if the Company is not able to complete the Buy-back equivalent to the Minimum Buy-back Size, except for the reasons mentioned in the Buy-back Regulations, the amount held in the Escrow Account (up to a maximum of 2.5% of the Maximum Buy-back Size), may be liable to be forfeited and deposited in the Investor Protection and Education Fund of the SEBI or as directed by the SEBI in accordance with the Buy-back Regulations.

14.11 The Company shall submit the information regarding the Equity Shares bought back by it, to the Stock Exchanges on a daily basis in accordance with the Buy-back Regulations. The Company shall also upload the information regarding the Equity Shares bought back by it on its website (www.dishmangroup.com) on a daily basis.

14.12. Shareholders who intend to participate in the Buy-back should consult their respective tax advisors for applicable taxes.

15. METHOD OF SETTLEMENT

15.1. **Settlement of Demat Shares:** The Company will pay consideration for the Buy-back to the Company's Broker on or before every pay-in date for each settlement, as applicable to the Stock Exchanges where the transaction is executed. The Company will open a depository account styled "Dishman Carbogen Amcis Limited-Buy-Back Account" (**"Buy-back Demat Account"**) for the purpose of the Buy-back. Demat Shares bought back by the Company will be transferred into the Buy-back Demat Account by the Company's Broker, on receipt of such Demat Shares and after completion of the clearing and settlement obligations of the Stock Exchanges. Beneficial owners holding Demat Shares would be required to transfer the number of such Demat Shares sold to the Company pursuant to the Buy-back, in favour of their stock broker through whom the trade was executed, by tendering the delivery instruction slip to their respective Depository Participant (**"DP"**) for debiting their beneficiary account maintained with the DP and crediting the same to the broker's pool account as per procedure applicable to normal secondary market transactions. The beneficial owners would also be required to provide to the Company's Broker or the Registrar to the Buy-back, copies of all statutory consents and approvals required to be obtained by them for the transfer of their Equity Shares to the Company.

15.2. **Extinguishment of Demat Shares:** The Demat Shares bought back by the Company shall be extinguished and destroyed in the manner specified in the Securities and Exchange Board of India (Depository and Participants) Regulations, 2018, as amended and bye-laws framed thereunder, in the manner specified in the Buy-back Regulations and the Act. The Equity Shares lying in credit in the Buy-back Demat Account will be extinguished within the timeline prescribed under the Buy-back Regulations, provided that the Company undertakes to ensure that all Demat Shares bought back by the Company are extinguished within 7 (seven) days of expiry of the Buy-back period.

15.3. Consideration for the Equity Shares bought back by the Company shall be paid only by way of cash through normal banking channel.

16. BRIEF INFORMATION ABOUT THE COMPANY

16.1. Dishman Carbogen Amcis Limited (**"DCAL"**) was originally incorporated in the State of Gujarat on July 17, 2007 in the name and style of *'Carbogen Amcis (India) Limited'* under the Companies Act, 1956. The name of the Company changed to *'Dishman Carbogen Amcis Limited'* pursuant to fresh certificate of incorporation consequent upon change of name dated March 27, 2017 issued by the Registrar of Companies, Ahmedabad. The corporate identity number of the Company is L74900GJ2007PLC051338.

16.2. The registered office of the Company is located at Dishman Corporate House, Iscon-Bopal Road, Ambli, Ahmedabad – 380 058, Gujarat, India.

16.3. The company is engaged in the business of Contract Research and Manufacturing Services (CRAMS) and manufacturing and supply of marketable molecules such as specialty chemicals, Phase Transfer Catalysts (PTCs), Generic API's and Intermediates. It also manufactures Vitamin D and its analogues, cholesterol, lanolin related products and industrial disinfectants through its subsidiaries.

16.4. The Equity Shares of the Company are listed and traded on NSE with Scrip Symbol: DCAL and BSE with Scrip Code: 540701 since September 21, 2017. The ISIN of the Equity Shares of the Company is INE385W01011.

17. FINANCIAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

The financial information about the Company on the basis of unaudited limited review standalone and consolidated financial results for six months period ended September 30, 2019 and audited consolidated and standalone financial statements of the Company for the last three financial years ended March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017 is provided hereunder:

STANDALONE (₹ in Crores)

Particulars#	Six Months ended	Year ended		
	30-Sep-19	31-Mar-19	31-Mar-18	31-Mar-17
	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total Income	**342.09**	**621.15**	**540.12**	**522.29**
Total Expenses (excluding Finance Costs and Depreciation & amortisation, Tax and exceptional items)	197.13	355.68	308.16	303.36
Finance Cost	20.75	47.43	35.34	39.17
Depreciation and amortisation expense	70.26	136.31	134.45	135.85
Exceptional Items (Expense/ (Income))	0.00	0.00	0.00	0.00
Profit Before Tax	**53.95**	**81.73**	**62.17**	**43.91**
Tax expense	17.73	25.72	25.10	19.67
Profit After Tax	**36.22**	**56.01**	**37.07**	**24.24**
Other Comprehensive Income/ (loss) net of tax	(8.53)	44.78	(29.09)	0.13
Total Comprehensive Income	27.69	100.79	7.98	24.37
Equity Share Capital	32.28	32.28	32.28	0.00
Other Equity	4,884.33	4,860.09	4,759.30	4,770.74
Net Worth (excluding revaluation reserve)	**4,916.61**	**4,892.37**	**4,791.58**	**4,770.74**
Non-current Borrowings	164.00	202.73	279.38	144.62
Current portion of long term borrowings	93.12	97.75	85.22	44.00
Current borrowings	320.72	283.88	256.97	256.31
Total Debt *	577.84	584.36	621.57	444.93

** Total Debt = Current Borrowings + Non-Current Borrowings + Current Portion of Long term borrowings*
 # prepared in accordance with Ind AS

The financial ratios of the Company as derived from the financial information about the Company on the basis of unaudited limited review standalone financial results for six months period ended September 30, 2019 and audited standalone financial statements of the Company for the last three financial years ended March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017 are set out below:

Particulars#	Six months period ended on	Year ended		
	30-Sep-19	31-Mar-19	31-Mar-18	31-Mar-17
Earnings per Share - Basic (₹)(1)	2.24^	3.47	2.30	1.50
Earnings per Share - Diluted (₹)(1)	2.24^	3.47	2.30	1.50
Book Value Per Share (₹)(2)	304.63	303.13	296.89	295.60
Return on Net worth (%)(3)	0.74%^	1.14%	0.77%	0.51%
Debt-Equity Ratio(4)	0.12	0.12	0.13	0.09

Note: The formulae used for computation of the above ratios are as follows:
(1) Earnings per Share = Profit After Tax / weightage average number of Equity Shares outstanding during the year
(2) Book value per Share = (Equity Share capital + Other Equity) / Number of Equity Shares outstanding at the end of the year
(3) Return on Net Worth = Profit After Tax / Net Worth excluding revaluation reserve for the relevant period
(4) Debt-Equity Ratio = Total Debt / Net Worth excluding revaluation reserve
^ Not annualized
** prepared in accordance with Ind AS*

CONSOLI DATED (₹ in Crores)

Particulars#	Six Months ended	Year ended		
	30-Sep-19	31-Mar-19	31-Mar-18	31-Mar-17
	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Total Income	**1003.64**	**2,112.42**	**1,740.48**	**1,739.82**
Total Expenses (excluding Finance Costs and Depreciation & amortisation, Tax and exceptional items)	724.02	1,506.70	1,249.44	1,260.34
Finance Cost	30.77	56.55	48.83	49.01
Depreciation and amortisation expense	137.26	240.38	211.42	213.50
Exceptional Items (Expense/ (Income))	0.00	0.00	0.00	0.00
Share of Profit/ (Loss) of Associate	0.00	0.00	0.00	(0.89)
Profit Before Tax	**111.59**	**308.79**	**230.79**	**216.08**
Tax expense	36.12	98.46	76.22	70.65
Profit After Tax	**75.47**	**210.33**	**154.57**	**145.43**
Other Comprehensive Income/ (loss), net of tax	27.59	61.43	138.78	(198.75)
Total Comprehensive Income	103.06	271.76	293.35	(53.32)
Equity Share Capital	32.28	32.28	32.28	0.00
Other Equity	5,448.95	5,346.80	5,075.05	4,813.98
Net Worth (excluding revaluation reserve)	**5,481.23**	**5,379.08**	**5,107.33**	**4,813.98**
Non-current Borrowings	364.72	362.41	524.97	460.12
Current portion of long term borrowings	188.20	138.99	158.50	94.06
Current borrowings	606.13	520.10	393.31	384.95
Total Debt *	1,159.05	1,021.50	1,076.78	939.13

** Total Debt = Current Borrowings + Non-Current Borrowings + Current Portion of Long term borrowings*
 # prepared in accordance with Ind AS

The financial ratios of the Company as derived from the financial information about the Company on the basis of unaudited limited review consolidated financial results for six months period ended September 30, 2019 and audited consolidated financial statements of the Company for the last three financial years ended March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017 are set out below:

Particulars#	Six months period ended on	Year ended		
	30-Sep-19	31-Mar-19	31-Mar-18	31-Mar-17
Earnings per Share - Basic (₹)(1)	4.68^	13.03	9.58	9.01
Earnings per Share - Diluted (₹)(1)	4.68^	13.03	9.58	9.01
Book Value Per Share (₹)(2)	339.62	333.29	316.45	298.27
Return on Net worth (%)(3)	1.38%^	3.91%	3.03%	3.02%
Debt-Equity Ratio(4)	0.21	0.19	0.21	0.20

Note: The formulae used for computation of the above ratios are as follows:
(1) Earnings per Share = Profit After Tax / weightage average number of Equity Shares outstanding during the year
(2) Book value per Share = (Equity Share capital + Other Equity) / Number of Equity Shares outstanding at the end of the year
(3) Return on Net Worth = Profit After Tax / Net Worth excluding revaluation reserve for the relevant period
(4) Debt-Equity Ratio = Total Debt / Net Worth excluding revaluation reserve
^ Not annualized
** prepared in accordance with Ind AS*

18. DETAILS OF THE ESCROW ACCOUNT

18.1. In accordance with Regulation 20 of the Buy-back Regulations, the Company has appointed Axis Bank Limited, as the Escrow Agent for the Buy-back. The Company, the Manager to the Buy-back and the Escrow Agent have entered into an Escrow Agreement dated January 17, 2020 pursuant to which the Escrow Account in the name and style **"Dishman Carbogen Amcis Limited - Buy-back - Escrow Account"** bearing account number 920020004108626 has been opened with the Escrow Agent. The Manager has been empowered to operate the Escrow Account in accordance with the Buy-back Regulations. The Company will deposit in the Escrow Account cash aggregating to at least ₹ 18,00,00,000/- (Rupees Eighteen Crores only), being 25% of the Maximum Buy-back Size (**"Escrow Amount"**) in accordance with the Buy-back Regulations, before opening of the Buy-back.

18.2. The funds in the Escrow Account may be released for making payment to the shareholders subject to at least 2.5% of the Maximum Buy-back Size remaining in the Escrow Account at all points in time.

18.3. If the Company is not able to complete the Buy-back equivalent to the Minimum Buy-back Size, except for the reasons mentioned in the Buy-back Regulations, the amount held in the Escrow Account (up to a maximum of 2.5% of the Maximum Buy-back Size), may be liable to be forfeited and deposited in the Investor Protection and Education Fund of SEBI or as directed by the SEBI in accordance with the Buy-back Regulations.

18.4. The balance lying to the credit of the Escrow Account will be released to the Company on completion of all obligations in accordance with the Buy-back Regulations.

19. LISTING DETAILS AND STOCK MARKET DATA

19.1. The Equity Shares of the Company are listed and traded on NSE with Scrip Symbol: DCAL and BSE with Scrip Code: 540701. The ISIN of the Equity Shares of the Company is INE385W01011.

19.2. The high, low, average market prices and total volume of Equity Shares traded in the last three financial years (April to March) and the monthly high, low, average market prices and total volume of Equity Shares traded for the six completed calendar months preceding the date of publication of Public Announcement and the corresponding volumes on BSE and NSE are as follows:

BSE (Scrip Code: 540701)

Period	HIGH			LOW			Average Price (₹)	Total Volume Traded in the period (No. of shares)
	High Price (₹)	Date of High Price	No. of shares traded on that date	Low Price (₹)	Date of Low Price	No. of shares traded on that date		
PRECEDING 3 YEARS								
FY 2018-19	386.50	May 8, 2018	15,690	180.35	February 26, 2019	7,181	258.86	77,45,421
FY 2017-18*	396.55	January 25, 2018	75,528	275.00	November 17, 2017	18,679	319.76	40,04,601
FY 2016-17*	-	-	-	-	-	-	-	-
PRECEDING 6 CALENDAR MONTHS								
December 2019	129.85	December 2, 2019	22,151	71.00	December 26, 2019	14,72,957	110.20	44,67,687
November 2019	138.80	November 28, 2019	49,784	115.15	November 1, 2019	20,605	124.33	16,38,660
October 2019	169.65	October 1, 2019	1,335	109.80	October 25, 2019	1,12,024	145.94	3,28,227
September 2019	197.40	September 12, 2019	33,586	165.70	September 30, 2019	4,184	175.63	1,29,939
August 2019	214.00	August 5, 2019	10,867	159.50	August 22, 2019	7,554	184.36	1,19,269
July 2019	237.00	July 1, 2019	1,630	197.00	July 29, 2019	5,902	213.79	1,24,467

**The Equity Shares of the Company are listed on BSE w.e.f. September 21, 2017. Accordingly, the stock market data has been provided from that date onwards.*
Source: www.bseindia.com
Note: High and Low price for the period are based on intraday prices and Average Price is based on average of closing price.

NSE (Scrip: DCAL)

Period	HIGH			LOW			Average Price (₹	Total Volume Traded in the period (No. of shares)
	High Price (₹)	Date of High Price	No. of shares traded on that date	Low Price (₹)	Date of Low Price	No. of shares traded on that date		
PRECEDING 3 YEARS								
FY 2018-19	386.00	May 8, 2018	95,469	180.10	February 26, 2019	1,75,947	258.79	4,23,32,206
FY 2017-18*	396.40	January 23, 2018	3,06,055	274.95	November 17, 2017	1,24,076	320.08	2,66,22,476
FY 2016-17*	-	-	-	-	-	-	-	-
PRECEDING 6 CALENDAR MONTHS								
December 2019	130.30	December 2, 2019	3,26,124	71.00	December 26, 2019	1,61,95,105	110.11	4,23,58,942
November 2019	138.90	November 28, 2019	5,81,305	115.00	November 1, 2019	1,99,358	124.26	1,48,00,013
October 2019	171.00	October 1, 2019	53,697	109.70	October 25, 2019	9,58,812	145.95	39,76,687
September 2019	198.00	September 12, 2019	4,17,769	165.20	September 30, 2019	1,13,248	175.53	17,99,766
August 2019	213.00	August 9, 2019	4,33,209	160.55	August 22, 2019	1,03,040	184.39	24,16,064
July 2019	232.85	July 16, 2019	4,04,504	201.30	July 8, 2019	1,21,333	213.92	25,75,920

**The Equity Shares of the Company are listed on NSE w.e.f. September 21, 2017. Accordingly, the stock market data has been provided from that date onwards.*
Source: www.nseindia.com
Note: High and Low price for the period are based on intraday prices and Average Price is based on average of closing price.

19.3. The closing market prices of the Equity Shares on BSE and NSE on January 15, 2020 being the Working Day previous to the day on which the Board approved the proposal for Buy-back, were ₹ 84.75 and ₹ 84.75 respectively.

19.4. The closing market prices of the Equity Shares on BSE and NSE on January 17, 2020 being the Working Day following the day on which the Board approved the proposal for Buy-back, were ₹ 84.30 and ₹ 84.25 respectively.

19.5. The closing market prices of the Equity Shares on BSE and NSE as on the trading day precedent to date of intimation of the Board Meeting for considering the Buy-back, being January 3, 2020 was ₹ 63.80 and ₹ 63.90 respectively.

20. PRESENT CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

20.1. The capital structure of the Company as on the date of Public Announcement and post Buy-back indicative capital structure of the Company is set forth below:

Sr. No.	Particulars	(Amount in ₹)
1	**AUTHORISED SHARE CAPITAL**	
	17,02,50,000 Equity Shares of ₹ 2/- each	34,05,00,000
2	**ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID-UP CAPITAL PRE BUY-BACK**	
	16,13,94,272 Equity Shares of ₹ 2/- each	32,27,88,544
3	**ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID-UP CAPITAL POST BUY-BACK***	
	15,65,94,272 Equity Shares of ₹ 2/- each	31,31,88,544

**Assuming the Buy-back of indicative Maximum Buy-back Shares. However, post Buy-back the issued, subscribed and paid up share capital may defer depending upon the actual number of Equity Shares bought back under the Buy-back.*

20.2. As on the date of this Public Announcement, there are no outstanding Equity Shares which are partly paid or with call in arrears and there are no outstanding securities convertible into Equity Shares of the Company.

20.3. There is no pending scheme of amalgamation or compromise or arrangement pursuant to any provisions of the Companies Act, 2013.

20.4. The shareholding pattern of the Company (a) pre Buy-back i.e. as on January 10, 2020 and (b) the post Buy-back is as follows:

Category of Shareholder	Pre Buy-back		Post Buy-back*	
	Number of Equity Shares	% to existing Equity Share capital	Number of Equity Shares	% to post Buy-back Equity Share capital
Promoters and Promoter Group	9,90,96,898	61.40	9,90,96,898	63.28
Foreign Investors (including Non-Resident Indians FIIs and Foreign Mutual Funds)	1,43,26,704	8.88	5,74,97,374	36.72
Financial Institutions / Banks & Mutual Funds promoted by Banks / Institutions	2,47,16,381	15.31		
Others (Public, Public Bodies Corporate, etc.)	2,32,54,289	14.41		
Total	**16,13,94,272**	**100.00**	**15,65,94,272**	**100.00**

**Assuming the Buy-back of indicative Maximum Buy-back Shares. However, post Buy-back the issued, subscribed and paid up share capital may defer depending upon the actual number of Equity Shares bought back under the Buy-back.*

20.5. For the aggregate shareholding of the Promoters and Promoter Group of the Company as on the date of commencement of the Board Meeting i.e. January 16, 2020, please refer to Paragraph 6.1 and for the details of the transactions undertaken by the Promoters and Promoter Group of the Company during last 12 (twelve) months from the date of this Public Announcement, please refer to Paragraph 6.2.

21. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS AND THE LIKELY IMPACT OF BUY-BACK ON THE COMPANY

21.1. The Company believes that the Buy-back is not likely to cause any material impact on the profitability / earnings of the Company except to the extent of reduction in the amount available for investment, which the Company could have otherwise deployed towards generating investment income. At the Maximum Buy-back Size, the funds deployed by the Company towards the Buy-back would be ₹ 72,00,00,000/- (Rupees Seventy Two Crores Only) excluding Transaction Costs.

21.2. In accordance with Regulation 16(ii) of the Buy-back Regulations, the Buy-back shall not be made from the Promoters and Promoter Group of the Company. Accordingly, the percentage of voting rights held by Promoters and Promoter Group shall increase. However, total voting rights held by Promoters and Promoter Group post Buy-back will not exceed the maximum permissible non-public shareholding. The exact percentage of voting rights of Promoters and Promoter Group, post Buy-back will be dependent upon the actual number of Equity Shares bought back under the Buy-back. Further, the Promoters of the Company are already having control over the affairs of the Company and therefore any increase in voting rights of the Promoters and Promoter Group consequent to Buy-back, will not result in any change in control over the affairs of the Company and shall be in compliance with the provisions of the Securities and Exchange of Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and SEBI LODR Regulations.

21.3. The Buy-back of Equity Shares shall not affect the existing management structure of the Company.

21.4. Consequent to the Buy-back and depending on the actual number of Equity Shares bought back from the non-resident shareholders, financial institutions, banks, mutual funds and other public shareholders, the shareholding of each such person shall undergo a change and the details of such change is given in paragraph 20.4 hereinbefore.

21.5. As required under Section 68(2)(d) of the Act and Regulation 4(ii) of the Buy-back Regulations, the ratio of the aggregate of secured and unsecured debts owed by the Company post the Buy-back shall not be more than twice the paid-up equity share capital and free reserves of the Company based on both audited standalone and consolidated financial statements for the financial year ended March 31, 2019.

21.6. The Promoters and Promoter Group of the Company shall not deal in the Equity Shares of the Company on Stock Exchanges or off market, including by way of inter-se transfer(s) of Equity Shares among the Promoters and Promoter Group, during the period from the date of passing of the board resolution till the closure of the Buy-back.

21.7. The Company shall not issue any Equity Shares or specified securities including by way of bonus till the date of expiry of Buy-back period. Further, the Company shall not raise further capital for a period of one year from the expiry of Buy-back period, except in discharge of its subsisting obligations.

21.8. The funds borrowed from banks and financial institutions will not be used for the Buy-back. The Company shall not buy back its shares from any person through negotiated deal whether on or off the stock exchanges or through spot transactions or through private arrangement. The Equity Shares bought back by the Company shall be compulsorily extinguished and destroyed and will not be held for re-issue at a later date. The Company is not undertaking the Buy-back to delist its equity shares from the Stock Exchanges.

22. STATUTORY APPROVALS

22.1. Pursuant to Sections 68, 69, 70, and all other applicable provisions of the Act and applicable rules thereunder and the provisions of the Buy-back Regulations the Company has obtained the Board approval as mentioned above.

22.2. The Buy-back is subject to receipt of such sanctions and approvals from statutory, regulatory or governmental authorities as may be required under applicable laws, including the Reserve Bank of India, the SEBI and the stock exchanges on which the Equity Shares are listed, namely, NSE and BSE.

22.3. The Buy-back shall be subject to such necessary approvals as may be required, and the Buy-back from overseas corporate bodies (**"OCB"**) and other applicable categories shall be subject to such approvals of the Reserve Bank of India, if any, under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations framed thereunder.

22.4. The shareholders shall be solely responsible for obtaining all such statutory consents and approvals (including, without limitation the approvals from the Reserve Bank of India and/or the SEBI, if any) as may be required by them in order to sell their Equity Shares to the Company pursuant to the Buy-back. Shareholders would be required to provide copies of all such consents and approvals obtained by them to the Company's Broker.

22.5. As on date, to the best knowledge of Company, there are no other statutory or regulatory approvals required to implement the Buy-back, other than that indicated above. If any statutory or regulatory approvals become applicable subsequently, the Buy-back will be subject to such statutory or regulatory approvals.

23. COLLECTION AND BIDDING CENTRE

The Buy-back will be implemented by the Company by way of open market purchases through the Stock Exchanges using their nationwide trading terminals. Therefore, the requirement of having collection centers and bidding centers is not applicable.

24. COMPLIANCE OFFICER

Investors may contact the Compliance Officer of the Company for any clarifications or to address their grievances, if any, during office hours i.e. 10.30 a.m. to 5.00 p.m. on all working days except Saturday, Sunday and public holidays, at the following address:

Compliance Officer: Ms. Shrima Dave, Company Secretary and Compliance Officer
Dishman Carbogen Amcis Limited
Dishman Corporate House, Iscon-Bopal Road, Ambli,
Ahmedabad – 380 058, Gujarat, India.
Phone: +91-2717- 420102/124
Email: grievance@dishmangroup.com | **Website:** www.dishmangroup.com

25. REGISTRAR TO THE BUY-BACK / INVESTOR SERVICE CENTRE

In case of any queries, shareholders may also contact the Registrar to the Buy-back during office hours i.e. 10.00 a.m. to 5.00 p.m. on all working days except Saturday, Sunday and public holidays, at the following address:

LINKIntime

Link Intime India Private Limited
5th Floor, 506 To 508, Amarnath Business Centre-1 (ABC-1),
Beside Gala Business Centre, Nr St. Xavier's College Corner,
Off C G Road, Ellisbridge, Ahmedabad - 380006, Gujarat, India.
Telephone: +91-79-2646 5179
Email: rajeshkumar.parmar@linkintime.co.in | **Website:** www.linkintime.co.in
Contact Person: Mr. Rajesh Kumar Parmar | **SEBI Registration No:** INR000004058

26. MANAGER TO THE BUY-BACK

VIVRO

Vivro Financial Services Private Limited
Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Center,
Paldi, Ahmedabad - 380007, Gujarat, India
Tel No.: +91-79-4040 4242 | **Fax No.:** +91-79-2665 0570
Contact Person(s): Mr. Bhargav Parekh / Mr. Vatsal Shah
Email: investors@vivro.net | **Website:** www.vivro.net
SEBI Registration No: INM000010122
Validity: Permanent | **CIN:** U67120GJ1996PTC029182

27. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

As per Regulation 24(i)(a) of the Buy-back Regulations, the Board accepts responsibility for the information contained in this Public Announcement and for the information contained in all other advertisements, circulars, brochures, publicity materials etc. which may be issued in relation to the Buy-back and confirm that the information in such documents contains and will contain true, factual and material information an does not and will not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Dishman Carbogen Amcis Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Arpit J. Vyas	Deohooti J. Vyas	Shrima Dave
Global Managing Director	Whole Time Director	Company Secretary & Compliance Officer
DIN: 01540057	DIN: 00004876	(Membership Number: A29292)

Date: January 17, 2020 **Place: Ahmedabad**

Raku

यात्री वाहनों का निर्यात अप्रैल-दिसंबर में छह फीसद बढ़ा

नई दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा)।

देश से यात्री वाहनों का निर्यात चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान 5.89 फीसद बढ़कर 5,40,384 इकाई पर पहुंच गया।

वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम के आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में हुंदै मोटर ने सबसे अधिक 1.45 लाख यात्री वाहनों का निर्यात किया। सियाम के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में यात्री वाहनों का निर्यात 5,40,384 इकाई रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 5,10,305 इकाई रहा था। इस दौरान कारों का निर्यात 4.44 फीसद बढ़कर 4,04,552 इकाई पर पहुंच गया। वहीं यूटिलिटी वाहनों का निर्यात 11.14 फीसद की वृद्धि के साथ 1,33,511 इकाई रहा। वहीं वैन का निर्यात 17.4 फीसद घटकर 2,810 इकाई से 2,321 इकाई पर आ गया।

हुंदै ने समीक्षाधीन अवधि में 1,44,982 यात्री वाहनों का निर्यात किया। यह इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि से 15.17 फीसद अधिक है। कंपनी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, लातिनी अमेरिका, आस्ट्रेलिया और एशिया-प्रशांत के 90 देशों को निर्यात करती है।

हुंदै मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसएस किम ने कहा कि कुल 1,44,982 इकाइयों के निर्यात और 26.8 फीसद की बाजार हिस्सेदारी के साथ हुंदै ने एक बार फिर निर्यात बाजार में अपना शीर्ष स्थान कायम रखा है। अपने शानदार प्रदर्शन करने वाले ब्रांडों के जरिए निर्यात बाजार में कंपनी का दबदबा बना हुआ है।

अप्रैल-दिसंबर की अवधि में फोर्ड इंडिया का निर्यात 12.57 फीसद घटकर 1,06,084 इकाई रह गया। मारुति सुजुकी इंडिया का निर्यात 1.7 फीसद घटकर 75,948 इकाई रह गया। वहीं निसान मोटर इंडिया का निर्यात 39.97 फीसद बढ़कर 60,739 इकाई पर पहुंच गया। जनरल मोटर्स इंडिया का निर्यात 54,863 इकाई रहा। जनरल मोटर्स ने घरेलू बाजार में वाहनों की बिक्री बंद कर दी है।

इस दौरान फॉक्सवैगन इंडिया का निर्यात 47,021 इकाई रहा। किया मोटर्स इंडिया का निर्यात 12,496 इकाई और रेनो इंडिया का 12,096 इकाई रहा। घरेलू वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा का निर्यात 10,017 इकाई रहा। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर का निर्यात 8,422 इकाई रहा। होंडा कार्स ने इस दौरान 3,316 इकाइयों का निर्यात किया। एफसीए इंडिया ने 2,391 इकाई और टाटा मोटर्स ने 1,842 इकाई का निर्यात किया।

एफपीआइ ने जनवरी में किया 1,288 करोड़ का निवेश

नई दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा)।

अमेरिका और ईरान के कारण बढ़े भू-राजनीतिक तनाव और घरेलू आर्थिक चुनौतियों के बावजूद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने जनवरी में अब तक घरेलू पूंजी बाजारों में शुद्ध रूप से 1,288 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस तरह जनवरी में एफपीआइ शुद्ध लिवाल बने हुए हैं।

नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के आंकड़ों के अनुसार एफपीआइ ने एक से 17 जनवरी के दौरान शेयरों में 10,200 करोड़ रुपए का निवेश किया जबकि उन्होंने बांड या ऋण बाजार से 8,912 करोड़ रुपए की निकासी की। इस तरह आलोच्य अवधि में उन्होंने शुद्ध रूप से 1,288 करोड़ रुपए का निवेश किया।

ग्रो के सह-संस्थापक व मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) हर्ष जैन ने कहा कि अधिकांश एफपीआइ निवेश अमेरिका और चीन के बीच पहले चरण के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बाद हुआ है। इ

शीर्ष छह कंपनियों की पूंजी 62,773 करोड़ बढ़ी

नई दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा)।

सूचकांक की शीर्ष 10 में से छह कंपनियों का बाजार पूंजीकरण पिछले सप्ताह कुल मिलाकर 62,772.95 करोड़ रुपए बढ़ गया। इस दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे अधिक लाभ में रहीं।

आलोच्य सप्ताह के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचयूएल, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक और आइटीसी के बाजार पूंजीकरण में बढ़ोतरी हुई। वहीं एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आइसीआइसीआइ बैंक और भारतीय स्टेट बैंक का बाजार पूंजीकरण इस दौरान कम हो गया।

समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार पूंजीकरण सर्वाधिक 22,827.94 करोड़ बढ़कर 4,45,778.10 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 20,890.58 करोड़ बढ़कर 10,02,009.11 करोड़ रुपए, इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण 12,605.57 करोड़ चढ़कर 3,26,999.39 करोड़ रुपए, कोटक महिंद्रा बैंक का बाजार पूंजीकरण 2,599 करोड़ की बढ़त के साथ 3,24,455.51 करोड़ रुपए, आइटीसी का बाजार पूंजीकरण 2,273.86 करोड़ की तेजी के साथ 2,94,802.65 करोड़ रुपए और टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 1,576 करोड़ बढ़कर 8,32,297.69 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।

वहीं, भारतीय स्टेट बैंक की बाजार हैसियत में सबसे अधिक 12,717.6 करोड़ की गिरावट आई और यह 2,83,802.65 करोड़ रुपए रह गया। इसके अलावा आइसीआइसीआइ बैंक का बाजार पूंजीकरण 6,040.83 करोड़ कम होकर 3,43,477.06 करोड़ रुपए, एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 2,930.21 करोड़ गिरकर 6,99,881.90 करोड़ रुपए और एचडीएफसी का बाजार पूंजीकरण 726.19 करोड़ के नुकसान से 4,24,293.86 करोड़ रुपए रह गया।

बाजार पूंजीकरण के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी कंपनी बनी रही। इसके बाद टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी, आइसीआइसीआइ बैंक, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, आइटीसी और भारतीय स्टेट बैंक का स्थान रहा। बीते सप्ताह बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक में 345.65 अंक या 0.83 फीसद की तेजी रही।

रिलायंस ने पेट्रोल-डीजल बिक्री में सरकारी कंपनियों को पीछे छोड़ा

नई दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा)।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेट्रोल-डीजल बिक्री में द्विअंकीय वृद्धि हासिल कर समूचे उद्योग को पीछे छोड़ दिया। कंपनी के 1,400 पेट्रोल पंपों की बिक्री 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तीसरी तिमाही में 10 फीसद से अधिक बढ़ी है। यह वृद्धि समूचे उद्योग की पेट्रोल-डीजल बिक्री की वृद्धि से अधिक है।

अक्तूबर-दिसंबर, 2019 के तिमाही नतीजों के बाद निवेशकों के समक्ष प्रस्तुतीकरण में रिलायंस ने कहा कि तिमाही के दौरान उसके 1,394 पेट्रोल पंपों से उसकी डीजल बिक्री 11 फीसद बढ़ी है जबकि पेट्रोल बिक्री में 15 फीसद का इजाफा हुआ है। इस दौरान उद्योग की डीजल की बिक्री 0.2 फीसद और पेट्रोल की 7.1 फीसद बढ़ी। कंपनी के पेट्रोल पंपों में हर महीने तीन लाख 42 लीटर पेट्रोल-डीजल मंगाया गया जोकि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों इंडियन आयल कॉरपोरेशन (आइओसी) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) की तुलना में दोगुना है।

रिजर्व बैंक निदेशक मंडल की अगली बैठक में उठ सकता है अंतरिम लाभांश का मुद्दा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

रिजर्व बैंक निदेशक मंडल की अगली बैठक में अंतरिम लाभांश के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। भरोसेमंद सूत्रों ने यह उम्मीद जताई है। सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे के 3.3 फीसद के तय लक्ष्य पर खरा उतरने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। रिजर्व बैंक से अंतरिम लाभांश मिलने पर उसे मदद मिल सकती है।

राजस्व संग्रह में कमी और सुस्त पड़ती आर्थिक वृद्धि दर को पटरी पर लाने के लिए किए गए प्रोत्साहन उपायों से सरकार की वित्तीय स्थिति दबाव में है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 4.5 फीसद रह गई जो इसका छह साल का निचला स्तर है। सरकार के अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 11 साल के निचले स्तर करीब पांच फीसद पर रह सकती है। इससे पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में यह 6.8 फीसद रही थी।

सूत्रों ने बताया कि चालू वित्त वर्ष खत्म होने से पहले रिजर्व बैंक निदेशक मंडल की कम से कम एक बैठक होगी। समझा जाता है कि इसमें सरकार की ओर से मनोनीत निदेशकों द्वारा अंतरिम लाभांश का मुद्दा उठाया जा सकता है। हालांकि आरबीआइ निदेशक मंडल की बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तय परंपरा के तहत निदेशक मंडल को संबोधित करते हुए बजट दृष्टिकोण के बारे में बताएंगी। परंपरागत रूप से हर साल बजट से कुछ दिन पहले यह बैठक होती है।

सूत्रों के मुताबिक यह काफी खास साल रहा है। इस दौरान कई असाधारण उपाय किए गए। मसलन बजट के बाद अलग कदम उठाते हुए कारपोरेट कर की दर में बड़ी कटौती की गई जिससे सरकार की वित्तीय स्थिति दबाव में आ गई। रिजर्व बैंक निदेशक मंडल छह माह के प्रदर्शन के आधार पर यदि अंतरिम लाभांश देने पर सहमत हो जाता है तो इससे सरकार को कुछ वित्तीय राहत मिल सकती है। रिजर्व बैंक जुलाई से जून के वित्त वर्ष के मुताबिक हिसाब-किताब करता है।

सरकार इससे पहले भी रिजर्व बैंक से अंतरिम लाभांश लेती रही है। पिछले वित्त वर्ष में केंद्रीय बैंक ने सरकार को 28,000 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश दिया। इससे पहले 2017-18 में सरकार को दस हजार करोड़ रुपए अंतरिम लाभांश के तौर पर रिजर्व बैंक से मिले। रिजर्व बैंक ने पिछले साल अगस्त में सरकार को 1,76,051 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें 2018-19 का 1,23,414 करोड़ रुपए की अधिशेष राशि और संशोधित आर्थिक पूंजी रूपरेखा के तहत पहचान की गई 52,637 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि शामिल है। 2018-19 की 1,23,414 करोड़ रुपए की अधिशेष राशि में से रिजर्व बैंक पहले ही 28,000 करोड़ रुपए अंतरिम लाभांश के तौर पर जारी कर चुका है।

एअरटेल ने जीवन बीमा कवर के साथ पेश किया 179 रुपए का प्रीपेड पैक

नई दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा)।

दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारती एअरटेल ने 179 रुपए का प्रीपेड पैक पेश किया है। इस पैक के साथ भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का दो लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी शामिल है।

भारती एअरटेल ने अपने एक बयान में कहा कि 179 रुपए के इस नए प्रीपेड पैक के जरिए किसी भी नेटवर्क पर असीमित कॉल, 2-जीबी डेटा, 300 एसएमएस और भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का दो लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। इस पैक की वैधता अवधि 28 दिन की होगी। इसे विशेष रूप से प्रवेश स्तर के स्मार्टफोन ग्राहकों और अर्द्ध-शहरी व ग्रामीण बाजारों के फीचर फोन का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए पेश किया गया है।

कंपनी ने कहा है कि यह बीमा कवर 18 से 54 साल की आयु के लोगों को उपलब्ध होगा। इसके लिए किसी तरह के कागजी दस्तावेजों या चिकित्सा परीक्षण की जरूरत नहीं होगी। बीमा पॉलिसी या प्रमाणपत्र तुरंत डिजिटल रूप में भेज दिया जाएगा। कंपनी के मुताबिक आग्रह पर इसकी प्रति भी उपभोक्ता को उपलब्ध कराई जाएगी। बयान में कहा गया है कि इस प्रीपेड बंडल को खरीदने वाले ग्राहक जब भी इस पैक के जरिए रिचार्ज कराएंगे, उन्हें अपने आपको सुरक्षित रखने और अपने परिवार को वित्तीय रूप से सहारा देने का सरल और बेहद सुविधाजनक जरिया उपलब्ध होगा।

दुनिया के 130 ऊर्जावान शहरों में हैदराबाद व बंगलुरु शीर्ष पर

नई दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा)।

सामाजिक-आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र की रीयल एस्टेट गतिविधियों के लिहाज से हैदराबाद दुनिया का सबसे ऊर्जावान शहर बनकर उभरा है। इस सूची में हैदराबाद पहले और बंगलुरु दूसरे नंबर पर रहा है। वैश्विक संपत्ति सलाहकार जेएलएल इंडिया ने यह सूची जारी की है।

इसके मुताबिक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद दुनिया के ऊर्जावान शहरों की सूची में शीर्ष 20 शहरों में सात शहर भारत के हैं। जेएलएल के 'सिटी मोमेंटम इंडेक्स' के मुताबिक यह सूची तैयार की गई है। इसके अनुसार दुनिया के 130 शहरों की सूची में हैदराबाद पहले स्थान पर रहा वहीं बंगलुरु दूसरे, चेन्नई पांचवें और दिल्ली छठे स्थान पर रहा है। इसी तरह पुणे 12वें, कोलकाता 16वें और मुंबई 20वें स्थान पर रहा।

इस सूची से आर्थिक और रीयल एस्टेट गतिविधियों के लिहाज से दुनिया के सबसे ऊर्जावान शहर की पहचान की गई है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संपत्तियों के क्षेत्र में जारी गतिविधियों को शामिल किया गया है। जेएलएल की रिपोर्ट में कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि, खुदरा बिक्री और विमान यात्रियों की वृद्धि जैसे आर्थिक संकेतकों पर हैदराबाद का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। पिछले साल बंगलुरु पहले और हैदराबाद दूसरे स्थान पर था।

जेएलएल इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत में प्रमुख रमेश नायर ने कहा कि भारत के तेजी से बढ़ते शहरों के प्रति विदेशी निवेशक खासी रुचि दिखा रहे हैं। बुनियादी ढांचा और नीति के मोर्चे पर सरकार की ओर से किए गए सुधारों का असर दिख रहा है। अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद इन सुधारों की वजह से बाजार में पारदर्शिता आई है, जिससे रीयल एस्टेट क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में वाणिज्यिक रीयल एस्टेट तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 20 शहरों में से 75 फीसद शहर एशिया प्रशांत में हैं। इसमें शीर्ष स्थानों पर भारत, चीन और वियतनाम के शहरों का दबदबा है।

जेएलएल के सिटी मोमेंटम इंडेक्स के मुताबिक शीर्ष 20 शहरों में सबसे ज्यादा शहर भारत से हैं। मूल रूप से अमेरिका की कंपनी जेएलएल एक फार्च्युन 500 कंपनी है जिसका सालाना कारोबार 16.3 अरब डालर है और दुनिया के 80 देशों में इसका कारोबार है। दुनियाभर में कंपनी के दफ्तरों में 93 हजार से अधिक लोग काम करते हैं।

पिछले साल इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 41 फीसद घटा

नई दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा)।

इक्विटी से जुड़ी म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेशकों ने 2019 में करीब 75,000 करोड़ रुपए लगाए। यह 2018 की तुलना में 41 फीसद कम रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में उतार-चढ़ाव और अर्थव्यवस्था में सुस्ती की वजह से इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश नीचे आया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इक्विटी से जुड़ी म्यूचुअल फंड योजनाएं इस साल निवेशकों को आकर्षित कर सकती हैं क्योंकि बाजार के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें हैं। एसबीआइ म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्वनी भाटिया ने कहा कि कुछ और समय के लिए बाजार में उथल-पुथल जारी रहने का अनुमान है। निवेशक इससे फायदा उठाना चाहेंगे और इसका इस्तेमाल धन सृजन में करना चाहेंगे। हमारा मानना है कि इक्विटी फंड समेत म्यूचुअल फंड की सभी श्रेणियों में ठीक वृद्धि देखने को मिलेगी।

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार इक्विटी और इससे जुड़ी बचत योजनाओं में 2019 में 74,870 करोड़ रुपए का निवेश आया। यह 2018 में 1.2 लाख करोड़ रुपए रहा था।

तिमाही नतीजे और आम बजट को लेकर उम्मीदों से तय होगी शेयर बाजार की चाल

नई दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा)।

कंपनियों के तिमाही नतीजों और आगामी आम बजट को लेकर उम्मीदों से इस सप्ताह शेयर बाजार की चाल तय होगी। विश्लेषकों ने यह राय व्यक्त की है। इस सप्ताह कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, केनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के तिमाही परिणाम आने हैं। बीते सप्ताह बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सूचकांक 345.65 अंक या 0.83 फीसद के लाभ में रहा।

विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने व अमेरिका और चीन के बीच पहले चरण के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर शेयर बाजारों की हालिया तेजी की प्रमुख वजह हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख (खुदरा) सिद्धार्थ खेमका ने कहा कि आने वाले समय में निवेशक सतर्क रहेंगे क्योंकि बाजार सर्वकालिक उच्च स्तर पर चल रहे हैं। तीसरी तिमाही के लिए कंपनियों के परिणाम आ रहे हैं, ऐसे में शेयर बाजार की चाल चुनिंदा कंपनियों के इर्द-गिर्द रह सकती है। इसके अलावा कृषि, ग्रामीण, उर्वरक, सार्वजनिक उपक्रम, बुनियादी संरचना और निर्माण आदि से संबंधित क्षेत्रों में बजट से लगी उम्मीदों का असर हो सकता है।

इस सप्ताह जिन कंपनियों के तिमाही परिणाम पर निवेशकों की नजरें रहेंगी, उनमें आइसीआइसीआइ बैंक, जेएसडब्लू स्टील, जी, हैवेल्स, एचडीएफसी एएमसी आदि शामिल हैं। इनके अलावा बाजार पर कच्चे तेल और रुपए की चाल व विदेशी निवेशकों के रुख का भी असर देखा जा सकता है।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि कुल मिलाकर अनुमान है कि तीसरी तिमाही के परिणामों से 2019-20 और 2020-21 की वृद्धि की गति को समर्थन मिलेगा। इसके अलावा बाजार को सरकार से बजट में ठोस उपायों की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि टीसीएस ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद तिमाही परिणाम जारी किए। कंपनी का एकीकृत शुद्ध मुनाफा तीसरी तिमाही में मामूली 0.2 फीसद बढ़कर 8,118 करोड़ रुपए रहा। सोमवार को बाजार पर इसका असर देखने को मिल सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद परिणाम जारी किए। कंपनी का एकीकृत शुद्ध मुनाफा तीसरी तिमाही में 13.5 फीसद बढ़ा।

शुल्क-मुक्त स्टोर से अब सिर्फ एक बोतल शराब ही खरीद सकेंगे

नई दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा)।

हवाई अड्डों पर स्थित शुल्क-मुक्त स्टोर से आने वाले दिनों में अधिकतम एक बोतल शराब ही खरीदी जा सकेगी। सरकार गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात को कम करने के लिए यह सीमा लगाने पर विचार कर रही है।

सूत्रों के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय ने एक फरवरी को पेश हो रहे आगामी आम बजट के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को यह सुझाव दिया है। मंत्रालय ने शुल्क-मुक्त स्टोर से एक कार्टन सिगरेट खरीदने की सुविधा को भी बंद करने का सुझाव दिया है। अब तक जो व्यवस्था है उसके तहत विदेशों से आने वाले यात्री हवाई अड्डों पर स्थित इस तरह के शुल्क-मुक्त स्टोर से दो लीटर शराब और एक कार्टन सिगरेट खरीद सकते हैं। सूत्रों ने कहा कि कई देश अभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अधिकतम एक लीटर शराब खरीदने की मंजूरी देते हैं और भारत भी इसे अपना सकता है।

सरकार का मानना है कि इन गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात से देश का व्यापार घाटा बढ़ता है। शुल्क-मुक्त दुकान से देश में आने वाला विदेशी यात्री आमतौर पर करीब 50,000 रुपए का सामान खरीद सकता है और इस पर उसे आयात शुल्क नहीं देना होता है।

दीपिका को 'टिकटॉक' पर 'छपाक' लुक की चुनौती देना पड़ा महंगा

मुंबई, 19 जनवरी (भाषा)।

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण 'टिकटॉक इनफ्लूएंसर' को अपनी फिल्म 'छपाक' लुक की चुनौती देकर एक बार फिर सोशल मीडिया पर विवादों के घेरे में आ गई हैं। दीपिका की इस टिकटॉक चुनौती को 'संवेदनहीन', 'मूर्खतापूर्ण' और प्रचार का सबसे घटिया तरीका बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर शनिवार को वायरल हुए 39 सेकेंड के इस वीडियो में वह मेकअप आर्टिस्ट फैबी को उनकी फिल्मों के तीन पसंदीदा लुक को 'रीक्रिएट' करने की चुनौती दे रही हैं।

हालांकि दीपिका का फिल्म 'छपाक' के तेजाब हमले के शिकार वाला लुक तैयार करने की फैबी की इस कोशिश की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना की जा रही है। कई लोगों ने दीपिका पर एक तेजाब हमले की शिकार के दर्द की सिर्फ फिल्म के 'लुक' से तुलना करने का आरोप लगाया। लोगों ने दीपिका पर यह फिल्म करने के पीछे उनके उद्देश्य पर भी सवाल उठाए। एक यूजर ने ट्वीटर पर लिखा, 'जब जेएनयू जाकर भी दीपिका लक्ष्मी का मजाक नहीं बना पाईं तो तेजाब हमले के पीड़ितों पर टिकटॉक वीडियो बनाने की चुनौती लेकर आई हैं।' एक ने लिखा, 'यह तेजाब हमले के पीड़ितों का अपमान है। अपना प्रचार करने के लिए कितना नीचे गिर सकती हैं दीपिका पादुकोण।'

बंगाल से एक करोड़ घुसपैठियों को वापस भेजेंगे : घोष

बारासात, 19 जनवरी (भाषा)।

भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने रविवार को कहा कि सरकार प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी पूरे देश में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में अवैध रूप से रह रहे एक करोड़ बांग्लादेशी मुसलमानों को वापस भेजेंगे।

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए घोष ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून का विरोध कर रहे लोग बंगाल विरोधी हैं और भारत के विचार के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में एक करोड़ अवैध मुसलिम सरकार से दो रुपए प्रति किलो चावल योजना का लाभ ले रहे हैं। घोष ने एलान किया, 'हमलोग उन्हें वापस भेजेंगे।' इस कानून का विरोध करने वालों पर बरसते हुए घोष ने पूछा, 'आप ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हैं, आप संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी को रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। हम लोग राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित नागरिकता कानून का कार्यान्वयन पश्चिम बंगाल में हो।

तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर बरसते हुए घोष ने कहा कि जब लुंगी पहने रोहिंग्यों ने तीन दिन तक रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों को आग लगाई, तो वे कुछ नहीं बोले। संशोधित नागरिकता कानून पर पिछले साल दिसंबर में राज्य में हिंसक प्रदर्शन का हवाला देते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि इस आगजनी में 500 से 600 करोड़ का नुकसान हुआ है। भाजपा नेता ने कहा कि धार्मिक उत्पीड़न के बाद जीवन बचाने के लिए यहां आने वाले हिंदू शरणार्थियों का समर्थन करने के लिए उन्हें अगर कोई सांप्रदायिक कहता है तो उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जो लोग संशोधित नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं वे या तो भारत विरोधी हैं या बंगाली विरोधी हैं। वे भारत के विचार के खिलाफ हैं और यही कारण है कि वे हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहला ऐसा दल है जिसने सत्ता में आने के बाद शरणार्थियों को नागरिकता देने के बारे में सोचा जबकि अन्य सभी दलों ने उनका इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में किया।

संशोधित नागरिकता कानून एवं प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी का विरोध करने वालों पर उन्होंने कहा, 'उनका दिल घुसपैठियों के लिए रोता है।' घोष ने विरोध करने वाले प्रमुख लोगों को 'परजीवी' करार देने के एक दिन बाद कहा, 'हिंदू शरणार्थियों का क्या। उनके पास कोई उत्तर नहीं है। यह दोहरा रवैया है।' पश्चिम बंगाल में भाजपा के अगली सरकार सरकार बनाने का विश्वास प्रकट करते हुए घोष ने कहा 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी 50 सीटों पर सिमट जाएगी।

हर महीने आठ लाख से ज्यादा ऑनलाइन टिकट कन्फर्म न होने से रद्द

इंदौर (मध्य प्रदेश), 19 जनवरी (भाषा)।

देश में रेलगाड़ियों पर यात्रियों के भारी बोझ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती आठ महीनों में चार्ट बनते समय कन्फर्म न हो पाने के कारण करीब 65.69 लाख ऑनलाइन टिकट अपने आप रद्द हो गए। यानी हर महीने औसतन आठ लाख से ज्यादा ऑनलाइन टिकट कन्फर्म नहीं हो पाने से रद्द हो रहे हैं जिससे यात्रियों को जाहिर तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मध्य प्रदेश के नीमच कि रहने वाले आरटीआइ कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने रविवार को बताया कि भारतीय रेलवे की सहायक कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आइआरसीटीसी) ने उन्हें सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी दी है। गौड़ को आठ जनवरी को भेजी गई जानकारी के मुताबिक जारी वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर 2019 तक ऑनलाइन बुक कराए गए 65,68,852 टिकट चार्ट बनते समय कन्फर्म न हो पाने से आइआरसीटीसी की वेबसाइट पर अपने आप रद्द हो गए। आरटीआइ के तहत दिए गए जवाब में बताया गया, 'ऑनलाइन बुक हुआ रेल टिकट चार्ट बनते समय कन्फर्म न हो पाने के कारण स्वतः रद्द हो जाता है। रेलवे द्वारा रद्दीकरण शुल्क काटकर शेष राशि आइआरसीटीसी को दी जाती है एवं आइआरसीटीसी यह राशि उपभोक्ता को जस की तस वापस दे देती है।'

उज्जैन में किन्नर समुदाय ने उठाया शहर की सफाई का बीड़ा

उज्जैन, 19 जनवरी (भाषा)।

महाकाल की नगरी उज्जैन में किन्नर समुदाय ने शहर की साफ-सफाई का बीड़ा उठाया है। उज्जैन नगर निगम के एक विशेष अभियान के तहत यहां किन्नर समुदाय लोगों को घर-घर जाकर स्वच्छता के साथ ही गीला-सूखा कचरा अलग-अलग रखने के प्रति जागरूक कर रहा है। उनकी बात मानने वालों को किन्नर समुदाय के ये लोग बधाइयां और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। उज्जैन नगर निगम ने 'स्वच्छ भारत अभियान' से समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए मार्च 2019 में किन्नर समुदाय की स्थानीय नेता शबनम बुआ के साथ मिलकर 'बधाई से सफाई' अभियान की शुरुआत की। इसके तहत निगम कचरा इकट्ठा करने वाली अपनी गाड़ियों के साथ किन्नर समुदाय के सदस्यों को घर-घर भेजता है, जो लोगों को अपने क्षेत्र की साफ-सफाई रखने के साथ-साथ कचरा अलग-अलग रखने के लिए भी जागरूक करते हैं।

उज्जैन नगर निगम के आयुक्त ऋषि गर्ग ने बताया कि किन्नर समुदाय के पेशे में उनके पास लोगों से अपनी बात मनवाने का हुनर होता है। हमने इसका सकारात्मक इस्तेमाल कर उन्हें स्वच्छ भारत से जोड़ा। अब वह लोगों के घर-घर जाकर उन्हें साफ-सफाई के लाभ के साथ-साथ कचरा अलग-अलग रखने के लिए जागरूक करते हैं। उन्हें सही जगह पर कचरा फेंकने की भी सलाह देते हैं।

नगर निगम के लिए यह अभियान शुरू करना इतना आसान नहीं था। गर्ग ने कहा कि किन्नर समुदाय को डर था कि इस अभियान से जुड़ने पर उनकी आजीविका प्रभावित होगी क्योंकि यह पूरा अभियान स्वयंसेवा है। इसके लिए कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। इसलिए हमने पहले उन्हें समझाया कि यह समाज से जुड़ने का एक अच्छा अवसर है। फिर इस अभियान को पायलट आधार पर कुछ मोहल्लों में चलाया गया और अब यह पूरे शहर में चल रहा है।

उन्होंने कहा कि इस अभियान को लेकर सिर्फ किन्नर समुदाय ही सशंकित नहीं था। समाज से भी हमें मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। लेकिन किन्नर समुदाय के साथ जुड़ने का लाभ भी हुआ। समाज उनके आशीर्वाद को बहुत मान्यता देता है। ऐसे में कचरा अलग-अलग रखने की उनकी बात सुनता और मानता है। समाज में जो अपने घर और आसपास को स्वच्छ रखता है, किन्नर समुदाय के लोग उन्हें ढेरों बधाइयां और आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस अभियान का नाम भी 'बधाई से सफाई' रखा गया है।

किन्नर समुदाय की सदस्य पलक दीदी ने कहा कि महाकाल हम सबके इष्ट हैं और वे इस शहर के स्वामी भी हैं। जब उनके शहर को साफ रखने की पहल से जुड़ने का मौका मिला तो हमने भी इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। अब लोगों से भी हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है।

www.readyhere.com

केरल के राज्यपाल ने प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी

तिरुवनंतपुरम, 19 जनवरी (भाषा)।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें सूचित किए बिना संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए माकपा नीत लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार से रिपोर्ट मांगी है। राज भवन कार्यालय ने राज्य के मुख्य सचिव से यह रिपोर्ट मांगी है।

राज भवन के एक शीर्ष सूत्र ने रविवार को कहा, 'राज्यपाल कार्यालय ने सीएए के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख करने के सरकार के कदम के बारे में उन्हें सूचित नहीं करने को लेकर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है।' एलडीएफ सरकार ने इस कानून के खिलाफ 13 जनवरी को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और अनुरोध किया था कि यह घोषित किया जाए कि यह संविधान के अनुरूप नहीं है।

खान ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर हमला बोलते हुए इससे पहले कहा था कि सार्वजनिक कार्य और सरकार के कामकाज को 'किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल की मर्जी' के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता और हर किसी को नियम का पालना करना चाहिए। केरल सीएए के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने वाला और नए कानून को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने वाला पहला राज्य है।

अपनी अप्रसन्नता को सार्वजनिक तौर पर जाहिर कर चुके राज्यपाल ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा था कि कामकाज के नियम की धारा 34(2) की उपधारा 5 के तहत प्रदेश सरकार को राज्य एवं केंद्र के रिश्तों को प्रभावित करने वालों की जानकारी राज्यपाल को देनी चाहिए। हालांकि, राज्य इस बात पर कायम है कि उसने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया और राज्यपाल कार्यालय की शक्ति को चुनौती देने के लिए जानबूझ कर कोई प्रयास नहीं किए गए। कानून मंत्री एके बालन ने शनिवार को कहा कि सरकार खान द्वारा उठाए गए सभी संशयों को दूर करेगी।

माकपा के मुखपत्र देशाभिमानी में सख्त लहजे में लिखे संपादकीय में राज्यपाल के बोलने के एक दिन बाद, पार्टी के प्रदेश सचिव कोडियेरी बालाकृष्णन ने रविवार को खान पर सरकार के रोजाना के काम-काज में बेवजह हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया।

पार्टी के समाचारपत्र में एक लेख में उन्होंने कहा, 'राज्यपाल राज्य के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को बदनाम कर रहे हैं। राज्यपाल का पद राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए नहीं होता।' इस बीच खान ने रविवार को कोझिकोड में तय सार्वजनिक कार्यक्रम को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रद्द कर दिया।

राज्यपाल को केरल साहित्य महोत्सव (केएलएफ) के एक सत्र में शामिल होना था। राजभवन के सूत्रों ने कहा, 'आयोजकों ने हमें बताया कि राज्यपाल के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना उनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि केएलएफ एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे। उन्होंने हमसे तिथि बदलने का आग्रह किया।' ऐसी खबरें थीं कि राज्यपाल ने सीएए के विरोध खासकर साहित्यिक कार्यक्रम में विरोध के भय से यह कार्यक्रम रद्द किया।

सभी को नियमों का पालन करना चाहिए : आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल

सरकार खान के उठाए गए सभी संशयों को दूर करेगी : एके बालन, कानून मंत्री

सुधारवादी कदमों के समर्थन में मानव शृंखला से बनाया बिहार का नक्शा

कार्यक्रम के दौरान संगीत बैंड द्वारा देशभक्ति के गीत बजाए गए

पटना, 19 जनवरी (भाषा)।

बिहार में नीतीश कुमार सरकार के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक सुधार संबंधी कदमों के समर्थन में लाखों लोग रविवार को पूरे राज्य में मानव शृंखला बनाने के लिए राज्य की सड़कों पर उतरे।

मुख्यमंत्री कुमार के साथ राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति राज्य की राजधानी पटना के गांधी मैदान में एकदूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हुए। गांधी मैदान में लोगों ने मानव शृंखला से बिहार का नक्शा बनाया।

कुमार का मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीसरा कार्यकाल एक वर्ष से कम समय में पूरा हो जाएगा। कुमार ने इस कार्यक्रम का आयोजन जल जीवन हरियाली अभियान, दहेज एवं बाल विवाह के खिलाफ अभियानों और शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध जैसे प्रयासों को लेकर जागरुकता उत्पन्न करने के लिए किया।

इस कार्यक्रम के दौरान संगीत बैंड द्वारा देशभक्ति के गीत बजाए गए। मुख्यमंत्री कुमार ने कार्यक्रम के बाद अपने संबोधन में राज्य के लोगों का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या हमारी उम्मीद से अधिक होगी। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि प्रयास इस अभियान में चार करोड़ लोगों को शामिल करने के लिए किए गए जो कि कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे देशों की जनसंख्या से अधिक है। कुमार की पहल पर आयोजित होने वाली यह तीसरी मानव शृंखला है। पहली मानव शृंखला 2017 में बनाई गई थी, दूसरी एक वर्ष बाद बनाई गई थी। राजद जैसी विपक्षी पार्टियों ने हालांकि इस कार्यक्रम की आलोचना की और इसे जनता के पैसे और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करार दिया। राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने संवाददाताओं से कहा, हम तब प्रशंसा करते यदि मुख्यमंत्री ने दिखावटी मानव शृंखला की बजाय बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराने के लिए एक रोजगार शृंखला आयोजित की होती। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कार्यक्रम को 'फ्लाप शो' करार दिया और सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें साझा की जिसमें मानव शृंखला कई स्थानों पर टूटी देखी गई और करीब 10 वर्ष के बच्चों को ठंड के मौसम में खड़ा किया गया जबकि आधिकारिक दावा किया गया था कि कक्षा छठी और उसके ऊपर की कक्षाओं के छात्र ही इसमें शामिल होंगे।

मानव शृंखला में दो लोगों की मौत

पटना, 19 जनवरी (भाषा)।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की ओर से रविवार को आयोजित एक मानव शृंखला में हिस्सा लेने के दौरान एक सरकारी स्कूल शिक्षक व एक महिला की मौत हो गई। प्रदेश के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि मरने वालों में प्रदेश के के दरभंगा जिले के 55 वर्षीय सरकारी स्कूल के एक शिक्षक और समस्तीपुर जिले की एक महिला शामिल है। मरने वाली महिला की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। मुख्य सचिव ने बताया कि दोनों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। कुमार ने बताया कि मरने वाले दोनों के परिजनों को अनुग्रह राशि के तौर पर चार-चार लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सरकारी उर्दू माध्यम के स्कूल शिक्षक के परिवार के सदस्यों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी जिसके लिए वह हकदार हैं।

भाजपा अध्यक्ष : आज हो सकता है नड्डा के नाम का एलान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

जगतप्रकाश नड्डा का भाजपा अध्यक्ष बनना लगभग तय है। अभी भी वे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनके नाम की घोषणा बीस जनवरी को हो सकती है। उम्मीद है कि उनका निर्वाचन निर्विरोध हो जाएगा। अभी अमित शाह ही केंद्र में गृहमंत्री के साथ-साथ पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। राज्यों से भाजपा के नेताओं सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं के नड्डा के समर्थन में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए भाजपा मुख्यालय पहुंचने की उम्मीद है। नड्डा को पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी और शाह की दोनों ही पसंद के तौर पर देखा जा रहा है।

नड्डा ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उनका दशकों पुराना अनुभव, आरएसएस से उनकी नजदीकी और स्वच्छ छवि उनकी ताकत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राधामोहन सिंह पार्टी के संगठन चुनाव प्रक्रिया के प्रभारी हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन पत्र 20 जनवरी को दाखिल किए जाएंगे और जरूरी होने पर अगले दिन चुनाव होगा।

भाजपा में अध्यक्ष आम सहमति से और बिना किसी मुकाबले के चुने जाने की परंपरा रही है। इस बार भी इसकी कम ही संभावना है कि उस परंपरा से कुछ हटकर होगा। नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष अमित शाह का साढ़े पांच वर्ष से अधिक का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। जिस दौरान भाजपा ने देशभर में अपने आधार का विस्तार किया। शाह का कार्यकाल भाजपा के लिए चुनावों के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ काल था, हालांकि पार्टी को कुछ राज्य विधानसभा चुनावों में झटके भी लगे।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में शाह के गृहमंत्री बनने के बाद भाजपा ने उनका उत्तराधिकारी चुनने की कवायद शुरू कर दी थी क्योंकि पार्टी में 'एक व्यक्ति एक पद' की परंपरा रही है। नड्डा को गत वर्ष जुलाई में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यह इस बात का संकेत था कि हिमाचल प्रदेश से भाजपा के नेता संगठन के शीर्ष पद के लिए संभावित पसंद हैं। नड्डा 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा के चुनाव अभियान के प्रभारी थे। जहां पार्टी को सपा और बसपा के महागठबंधन से कड़ी चुनौती थी।

भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 62 पर जीत दर्ज की। आम चुनावों में भाजपा के लिए महत्वपूर्ण राज्य संभालने के अलावा नड्डा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री थे। वे संसदीय बोर्ड के एक सदस्य रहे हैं जो कि पार्टी का निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है। इससे पहले नड्डा हिमाचल की भाजपा सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं।

साईं बाबा जन्मस्थल पर विवाद के बाद शिर्डी बंद

शिरडी, 19 जनवरी (भाषा)।

साईं बाबा के जन्मस्थल को लेकर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र के शिर्डी में दुकानें, भोजनालय एवं विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और वाहन भी सड़कों से नदारद रहे। वहीं शिवसेना के ही सांसद ने खुद को साईं बाबा का भक्त बताते हुए बंद का समर्थन किया।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले पर सोमवार को राज्य सचिवालय में एक बैठक भी बुलाई है। मंदिर न्यास और अहमदनगर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि बंद आधी रात को शुरू हुआ लेकिन शिर्डी का साईं मंदिर खुला रहा और श्रद्धालुओं ने वहां पूजा-अर्चना की।

यौन उत्पीड़न मामले में दोषी पायलट की फिर से नियुक्ति

हालांकि आंतरिक समिति की जांच में कैप्टन दोषी पाया गया

नई दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा)।

महिला सहकर्मी के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद पिछले साल मई में निलंबित किए गए एअर इंडिया के एक वरिष्ठ पायलट को सेवा में बहाल कर दिया गया है। हालांकि पायलट को आंतरिक समिति की जांच में दोषी पाया गया है और उस पर भारी जुर्माना लगाया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि समिति ने कैप्टन सचिन गुप्ता पर भारी जुर्माना लगाया है। गुप्ता ने अब सजा के खिलाफ उच्च प्राधिकरण से अपील की है। एअर इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), पीएस नेगी ने इस मामले पर विशिष्ट प्रश्नों के जवाब में कहा, 'एअर इंडिया की आंतरिक शिकायत समिति (आइसीसी) ने जांच की और कैप्टन सचिन गुप्ता को दुराचार के आरोपों में दोषी पाया।

उन्होंने बताया कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करने वाले प्राधिकरण ने कैप्टन सचिन गुप्ता पर कंपनी के सेवा नियम के तहत तत्काल भारी जुर्माना लगाया। उन्होंने बताया, 'इन सेवा नियमों को ध्यान में रखते हुए, कैप्टन सचिन गुप्ता ने दी गई सजा के खिलाफ अब अगले उच्च प्राधिकरण/सीएमडी (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक) के समक्ष अपील दायर की है। गुण-दोष के आधार पर उक्त अपील की जांच की जाएगी और योग्य अपीलीय प्राधिकारी उचित समय पर इस मामले पर विचार करेगा।' एअर इंडिया के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि गुप्ता को अनुदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

भाजपा सांसद ने दिया विवादित बयान

कोलकाता, 19 जनवरी (भाषा)।

भाजपा सांसद सौमित्र खान ने रविवार को उन सभी मशहूर हस्तियों को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 'कुत्ता' करार दिया जो सीएए का विरोध कर रहे हैं।

लोकसभा चुनावों से पहले 2019 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए खान ने संवाददाताओं से कहा कि संशोधित नागरिकता कानून और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी के बारे में तथ्यों को जानने के बावजूद प्रख्यात लोग अपना विरोध जारी रखे हुए हैं।

लोकसभा में बिष्णुपुर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले खान ने कहा, 'जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वे ममता बनर्जी के कुत्ते हैं।' उन्होंने कहा कि यही लोग कामदूनी और पार्क स्ट्रीट में हुए सामूहिक बलात्कार पर चुप रहे और बम विस्फोट की घटनाओं पर उन्होंने कुछ नहीं कहा।

संशोधित नागरिकता कानून और प्रस्तावित एनआरसी के विरोध में राज्य के अभिनेताओं, निर्देशकों और संगीतकारों ने रैलियों में हिस्सा लिया। सीएए और एनआरसी के खिलाफ वीडियो में भी वे एक साथ दिखे और कहा कि केंद्र सरकार अगर नागरिकता पर फिर से सबूत मांगती है तो वे कोई दस्तावेज नहीं दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष ने शनिवार को कहा, 'इन दिनों पश्चिम बंगाल में कई बुद्धिजीवी हैं जो लोगों को दिन भर ज्ञान देते हैं और हंगामा करते हैं। माकपा ने इन लोगों को सड़कों पर लाकर बुद्धिजीवी बनाया और अब दीदीमोनी (मुख्यमंत्री ममता बनर्जी) ने उन्हें पैदा करने की फैक्टरी लगा ली है।' साहित्य अकादेमी पुरस्कार विजेता सुबोध सरकार ने कहा, 'यह भाजपा की वास्तविक भाषा है। अब लोगों को निर्णय करना है।'

केरल के गिरजाघरों में पढ़ा गया लव जिहाद के खिलाफ सर्कुलर

कोच्चि, 19 जनवरी (भाषा)।

रविवार को सामूहिक प्रार्थना के दौरान साइरो-मालाबार चर्च से आए एक सर्कुलर को उसके सभी चर्चों में पढ़ा गया। इसमें केरल और अन्य राज्यों की ईसाई लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाने और आतंकवादी संगठन आइएस में भर्ती किए जाने की कथित घटनाओं का उल्लेख था। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सर्कुलर में, चर्च के प्रमुख कार्डिनल जॉर्ज एलेनचेरी साइरो-मालाबार चर्च के पादरियों एवं जनसाधारण से केरल और अन्य राज्यों में ईसाई लड़कियों के प्रेम में फंसने और मारे जाने पर गंभीर रूप से गौर करने को कहा। परिपत्र में शब्द 'लव जिहाद' का प्रयोग नहीं किया गया है। चर्च के बिशप को पादरियों और जनसाधारण के एक धड़े से आलोचना झेलनी पड़ी जब चर्च के पादरियों की सभा ने पिछले हफ्ते एक बयान जारी कर कहा था कि लव जिहाद वास्तविकता है। बयान में आरोप लगाया गया कि दक्षिणी राज्य की सैकड़ों ईसाई महिलाओं को इस्लामिक स्टेट के जाल में फंसाया जा रहा है और आतंकी गतिविधियों में उनका इस्तेमाल किया जाता है। चर्चों में पढ़े गए सर्कुलर में कार्डिनल ने अंतरधार्मिक प्रेम मामलों के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की जहां मंशा समाज में सांप्रदायिक शांति एवं सौहार्द को जोखिम में डालने की है। इसमें कहा गया, 'यह तथ्य है कि ईसाई लड़कियों को निशाना बना कर ऐसे कदम सोच-समझ कर उठाए जा रहे हैं।'

मानव संसाधन मंत्रालय पर 559 करोड़ बकाया

नई दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा)।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) का पिछले तीन वर्षों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत आपूर्ति किए गए खाद्यान्न के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर 559 करोड़ रुपए बकाया है और शेष राशि के बारे में मंत्रालय ने 400 करोड़ रुपए की आवर्ती निधि का प्रावधान किया है। खाद्य, उपभोक्ता मामलों व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने संसद की समिति को यह जानकारी दी ।

संसद के शीतकालीन सत्र में अनुदान की मांग पर खाद्य, उपभोक्ता मामलों व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना के तहत आपूर्ति किए गए खाद्यान्न के संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 2016-17 में 676.52 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई जबकि इस दौरान शेष राशि 220.22 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2017-18 में प्राप्त राशि 552.91 करोड़ रुपए थी और शेष राशि 179.05 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2018-19 में प्राप्त राशि 487.88 करोड़ रुपए और शेष राशि 160.22 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार से तीन वर्षों में मंत्रालय पर कुल बकाया राशि 559 करोड़ रुपए थी।

मध्याह्न भोजन योजना

रिपोर्ट के अनुसार, 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मामले में शेष राशि के संबंध में मंत्रालय द्वारा 400 करोड़ रुपए की आवर्ती निधि प्रदान की गई है।' आवर्ती निधि विशेष प्रकार की सावधि राशि है जिससे प्रति माह या प्रति वर्ष एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय को आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों के लिए बड़ी धनराशि बकाया है।

रिपोर्ट के अनुसार, 'समिति यह नोट कर-के अत्यधिक चिंतित है कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए एफसीआइ द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को भुगतान के आधार पर दिए गए खाद्यान्नों के लिए इन मंत्रालयों पर एफसीआइ की बड़ी राशि देय है।' इसमें कहा गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मध्याह्न भोजन योजना के संबंध में विकेंद्रीकृत भुगतान के लिए 20 दिन की समयसीमा है लेकिन मानव संसाधन विकास / जिला प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है।

समिति पाती है कि खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग व एफसीआइ द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों व संबंधित मंत्रालयों/ विभागों के साथ नियमित पत्राचार करने के बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया।

'छह साल में 2,838 पाकिस्तानी, 914 अफगानिस्तानी, 172 बांग्लादेशियों को भारतीय नागरिकता'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 19 जनवरी।

संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि पिछले छह वर्षों के दौरान पाकिस्तान से आए 2838 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। चेन्नई में नागरिकता संशोधन कानून पर एक सेमिनार में सीतारमण ने कहा, 'पिछले छह साल में 2838 पाकिस्तानी शरणार्थियों, 914 अफगानी और 172 बांग्लादेशी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी गई, जिनमें मुसलिम भी शामिल हैं। 1964 से लेकर 2008 तक चार लाख से ज्यादा तमिलों (श्री लंका के) को भारतीय नागरिकता दी गई।' उन्होंने कहा कि इसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया।

सीतारमण के मुताबिक, '2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 566 से ज्यादा मुसलिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी गई। 2016 से 2018 के दौरान मोदी सरकार के कार्यकाल में करीब 1595 पाकिस्तानी प्रवासियों और 391 अफगानिस्तानी मुसलिमों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। 2016 में अदनान सामी को भी भारतीय नागरिकता दी गई, यह एक उदाहरण है।'

सीतारमण ने कहा कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए लोगों को देश में अलग-अलग शिविरों में बसाया गया। उन्होंने कहा, 'वे अब भी वहां हैं और उनको रहते अब 50 से 60 साल हो चुके हैं। अगर आप इन शिविरों में जाएंगे तो आपका दिल रोएगा। श्री लंकाई शरणार्थियों की भी यही स्थिति है, जो शिविरों में ही रह रहे हैं। वे बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं।'

वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ राज्यों के द्वारा नागरिकता संशोधन कानून लागू करने से मना करना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि यह असंवैधानिक है और यह सभी राज्यों की जवाबदेही है कि वे संसद में पारित कानून को लागू करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी नागरिकता नहीं छीन रही है। नागरिकता संशोधन कानून लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने का प्रयास है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की मांग सूचना 13(2)

शाखा कार्यालयः एमएमएच कॉलेज, गाज़ियाबाद, उ0प्र0

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारा कर्जदारों/गारंटरों को उनकी गारंटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नही कर सकते हैं। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:**

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
1.	कर्जदारः श्री सौरभ मित्तल पुत्र अनिल कुमार बी-252, एफ-2, रामप्रस्था कालोनी, गाज़ियाबाद-201011	साम्यिक बंधक आवासीय फ्लैट पहला तल (बिना छत अधिकार के), प्लॉट नं. सी-332, सेक्टर-8, टी.एच.ए. आवासीय कालोनी, ब्रिज विहार, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद. सम्पत्ति का क्षेत्र 28.202 वर्ग मीटर जो घिरा है: उत्तरः सम्पत्ति सं. सी-336 दक्षिणः सम्पत्ति सं. सी-339 पूर्वः सम्पत्ति सं. सी-338 एवं 337 पश्चिमः 6 मीटर चौड़ी सड़क	30.11.2019 को एनपीए 10.12.2019 को बकाया रु.11,01,133/- (जो इस सूचना की तिथि को बकाया मूलधन प्लस ब्याज दर्शाता है)
2.	कर्जदारः (1) हेमन्त शर्मा पुत्र श्री श्रीनिवास शर्मा एच. नं. 2, पहला तल, हरि निवास मार्केट, पंचवटी कालोनी, गाज़ियाबाद-201001 (2) श्रीमती लक्ष्मी शर्मा पत्नी श्री श्रीनिवास शर्मा, 265-डी, पॉकेट-एफ, निकट साईं बाबा चौक, दिलशाद गार्डेन, पूर्वी दिल्ली-110095 गारंटरः श्री श्याम कुमार बाइथा पुत्र श्री जगेश्वर बाइथा 2/4, रेलवे कालोनी, ईएमयू कार शेड, लाल कुँआं, गाज़ियाबाद-201001.	साम्यिक बंधक आवासीय फ्लैट नं. ए-355, दूसरा तल, (बिना छत अधिकार के), खसरा नं.1374, न्यू पंचवटी कालोनी, ब्लॉक-ए, दुन्दाहेरा, तहसील एवं जिला-गाज़ियाबाद-201001 सम्पत्ति का क्षेत्र-55 वर्ग मीटर के सभी भाग एवं हिस्से, जो घिरा है: उत्तरः प्लॉट नं. ए-354 दक्षिणः प्लॉट नं. ए-356 पूर्वः प्लॉट नं. ए-358 पश्चिमः 24 फीट चौड़ी सड़क	29.07.2019 को एनपीए 26.12.2019 को बकाया रु.9,06,043/- (जो इस सूचना की तिथि को बकाया मूलधन प्लस ब्याज दर्शाता है)
3.	कर्जदारः श्री सरोज कुमार पुत्र श्री उपेन्द्र कुँवर एवं श्रीमती आभा कुँवर पत्नी श्री सरोज कुमार निवासी ई-17, पटेल नगर-2, गाज़ियाबाद-201001. गारंटरः श्री उमा शंकर प्रसाद सिंह पुत्र श्री राम बहादुर सिंह मकान नं.485/24, तीसरा तल, लक्खी सोसायटी, सरपंच का बाड़ा, गली नं.6, निकट लक्खी पब्लिक स्कूल, फाज़लपुर, शकरपुर, पूर्वी दिल्ली-110092	श्री सरोज कुमार पुत्र श्री उपेन्द्र कुँवर के नाम में साम्यिक बंधक आवासीय फ्लैट, भूतल फ्लैट नं. जीएफ-बी, प्लॉट नं. सी-340, ब्लॉक-सी, मोहल्ला पंचवटी कालोनी, हदबस्त गाँव माहमा सराय उर्फ कौट, गाज़ियाबाद-201001, बिना छत अधिकार के। सम्पत्ति का क्षेत्र-52 वर्ग मीटर जो घिरा है: उत्तरः 24 फीट चौड़ी सड़क दक्षिणः रेलवे लाईन की सम्पत्ति पूर्वः प्लॉट नं. सी-339 पश्चिमः प्लॉट नं. सी-341	29.10.2019 को एनपीए 04.11.2019 को बकाया Rs.14,07,564/- (जो इस सूचना की तिथि को बकाया मूलधन प्लस ब्याज दर्शाता है)

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थानः गाज़ियाबाद
दिनांकः 18.01.2020

प्राधिकृत अधिकारी,
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एमएमएच कॉलेज, गाज़ियाबाद

खबर कोना

गुवाहाटी में रविवार को खेलो इंडिया में 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक जीतने वाली असम की शिवांगी सरमा।

धवन का बायां कंधा चोटिल

बंगलुरु, 19 जनवरी (भाषा)।

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक एकदिवसीय मुकाबले के दौरान कंधे में चोट लगने के कारण मैदान के बाहर जाना पड़ा। ास्ट्रेलियाई पारी के पांचवें ओवर में धवन कवर क्षेत्र में क्षेत्ररक्षण कर रहे थे और उन्होंने आरोन फिंच के शॉट को रोकने के लिए छलांग लगाई जिससे उनका बायां कंधा चोटिल हो गया।चौंतीस साल का यह खिलाड़ी दूसरे एकदिवसीय में बल्लेबाजी के दौरान आस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस की बाउंसर पसली पर लगने के बाद क्षेत्ररक्षण के दौरान मैदान से बाहर था।

साव ने शतक जड़कर की शानदार वापसी

लिंकन (न्यूजीलैंड), 19 जनवरी (भाषा)।

पृथ्वी साव ने भारत ए के लिए न्यूजीलैंड एकादश के खिलाफ दूसरे अभ्यास मैच के दौरान 100 गेंद में 150 रन की आक्रामक पारी खेलकर चोट के बाद शानदार वापसी की। भारतीय सीनियर टीम में वापसी की कोशिश में जुटे 20 साल के साव ने इस बेहतरीन पारी के दौरान 22 चौके और दो छक्के जमाए। भारत ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.2 ओवर में 372 रन का स्कोर बनाया और 12 रन से जीत हासिल की। जवाब में न्यूजीलैंड एकादश की टीम जैक बॉयल की 130 रन की शतकीय पारी के बावजूद

निर्धारित 50 ओवर में छह विकेट पर 360 रन बनाकर हार गई।चयनकर्ता साव की पारी से निश्चित रूप से खुश होंगे क्योंकि उन्हें न्यूजीलैंड में टैस्ट श्रृंखला के लिए टीम का चयन करना है। पहला टैस्ट 21 फरवरी से हैमिल्टन के बेसिन रिजर्व में शुरू होगा। आठ महीने के डोपिंग प्रतिबंध से वापसी करने के बाद साव शानदार फॉर्म में थे लेकिन मुंबई के कर्नाटक के खिलाफ शुरुआती रणजी ट्रॉफी मैच के पहले दिन उनके कंधे में चोट लग गई जिससे वह न्यूजीलैंड में भारत ए के पहले अभ्यास मैच में नहीं खेल पाए। चोट से उबरने के बाद साव ने इस शानदार पारी से अपने इरादे जाहिर कर दिए।

भारतीय टीम के सदस्यों ने बापू नाडकर्णी को श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टी पहनी

बंगलुरु, 19 जनवरी (भाषा)।

भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों ने पूर्व हरफनमौला बापू नाडकर्णी को श्रद्धांजलि देने के लिए बांह में काली पट्टी बांधी जिनका इस हफ्ते निधन हो गया था। नाडकर्णी 86 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं। उन्होंने शुक्रवार को अंतिम सांस ली थी। भारतीय टीम जब आस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला के तीसरे निर्णायक वनडे के लिए यहां मैदान पर उतरी तो खिलाड़ियों ने नाडकर्णी को श्रद्धांजलि देने के लिए बांह में काली पट्टी बांधी हुई थी।

सात विकेट से जीता भारत

रोहित शर्मा और स्टीव स्मिथ ने जड़े शतक

बंगलुरु, 19 जनवरी (भाषा)।

मोहम्मद शमी की अगुआई में अपने गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद 'हिटमैन' रोहित शर्मा के शतक और कप्तान विराट कोहली के 89 रन की मदद से भारत ने निर्णायक तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में आस्ट्रेलिया को सात विकेट से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली ।

इससे पहले स्टीव स्मिथ के नौवे वनडे शतक के बावजूद भारत ने आखिरी दस ओवर में शानदार वापसी करते हुए आस्ट्रेलिया को नौ विकेट पर 286 रन पर रोक दिया। जवाब में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की आसान पिच पर 15 गेंद बाकी रहते जीत दर्ज की।

केएल राहुल (19) के जल्दी आउट होने के बाद रोहित और कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 137 रन की साझेदारी कर-के भारत की जीत का मार्ग प्रशस्त किया। पहले दो मैचों में 10 और 42 रन बना सके रोहित ने 128 गेंद में 119 रन बनाए। इसमें आठ चौके और छह छक्के शामिल थे। इसके साथ ही उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 9000 रन भी पूरे कर लिए।

वहीं कप्तान कोहली ने लगातार दूसरी अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 91 गेंद में आठ चौकों की मदद से 89 रन बनाए। श्रेयस अय्यर 35 गेंद में छह चौकों और एक छक्के के साथ 44 रन बनाकर नाबाद रहे। मनीष पांडे ने 48वें ओवर की पहली और तीसरी गेंद पर जोश हेजलवुड को चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई।

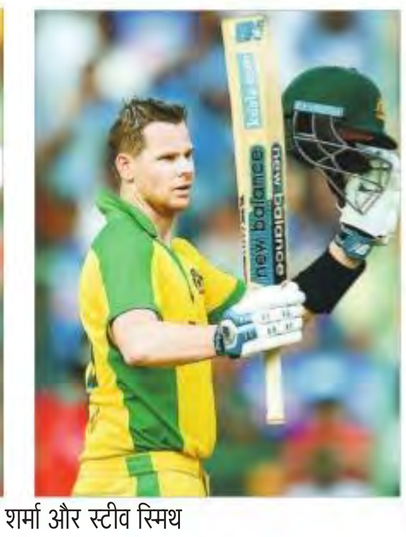

शतकवीर रोहित शर्मा और स्टीव स्मिथ

इससे पहले आस्ट्रेलिया के लिए स्मिथ ने 132 गेंद में 131 रन बनाए। उनके अलावा मार्नस लाबुशेन ने 64 गेंद में 54 रन बनाए। मोहम्मद शमी ने डैथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट चटकाए। उन्होंने दस ओवर में 63 रन देकर चार विकेट लिए। आस्ट्रेलिया ने आखिरी दस ओवर में 63 रन के भीतर पांच विकेट खोए। लगातार तीसरी बार आस्ट्रेलिया ने टास जीता लेकिन इस बार बल्लेबाजी का फैसला किया। इससे पहले स्टीव स्मिथ के नौवे वनडे शतक के बाद भारत ने आखिरी दस ओवर में शानदार वापसी करते हुए निर्णायक तीसरे मैच में आस्ट्रेलिया को नौ विकेट पर 286 रन पर रोक दिया। स्मिथ ने 132 गेंद में 131 रन बनाए लेकिन उन्हें दूसरे छोर से सहयोग नहीं मिल सका। उनके अलावा मार्नस लाबुशेन ने 64 गेंद में 54 रन बनाए। मोहम्मद शमी ने डैथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट चटकाए। उन्होंने दस ओवर में 63 रन देकर चार विकेट लिए। आस्ट्रेलिया ने आखिरी दस ओवर में 63 रन के भीतर पांच विकेट खोए। इससे पहले लगातार तीसरी बार आस्ट्रेलिया ने टास जीता लेकिन इस बार बल्लेबाजी का फैसला किया। कोहली ने पिछला मैच जीतने वाली टीम में कोई बदलाव नहीं किया हालांकि ऋषभ पंत चयन के लिए उपलब्ध थे। केएल राहुल लगातार दूसरे मैच में विशेषज्ञ विकेटकीपर के रूप में उतरे। आस्ट्रेलिया ने फार्म में चल रहे सलामी बल्लेबाजों डेविड वार्नर (तीन) और आरोन फिंच (19) के विकेट जल्दी गंवा दिए। शमी ने वार्नर को बाहर जाती बेहतरीन गेंद पर पवेलियन भेजा। दूसरी ओर फिंच के रन आउट के लिए स्मिथ कसूरवार रहे जिन्होंने कप्तान को रन लेने के लिए बुलाया लेकिन बाद में मन बदल लिया। आम तौर पर शांतचित्त रहने वाले फिंच गुस्से में बुदबुदाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ गए।

स्मिथ और लाबुशेन ने 127 रन की साझेदारी में जबर्दस्त आपसी तालमेल का परिचय दिया। राजकोट वनडे में 46 रन बनाने वाले लाबुशेन ने यहां अर्धशतक बनाया। वे बड़ी पारी की ओर अग्रसर लग रहे थे लेकिन विराट कोहली ने कवर में डाइव लगाकर उनका दर्शनीय कैच लपका। रविंद्र जडेजा ने ओवर में दूसरा विकेट लिया जब एलेक्स कारे से पहले भेजे गए मिशेल स्टार्क ने डीप मिडविकेट में कैच थमाया। आस्ट्रेलिया का स्कोर इस समय 32 ओवर में चार विकेट पर 173 रन था ।

दूसरे छोर पर स्मिथ अच्छा खेल रहे थे लेकिन 300 रन पार करने के लिए आस्ट्रेलिया को अच्छी साझेदारी की जरूरत थी । स्मिथ और कारे (35) ने पांचवें विकेट के लिये 58 रन जोड़े लेकिन कारे ज्यादा देर टिक नहीं सके। शुक्रवार को शतक से दो रन से चूके स्मिथ ने थर्डमैन पर एक रन लेकर तिहरा अंक छुआ । यह तीन साल में वनडे क्रिकेट में उनका पहला शतक है।

नीदरलैंड को शूटआउट में हराकर भारत ने एफआइएच प्रो लीग अंकतालिका में बढ़त बनाई

भुवनेश्वर, 19 जनवरी (भाषा)।

भारत ने एफआईएच प्रो लीग में शानदार शुरुआत करते हुए दुनिया की तीसरे नंबर की टीम नीदरलैंड को दूसरे मैच में शूटआउट में 3-1 से हराया जबकि नियमित समय तक स्कोर 3-3 से बराबर था ।

दुनिया की पांचवें नंबर की टीम भारत ने इससे पहले शनिवार को शुरुआती मैच में नीदरलैंड को 5-2 से मात दी थी ।

भारत अब दो मैचों में पांच अंक लेकर शीर्ष पर है लेकिन नियमित समय तक स्कोर बराबर रहने के कारण नीदरलैंड को भी एक अंक मिल गया।

अंतरराष्ट्रीय हाकी महासंघ के नये नियमों के अनुसार हर टाइ मैच का नतीजा निकलना जरूरी है। ड्रा रहने पर मैच शूटआउट में जाएगा। विजयी टीम को दो और हारने वाली टीम को एक अंक मिलेगा। दूसरे मैच में मनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम 1-3 से पीछे चल रही थी। चौथे और आखिरी क्वार्टर में मनदीप सिह (51वां) और रूपिंदर पाल सिंह (55वां) ने गोल करके टीम को बराबरी तक पहुंचाया । इससे पहले ललित उपाध्याय ने 25वें मिनट मे भारत के लिये पहला गोल किया था ।

नीदरलैंड के लिए वीरडेन वान डेर मिक (24वां), जेरोन हट्र्सबर्ग (26वां) और केलरमैन ब्योर्न (27वां) ने गोल किए। शूटआउट में विवेक सागर प्रसाद, आकाशदीप सिंह और गुरजंत सिह ने गोल किए जबकि हरमनप्रीत सिंह और रुपिंदर चूक गए। डच टीम के लिये मिरको प्रूज्सेर ने गोल दागा जबकि ग्लेन शरमैन, थियरे ब्रिकमैन और जेरोन हट्र्सबर्ग के निशाने चूके ।

भारत ने शनिवार के मैच वाली अपनी लय कायम रखते हुए शुरू से ही कई मौके बनाए लेकिन नीदरलैंड ने दूसरे क्वार्टर में गोल करके बढत बना ली। वान डेर वीरडेन ने पेनल्टी कार्नर पर पहला गोल किया । भारतीय टीम ने हालांकि अगले ही मिनट वापसी की जब ललित ने करीब से फील्ड गोल किया। नीदरलैंड ने 26वें मिनट में एक और गोल करके फिर बढ़त बना ली। हट्र्सबर्ग के इस गोल के बाद ब्योर्न ने 27वें मिनट में डच टीम के लिए तीसरा गोल किया ।

दो गोल से पिछड़ने के बाद आखिरी क्वार्टर में भारत ने प्रयास तेज किया जिसका फायदा भी मिला। पहले मनदीप ने 51वें मिनट में पेनल्टी कार्नर नाकाम रहने पर रिबाउंड पर गोल किया । इसके चार मिनट बाद भारत को मिला पेनल्टी कार्नर रूपिदर ने तब्दील किया। आखिरी सीटी बजने से दो मिनट पहले नीदरलैंड को पेनल्टी कार्नर मिला लेकिन भारत ने उसे बचा लिया ।

अब विश्व चैंम्पियन बेल्जियम आठ और नौ फरवरी को यहां खेलेगी जबकि 22 और 23 फरवरी को मेजबान को आस्ट्रेलिया से खेलना है। भारत इसके बाद जर्मनी (25 और 26 अप्रैल) और ब्रिटेन (दो और तीन मई) में खेलेगा ।

स्वदेश लौटने पर 23 और 24 मई को न्यूजीलैंड से खेलना है और फिर पांच और छह जून को अर्जेंटीना में खेलना होगा।

दमखम

मुंबई में रविवार को टाटा मुंबई मैराथन में बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर दौड़ते अंतरराष्ट्रीय धावक।

कोर्स रेकार्ड के साथ मुंबई मैराथन विजेता बने हुरिसा

मुंबई, 19 जनवरी (भाषा)।

इथियोपिया के देरारा हुरिसा ने रविवार को कोर्स रेकार्ड बनाते हुए टाटा मुंबई मैराथन 2020 को दो घंटे आठ मिनट नौ सेकेंड के समय के साथ अपने नाम किया। मैराथन के 17वें सत्र में इथियोपियाई खिलाड़ियों का दबदबा रहा जहां पुरुष वर्ग के शीर्ष तीनों खिलाड़ी जबकि महिला वर्ग में शीर्ष पांच में चार धावक इसी देश की है।

मैराथन से पहले हुरिसा प्रबल दावेदारों की सूची में नहीं थे लेकिन उन्होंने दूसरे दिग्गजों को चौंकाते हुए अपने करिअर की सबसे बड़ी इनामी राशि हासिल की। इस जीत के लिए उन्हें 45,000 डॉलर जबकि कोर्स रेकार्ड के लिए 15,000 डॉलर मिलेंगे। हुरिसा ने अपने पूरे करिअर में मिलाकर इतनी इनामी राशि नहीं जीती है। अयेले अबशीरो (दो घंटे आठ मिनट नौ सेकंड) और बिरहानु तेशोम (दो घंटे आठ मिनट 35 सेकंड) दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में इथियोपिया की एमाने बेरिसो दो घंटे 24 मिनट 51 सेकंड के समय के साथ शीर्ष पर रहीं।

आस्ट्रेलियाई ओपन आज से, मार्गरेट की बराबरी करने उतरेंगी सेरेना

मेलबर्न, 19 जनवरी (एएफपी)।

अनुभवी खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और सेरेना विलियम्स सोमवार से शुरू होने वाले आस्ट्रेलियाई ओपन में खिताब हासिल करने की कोशिश में उतरेंगे। हाल में जंगलों में लगी आग का धुंआ मेलबर्न में अब लगभग खत्म हो गया है जिसको लेकर खिलाड़ियों को काफी परेशानी थी। जोकोविच और रेकार्ड 24वां मेजर खिताब जीतने की कोशिश में जुटी सेरेना सट्टेबाजों के लिए प्रबल दावेदार होंगे।

शीर्ष वरीय राफेल नडाल (33 वर्ष) तीसरे दशक में दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी बनने का जश्न मना रहे हैं। वहीं रोजर फेडरर (38 वर्ष) यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ती उम्र का उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। वह 21वां ग्रैंडस्लैम खिताब अपने नाम करना चाहेंगे। 2020 की शुरुआत 2010 से अलग नहीं है जब फेडरर और नडाल ने चार ग्रैंडस्लैम खिताब साझा किए थे और सेरेना ने मेलबर्न व विंबलडन में ट्रॉफी हासिल की थी।

दस साल बाद पुरुष वर्ग में 'बिग थ्री' (जिन्होंने 2004 के बाद से दो आस्ट्रेलियाई ओपन खिताब को छोड़कर सभी ट्रॉफियां जीती हैं) शीर्ष तीन रैंकिंग स्थान पर काबिज हैं। सेरेना ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने के मार्गरेट कोर्ट के रेकार्ड से महज एक कदम दूर हैं। पुरुष खिलाड़ियों का वर्चस्व बरकरार है। 2003 में फेडरर ने अपना पहला ग्रैंडस्लैम खिताब जीता था और तब से केवल पांच मेजर फाइनल ऐसे रहे हैं जिसमें स्विट्जरलैंड का यह खिलाड़ी, नडाल या जोकोविच नहीं खेले हैं।

कई चुनौतियां आई और गईं, लेकिन पुरुष वर्ग में युवा पीढ़ी से उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं जबकि सेरेना के 2017 में मेलबर्न में 23वां ग्रैंडस्लैम जीतने के बाद से नौ महिलाओं ने मेजर खिताब अपने नाम किए। पिछले साल जहां जोकोविच और नडाल ने खिताब जीते तो वहीं डोमिनिक थिएम, दानिल मेदवेदेव और फैबियो फोगनिनी ने अपनी पहली मास्टर्स ट्रॉफियां हासिल की। स्टेफोनस सिटसिपास (21) 18 वर्षों में युवा एटीपी फाइनल्स चैंपियन बने।

जोकोविच ने अगली पीढ़ी के मेजर खिताब जीतने के बारे में कहा कि वे बहुत करीब हैं। मुझे नहीं लगता कि वे काफी दूर हैं जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वे निश्चित रूप से खिताब के भूखे होंगे। वे चुनौती पेश करते हैं। वे बस जीत के इंतजार में है।

अनुभवी और युवा खिलाड़ियों के बीच भिड़ंत सोमवार को पहले दौर में दिखेगी जब वीनस विलियम्स (39 वर्ष) का सामना 15 साल की उभरती हुई स्टार कोको गॉफ से होगा। कोको तब पैदा भी नहीं हुई होगी जब अमेरिका की प्रतिद्वंद्वी ने 2000 में अपना पहला ग्रैंडस्लैम खिताब जीता होगा।

जापान की नाओमी ओसाका (22 वर्ष) लगातार दूसरे ग्रैंडस्लैम में खिताब का बचाव करेंगी। दुनिया की नंबर एक एशले बार्टी पर आस्ट्रेलिया की उम्मीदें टिकी होंगी जो 1978 के बाद से स्वदेश में पहली महिला विजेता बनना चाहेंगी। उन्होंने शनिवार को एडिलेड अंतरराष्ट्रीय में खिताब जीता था।

बार्टी ने कहा कि निश्चित रूप से यह शानदार तैयारी थी। मैं खुश हूं और साल के पहले ग्रैंडस्लैम के लिए तैयार हूं।

धोनी को 2021 में बरकरार रखेगा सीएसके : श्रीनिवासन

चेन्नई, 19 जनवरी (भाषा)।

बीसीसीआइ के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी 2021 में आइपीएल नीलामी के दौरान चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के टीम में बरकरार रहेंगे। बीसीसीआइ के केंद्रीय अनुबंध में दो बार के विश्व कप विजेता कप्तान को नहीं चुना गया। इससे पिछले कुछ दिनों में उनके संन्यास लेने को लेकर अफवाहें तेज हो गई हैं। लेकिन भारतीय सीमेंट्स के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्रीनिवासन ने स्पष्ट किया कि धोनी अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेलना जारी रखेंगे।

श्रीनिवासन ने कहा कि लोग कहते रहते हैं कि वह कब संन्यास लेंगे... वह कब तक खेलेंगे, आदि। वह खेलेंगे। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। वह इस साल खेलेंगे। अगले साल वह नीलामी में शामिल होंगे और उन्हें रिटेन किया जाएगा। इसलिए किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। धोनी 2008 में आइपीएल के उद्घाटन सत्र के बाद से सीएसके का हिस्सा रहे हैं और जब फ्रेंचाइजी को दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया था तो ही वह उनके लिए नहीं खेले थे। इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने टीम का नेतृत्व करते हुए तीन बार आइपीएल खिताब भी दिलाया।

धोनी को हाल में झारखंड टीम के साथ नेट पर ट्रेनिंग और बल्लेबाजी करते हुए देखा गया। वह केंद्रीय अनुबंध में ए कैटेगरी में थे जिसमें एक खिलाड़ी को वार्षिक रिटेनरशिप के रूप में पांच करोड़ रुपए मिलते हैं। सीएसके प्रशंसक संघ के उपाध्यक्ष एआरआर श्रीराम उन पर श्रीनिवासन के बयान से काफी खुश थे। श्रीराम ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि एमएस (धोनी) को रिटेन किया जाएगा। धोनी के बिना सीएसके नहीं। हम उन्हें नीलामी पूल में जाने ही नहीं देंगे। प्रशंसक क्लब के सदस्य और धोनी के मुरीद जे शिवकुमार ने भी यही बात दोहराई और कहा कि श्रीनिवासन का बयान सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा।

भारत ने अंडर-19 विश्व कप में श्रीलंका को 90 रन से हराया

ब्लोमफोंटेन (दक्षिण अफ्रीका), 19 जनवरी (भाषा)।

सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (59), कप्तान प्रियम गर्ग (56) और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल (नाबाद 52) की अर्धशतकीय पारियों के बाद गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन से गत चैंपियन भारत ने रविवार को यहां आइसीसी अंडर-19 विश्व कप के अपने शुरुआती मुकाबले में श्रीलंका को 90 रन से शिकस्त दी।

भारत ने हरफनमौला खेला का शानदार नमूना दिखाते हुए पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर चार विकेट पर 297 रन बनाने के बाद श्रीलंका की पारी को 45.2 ओवर में 207 रन पर समेट दिया। स्पिन गेंदबाजों सिद्देश वीर और रवि विश्नोई ने दो-दो विकेट लिए।

भारत के लिए गर्ग ने 72 गेंद में दो चौके की मदद से 56 रन बनाए जबकि जायसवाल ने 74 गेंद की पारी में आठ चौके लगाए। जुरेल थोड़े आक्रामक रहे जिन्होंने 48 गेद की नाबाद पारी में तीन चौके और एक छक्का लगाया।

मैन आफ द मैच सिद्धेश ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की टीम के स्कोर को 297 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 27 गेंद में छह चौके और एक छक्के की मदद से 44 रन की नाबाद पारी खेली।

स्मिथ और वार्नर की वापसी से आस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी : हेडन

बंगलुरु, 19 जनवरी (भाषा)।

आस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन ने कहा कि स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर की वापसी से टीम मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय गेंदबाजी इकाई इस साल के आखिर में उसे भारत के खिलाफ घरेलू टैस्ट श्रृंखला में मजबूत दावेदार बनाएगी। भारतीय टीम ने पिछले साल जनवरी में आस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीं पर पहली बार टैस्ट श्रृंखला में हराकर 71 साल के जीत के सूखे को खत्म किया था।

हेडन ने यहां दोनों देशों के बीच तीसरे एकदिवसीय मैच के इतर कहा कि भारत और आस्ट्रेलिया इस खेल की शीर्ष टीमें हैं। यह निराशाजनक है कि दोनों देशों की टैस्ट श्रृंखला पांच मैचों की नहीं है। अगर आप इस एकदिवसीय श्रृंखला को ही देखो तो प्रशंसक जब तक इसके रंग में ढलेंगे तब तक यह श्रृंखला खत्म हो जाएगी।

डेविड वार्नर

विश्व कप खिताब को दो बार जीतने वाली टीम के सदस्य रहे इस पूर्व दिग्गज ने कहा कि टैस्ट में दोनों बड़ी टीमें हैं। यह करीबी श्रृंखला होगी। जाहिर है परिस्थितियां आस्ट्रेलिया के पक्ष में होगी और उन्हें विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण का साथ मिलेगा। टीम के साथ शायद आस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वश्रेष्ठ ऑफ स्पिनर (नाथन लियोन) खेलेगा... आस्ट्रेलिया को यह श्रृंखला जीतनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि यह भारत के लिए मुश्किल श्रृंखला होगी। स्कोरलाइन मायने नहीं रखती लेकिन आस्ट्रेलिया को जीत हासिल करनी चाहिए, वे प्रबल दावेदार होंगे।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 64, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।